खण्ड-238, अंक-9
गुरूवार, 25 माघ, शक संवत् 1884
(14 फरवरी, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 238 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६५७–६६०
प्रश्नोत्तर	६६१–६८४
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिये गये धन से संबंधित रसीदों के बारे में सूचना ..	६८४
प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति	६८४–६८५
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	६८५
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	६८५
उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	६८५
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	६८६
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	६८६
बलिया जिले के कुछ ग्रामों की फसल बिहार प्रदेश के किसानों द्वारा काट लेने के संबन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६८६–६९०
कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना	६९०
उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय—विचार जारी)	६९०–७२७
१९६२–६३ के द्वितीय पूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	७२७–७२८
उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ (प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया)	७२८–७३०
ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ (मेज पर रखा गया) ..	७३०
उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) संशोधन विधेयक, १९६३ (मेज पर रखा गया)	७३०
आगामी कार्य-क्रम के संबंध में सूचना	७३०–७३१
तालियां	७३२–७४९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक १४ फरवरी, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३३२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रभीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बबकन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री

दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई लाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री

बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल सिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह,
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद वेशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

रामर्मूति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा लघु उद्योग उप मंत्री, श्री शिवप्रसा गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १४ फरवरी, १९६३

तारांकित प्रश्न

आगरे का जूता उत्पादन संघ

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या लघु उद्योग मंत्री दिनांक, १८ अक्तूबर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त संस्था द्वारा लगभग ४ मास पहले स्मरण-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

लघु उद्योग मंत्री के सभा-सचिव (श्री वीरसेन)—

जी हां । स्मरण-पत्र सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह पत्र सरकार को कब प्राप्त हुआ और किन-किन विषयों पर सरकार को निर्णय लेना है ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—

यह तो अब जल्दी तय होने वाला है । फाइनली तय तो हो गया था, मगर बाद को फिर कुछ आशंका पैदा कर दी गयी, वह विचाराधीन है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैंने पूछा था कि कौन-कौन से प्रश्न विचाराधीन हैं ?

श्री फूलसिंह—

जो प्रश्न दिये गये हैं वही विषय हैं ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस स्मरण-पत्र का मुख्य विषय क्या है ?

श्री वीरसेन—

मुख्य विषय एक तो यह है कि पाइलट स्कीम के मातहत जो ट्रेनिंग स्कीम है उसको जारी रखा जाय और १५ ट्रेनीज की संख्या को बढ़ा कर २५ कर दिया जाय । एक यह है कि डिलीवरी वैन का अरेन्जमेंट मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन की मार्फत न किया जाय क्योंकि इससे स्माल स्केल इंडस्ट्री को फायदा नहीं होगा । तीसरा यह है कि इसको अगर ट्रांसफर किया जाय तो संघ को ही किया जाय ।

श्री रामायणराय—

इसमें कोई ऐसा विषय भी है जिसको मानने में सरकार को कोई कठिनाई अनुभव हो रही है ?

श्री फूलसिंह—

यह प्रोजेक्ट कई साल से चलता आ रहा है, इसमें कई चीजें हैं जो अभी देखी जा रही है

मधुबन थाना अधिकारियों को दण्ड

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री २७ सितम्बर, १९६२ के प्रश्न संख्या २ और ३ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर से संलग्न खुलासा में उल्लिखित वह दो व्यक्ति कौन-कौन हैं जिनको गांजा का मालिक तथा गांजा पकड़वाने से संबोधित किया गया है तथा गांजा के मालिक पर मुकदमा नहीं चलाने का कारण क्या है ?

गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)—

गांजा के मालिक तथा गांजा पकड़वाने वाले व्यक्तियों का नाम बताना जनहित में न होगा । गांजे के मालिक के विरुद्ध कोई सीधा प्रमाण (Direct evidence) नहीं मिला। अतः उनके विरुद्ध मुकदमा न चलाया जा सका ।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने में उन्हें क्य आपत्ति है जिससे मालूम हो जाय कि गांजा किसका है और किसने बेंचा है और कुल गांजा कितन रहा है तथा कौन-कौन और कितने अभियुक्त रहे हैं ?

श्री नवलकिशोर—

घटना दो वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी है । इस बारे में सर्किल इंस्पेक्टर व डी० एस० पी० द्वारा जांच भी हो चुकी है । जिसमें यह प्रतीत हुआ कि गांजा २८ सेर से अधिक था तथा अभियुक्त भी एक से अधिक थे पर गांजा व अभियुक्त वस्तुतः कितने थे यह मालूम न हो सका। इतने समय बाद सी० आई० डी० द्वारा जांच से कोई लाभ होने की संभावना नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन आदमी था जिसने नायब थानेदार को यह सूचना दी थी कि इतना गांजा पड़ा है । आप अपनी फाइल में देखिये, यह रिपोर्ट है या.....

जांच से यह पता चला कि यह गांजा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता का था । अतः उसके विरोधी कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने अफसर दोयम से मिल कर उसे पकड़वा दिया । यह है आपकी रिपोर्ट । अभी उन्होंने इन्कार किया कि नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि जब कांग्रेसी ने अफसर दोयम के यहां रिपोर्ट दिया तो उसने क्या रिपोर्ट दिया और जिस वक्त अफसर दोयम जांच करने गये तो उनको सिर्फ २८ सेर गांजा मिला ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, मैंने जो जवाब दिया उसमें यह बातें कहीं नहीं हैं । मैं नहीं जानता कि वह कहां से पढ़ रहे हैं और उनके पास कहां से इनफार्मेशन पहुंच जाती है । यह बात सही है कि जिस आदमी ने पकड़वाया उसका नाम श्री रामप्रसाद है और वह कांग्रेसी है और जैसा कि मैंने अर्ज किया, जो अफसर इंचार्ज थे, उनसे रामध्यानसिंह की जो पी० एस० पी० के मेम्बर हैं, सांठगांठ थी और बराबर नाजायज गांजा बेचा करते थे। वह प्रश्नकर्ता के दाहिने हाथ भी हैं, आजमगढ़ में । मैं यह कहना नहीं चाहता था। मान्यवर, दोनों का ट्रांसफर किया गया । अफसर दोयम को सेकंड आफिसर बनाया गया और कैरेक्टर रोल के अन्दर ऐडवर्स एन्ट्री की गयी दोनों के, और एक साल के लिये दोनों का इन्टेग्रिटी सर्टीफिकेट (Integrity certificate) रोका गया ।

श्री माधवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

जो अफसर दोयम था, उसको सेकंड आफिसर बनाया गया, अभी आपने यह कहा तो क्या अफसर दोयम उर्दू में कुछ होगा और सेकंड आफिसर कुछ होगा ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, मेरा दुर्भाग्य है कि जो मैंने कहा उसको उन्होंने सुना नहीं या जानकर डिस्टार्ट करने की कोशिश की । मैंने यह कहा कि थाना इंचार्ज को सेकंड आफिसर बना कर भेजा गया ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया । लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अफसर दोयम को सेकंड आफिसर बनाया गया । रेकार्ड मंगा कर देख लीजिये । इस तरह से सदन में बात बदलना उचित नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रामध्यान सिंह, जिनके बारे में अभी आपने चर्चा की, क्या रामध्यानसिंह का कभी और गांजा की स्मगलिंग में चालान हुआ था और पुलिस को कोई शिकायत इसके बारे में हुई ?

श्री नवलकिशोर—

जो शिकायत आयी, उसकी जांच के बाद जो मालूमात हुई वह बता दी गई ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब १३-१२-६२ को आफिसर दोयम ने इसकी इंक्वायरी की थी और उसके बाद जब पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट को मालूम हुआ और उनके पास ऐसी शिकायत आयी, तो उन्होंने उसकी जांच सी०आई०डी० के सिपुर्द क्यों नहीं की ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, मैंने अर्ज किया कि पहले जांच सर्किल इंस्पेक्टर ने की, उसके बाद फिर डी० वाई० एस० पी० (कम्पलेंट) ने की ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, फाइल में लिखा हुआ है कि १३-१२-६२ को अफसर दोयम ने जांच की । उसके बाद डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट ने की । उसके बाद वह रिपोर्ट आई कि २८ सेर से अधिक गांजा था और एक से अधिक मुजरिम थे । तो जब यह घटना एस० पी० को मालूम हुई तो उसी वक्त इसकी जांच सी० आई० डी० से क्यों नहीं कराई ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, यह जरूरी नहीं होता कि हर बात की जांच सी० आई० डी० से ही कराई जाय । जब मालूम हुआ तो पहले जांच सर्किल इंस्पेक्टर से करायी गयी, फिर डी० वाई० एस० पी० ने की ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

जो लोग गांजे में पकड़े गये हैं उनका नाम बताना जनहित में क्यों नहीं है, क्या उनका संबंध किसी दल विशेष से है ?

श्री नवलकिशोर—

आपकी इजाजत हो तो मैं नाम बता दूं, मुझे आपत्ति नहीं है । उसका विशेष दल से संबंध है जरूर ।

अनेक सदस्य—

बता दीजिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

नाम बता दीजिये, हमको दिक्कत नहीं है ।

श्री नवलकिशोर—

उसका नाम है—रामध्यानसिंह ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उनको यह मालूम हो गया कि इस गांजे का मालिक फलां व्यक्ति है, उसको पकड़ाने वाला एक पार्टी से संबंधित है, जब यह भी मालूम हो गया कि छोटे थानेदार और बड़े थानेदार दोनों उसमें शामिल हैं, जब यह भी मालूम हो गया कि २८ सेर से अधिक गांजा है, यह भी मालूम हो गया कि एक से ज्यादा मुजरिम हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी पूरी जांच कराने की कोशिश क्यों नहीं की गयी ?

श्री नवलकिशोर—

मुझे इतना बता दीजिये कि कौन से सवाल का जवाब दूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो पीछे सवाल किया है उसका ।

श्री नवलकिशोर—

एक बात साफ हो गयी कि रामध्यानसिंह पी० एस० पी० का मेम्बर है, यह माननीय पांडेय जी मानते हैं । अब उसके खिलाफ कोई ऐसी डाइरेक्ट इवीडेंस नहीं मिली जिसके आधार पर कोर्ट में उसके खिलाफ कोई केस चल सकता हो। उसकी रिपोर्ट में थाना इंचार्ज थे। जिसने पकड़वाया था, उसकी सपोर्ट में सेकंड आफिसर थे और एक दूसरे के वे इतने खिलाफ थे कि किसी फैक्ट पर पहुंचना मुश्किल हो गया। इतना फैक्ट जरूर पाया गया कि २८ सेर से अधिक गांजा भी था और एक से अधिक मुलजिम भी थे ।

प्रेस कन्सल्टेटिव कमेटी, लखनऊ पत्रकार यूनियन का प्रस्ताव

*४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोई प्रेस कन्सल्टेटिव कमेटी का निर्माण किया है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से लोग हैं और वह किन-किन पत्रों से संबंधित हैं ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जी हां । प्रेस कन्सल्टेटिव कमेटी के सदस्यों की नामावली संलग्न है जिसमें उन सदस्यों के सामने जो समाचार-पत्रों से संबंधित हैं उनके समाचार-पत्रों के नाम अंकित हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७३२ पर)

*५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सूचना मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें लखनऊ पत्रकार यूनियन का दिनांक ६ जनवरी, १९६३ का कोई प्रस्ताव मिला है ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

उत्तर प्रदेशीय श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की स्थायी समिति का ६ जनवरी, १९६३ का प्रस्ताव मिला है जिसकी प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७३३–७३४ पर)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि ६ जनवरी, १९६३ को जो यू० पी० जरनलिस्ट्स एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास किया है और जिसमें कि चौथे पैरा में यह लिखा गया है कि जो प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी बनायी गई है यह हमारी इच्छाओं के विरुद्ध और बिना हम लोगों से कोई नाम मांगे हुए बनाई गई है और प्रेस कमीशन की रिपोर्ट की स्पिरिट के खिलाफ बनाई गई है जिसमें कि प्रेस कमीशन ने शंका की है कि इस तरह की प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी इसलिए बनाई गई है कि प्रेस इंडिपेंडेंटली फंक्शन न कर पाये, तो क्या माननीय मंत्री जी इस चीज को देखते हुए और प्रेस कमीशन की रिपोर्ट को देखते हुए इस कमेटी का निर्माण रद्द करने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, जिस चौथे पैरे का जिक्र किया है उसके अन्दर तो यह लिखा है कि— Govt. must be awares that the experiment..... (व्यवधान) जी हां, यह सही है कि प्रेस कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर यह कहा गया था कि प्रेस परामर्शदात्री समिति की आवश्यकता नहीं है और, एक प्रेस कौंसिल की उन्होंने सिफारिश की थी। लेकिन

हिन्द में अभी हाल में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अक्तूबर के महीने में एक प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी का निर्माण किया गया है, उसी के अनुसार यहां पर भी एक प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई क्योंकि एक इमर्जेंसी थी और यह समझा जाता था कि डी० आई० आर० में बड़े विस्तृत पावर्स हैं, इसलिए प्रेस को आम नीतियों के बारे में उनकी सलाह मशविरा अगर मिल सके तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी जो बनाई गई उसमें कहीं भी इमर्जेंसी का लफ्ज जो प्रेस नोट ईश्यू किया गया उसमें नहीं था, दूसरे इस ग्रवर्नमेंट के पहले, जो सम्पूर्णानन्द की सरकार थी, उसने भी प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को तोड़ना पड़ा इसी प्रेस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक तो क्या माननीय मंत्री जी इस कमेटी को बनाने के पहले जो प्रेस के नुमाइन्दे हैं उनसे कोई विचार-विमर्श किये थे ?

श्री बनारसीदास—

इस प्रश्न का एक हिस्सा तो सही नहीं है। जो प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी पहले थी यह ठीक है कि उसमें एक हिस्से का बहुत हद तक सहयोग प्राप्त नहीं था लेकिन उसका कार्यकाल सन् ५९ में ही तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया था और वह कमेटी सन् ६२ के अन्दर भंग की गई। जहां तक दूसरा सवाल है यह सही है कि कुछ पत्रकारों से बातें हुई थीं और वह यह चाहते थे कि परामर्श करने का इस वक्त में कुछ अवसर हो। जहां तक इसकी विज्ञप्ति का सवाल है उसमें लफ्ज इमर्जेंसी नहीं लिखा गया, लेकिन इमर्जेंसी पीरियड के अन्दर जब इसको डिक्लेयर किया गया तो जाहिर है उसकी मंशा यही थी कि लोगों का सहयोग लिया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पत्रकार यूनियन ने, जो ६ जनवरी को पत्र उनके पास भेजा था, उनकी मांग पर उन्होंने अब तक कौन-सी कार्यवाही की ?

श्री बनारसीदास—

उस पर कुछ पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत भी हुई और उसके अलावा ऐसा था कि हमारा विचार था उस कमेटी की बैठक बुलाने का, तो उनसे बातचीत करने के बाद में कमेटी की बैठक नहीं बुलायी गई और अभी इसके बारे में किसी तरह से कार्य किया जाय, क्या स्वरूप हो इसका, फिर इस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री रामायणराय—

क्या माननीय सूचना मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रमजीवी पत्रकार संघ, जिसे सरकार द्वारा मान्यता भी प्राप्त है, उससे सलाह न लेने का कारण क्या है ? क्या सरकार ने उससे असहयोग करने का कोई निश्चय किया है ?

श्री बनारसीदास—

असहयोग करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जहां पर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन है वहां उसके अतिरिक्त और भी जर्नलिस्ट्स हैं, इसलिए प्रेस ऐडवाइजरी कमेटी और प्रेस कन्सल्टेटिव कमेटी में अगर कोई अन्तर है तो यही कि प्रेस कन्सल्टेटिव कमेटी में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है, उसमें सम्पादक हों, करेस्पांडेंट्स हों, या दूसरे जो कि यूनियन से सम्बन्धित व्यक्ति हों, उन सबका सहयोग प्राप्त हो सकेगा। वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन का सहयोग हमको पूर्णतया प्राप्त है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रेस कमीशन ने भी कन्सल्टेटिव प्रेस कमेटी के खिलाफ अपनी राय दी थी और श्रमजीवी पत्रकार संघ ने भी सरकार से यह कहा है कि इसके स्थान पर स्टेच्यूटरी प्रेस कौंसिल बनायी जाय, तो क्या सरकार को

इस तरह का विरोध प्राप्त हुआ है और श्रमजीवी पत्रकार संघ और दूसरे पत्रकार संगठन इसको उचित नहीं समझते और अपेक्षित सहयोग की उसमें आशा नहीं है, तो सरकार को स्टेट्यूटरी प्रेस कौंसिल की स्थापना में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं वह स्टेटयूटरी प्रेस कौंसिल बनाती ?

श्री बनारसीदास—

अभी तक केन्द्र के अन्दर भी प्रेस कौंसिल की स्थापना नहीं हुई है। जो वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसियेशन ने अपना प्रस्ताव पास किया है उसी तरह का प्रस्ताव केन्द्रीय कन्सल्टेटिव कमेटी के सम्बन्ध में भी है और उस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है इसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में आशा है कि केन्द्रीय सरकार से हमको वैसी खबर मिल पायेगी।

श्री रामायणराय—

सरकार की ओर से जो समिति बनाई गई है क्या यह सही है कि श्रमजीवी पत्रकार संघ ने उस समिति से असहयोग करने का कोई निर्णय लिया है, सरकार इस अव्यवस्था को दूर करने की बात सोच रही है ?

श्री बनारसीदास—

मैंने निवेदन किया कि उनके प्रतिनिधियों के साथ हमारी बातचीत हुई है और अभी सहयोग या असहयोग का प्रश्न पैदा नहीं होता। अभी उसकी न कोई मीटिंग बुलाई गई है। जैसा मैंने शुरू में कहा उनके सुझाव पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके इस समय जो नामिनेटेड मेम्बर्स हैं, जो आपकी प्रेस कन्सल्टेटिव कमेटी में हैं, उसमें बहुत से लोगों ने इस्तीफे भेज दिये हैं और इस्तीफा भेजने के बाद कुछ कारण भी लिखे हैं, यदि हाँ, तो वे कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि उन्होंने इस्तीफे के साथ क्या कारण लिखे हैं ?

श्री बनारसीदास—

इस्तीफा केवल हमको तीन महानुभावों का प्राप्त हुआ है जिनका सम्बन्ध वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन से है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह कमेटी बनाई गई है इस कमेटी में सब महत्वपूर्ण पत्रकारों का सहयोग मिले और उनका प्रतिनिधित्व हो इसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है और किस अनुपात से उनको रखा गया है ?

श्री बनारसीदास—

हमने जो कमेटी बनाई है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि सभी वर्गों के लोगों का पूरी तरह से सहयोग मिल सके। उसमें यूनियन के लोग भी थे, आल इंडिया न्यूज पेपर्स एण्ड एडीटर्स कान्फ्रेंस के लोग भी थे, जिलों के पत्रों के लोग भी थे, और कुछ साहित्यकार। कुछ और भी लोग जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक जीवन से है, सभी को उसमें रखा गया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सूचना मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रेस कन्सल्टेटिव कमेटी में जिन लोगों को रखा गया है उन लोगों ने उसमें काम करने की अपनी लिखित स्वीकृति दे दी है और वे सभी लोग सहयोग करने के लिये तैयार हैं ?

श्री बनारसीदास—

जब से उनके नामों की घोषणा की गई तो हमारे पास केवल तीन आदमियों ने अपनी असहमति प्रकट की है। इसके अतिरिक्त बहुत से लोगों से बात हुई तो उन्होंने अपना वचन दिया है। वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के लोगों से बातचीत हुई है। इसमें सभी लोगों का सहयोग प्राप्त करने का कोई मार्ग निकल सके इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं।

बाराबंकी में चोरियां

*६—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी नगर में १९६३ के प्रथम सप्ताह में चोरी, डाके तथा हत्या की कितनी घटनायें घटीं ?

श्री नवलकिशोर—
बाराबंकी नगर में १९६३ के प्रथम सप्ताह में डाके तथा हत्या की कोई घटना घटित नहीं हुई।
चोरी की केवल दो घटनाएं घटीं।

*७—श्री मुकुटबिहारीलाल—
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मामलों के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नवलकिशोर—
चोरी की दोनों घटनाओं में पुलिस जांच कर रही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल—
क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि दिसम्बर के आखिरी हफ्ते में कोई घटना कत्ल की बाराबंकी नगर में हुई है ?

श्री नवलकिशोर—
इस समय जो पूछा गया था उसमें १९६३ के पहले हफ्ते की बात थी उसी पर हमने सूचना मांगी थी। अगर माननीय सदस्य का नया प्रश्न होगा तो मैं फिर सूचना मंगा लूंगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—
बाराबंकी शहर में चोरी, डकैती और कत्ल के जघन्य अपराधों की बाढ़-सी आ गई है किन्तु मौजूदा पुलिस उसकी रोकथाम करने में बिल्कुल असफल रही है। तो सरकार इन घटनाओं की रोकथाम के लिये कोई ठोस कदम उठाने जा रही है ?

श्री नवलकिशोर—
जो आक्षेप लगाया गया है कि रोज घटनायें हो रही हैं इसको मैं नहीं मानता हूं। बाकी को वाक़यात होते हैं उनकी पूरी छानबीन की जाती है और उनकी रोकथाम के लिये वहां पर जो स्टाफ है वह अपनी जगह पर काफी है।

सुरक्षा फंड

*८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में "सुरक्षा फंड" में अलग-अलग कितना-कितना सोना तथा रुपया अभी तक प्राप्त हुआ है ? उसमें कितना मुख्य मंत्री फंड में है तथा कितना केन्द्रीय सुरक्षा फंड में जमा है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—
प्रदेश के प्रत्येक जिले में सुरक्षा कोष के अन्तर्गत २ फरवरी, १९६३ तक एकत्र सोना, रुपया का ब्यौरा संलग्न तालिका में उल्लिखित है।

इसमें से मुख्य मंत्री कोष तथा केन्द्रीय सुरक्षा कोष में कुल ३,८३,७१,४५९ रु० तथा ७५,०५,४३५ रु० क्रमशः एकत्रित हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७३५–७३६ पर)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उनको इस बात की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि गोरखपुर और देवरिया में लोगों से जबरदस्ती रुपया वसूल किया गया और बनारस के बाजार में आदमी भेज कर सोना खरीदा गया, जिसका आधा तो सुरक्षा कोष में जमा कर दिया गया और आधा नहीं जमा किया गया है और इसके लिये वहां की जनता तथा जनप्रतिनिधियों में बड़ा असन्तोष है जिसके बारे में उनको शिकायती-पत्र भी दिया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गेंदा सिंह आपके दल के ही हैं। अगर आप यह बात सरकार से पूछने के बजाय उन्हीं से पूछ लें तो ज्यादा पता लग जायगा। वे भी देवरिया के ही हैं।

श्री उग्रसेन—

मैंने स्वयं एक शिकायत की है कि इखरी सराय के बाबू राधेलाल को परेशान किया गया, उनसे तीन बार सोना और रुपया लिया गया और उनको रात की ठंडक में बाहर रखा गया जिससे उनकी तबियत खराब हो गयी और वे मरने के करीब हैं। इस पर कौन-सी कार्यवाही हुई ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

आपका पत्र आया था और उसकी जांच करायी गयी और जो बातें उसमें आपने लिखी हैं वह असत्य सिद्ध हुई।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार की ओर से कोई ऐसा जी० ओ० जिलाधीशों को गया है कि जिसमें प्रत्येक परिवार से २५ रु० से लेकर ३५ रुपये तक ऋण आदि वसूल करने की बात कही गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह बात सही नहीं है। जहां तक इस चन्दे को वसूल करने की बात है या बांड्स आदि की खरीदारी का विषय है, सरकार का बहुत सख्त आदेश यह है कि यह सारे कंट्रीब्यूशन्स या ऋण का लेना वालंटियरी ढंग से होना चाहिये। सरकार के यह भी आदेश रहे हैं कि पटवारी और जो नीचे तबके के अफसर हैं या कर्मचारी हैं उनसे यह कार्य न लिया जाय। यह भी सरकार के आदेश हैं कि या तो गैर-सरकारी व्यक्ति या सरकार के वे अधिकारी जो गजेटेड रैंक के हैं वे ही चन्दे का कार्य अपने हाथ में लें, या ऋण आदि के सिलसिले में वे किसानों के पास जायं या उन व्यक्तियों के पास जायं जिनके द्वारा वे बांड्स आदि खरीदने के सिलसिले में बातें करना चाहते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि मिर्जापुर जिले में गड़बड़ा में जो मेला लगता है वहां एक सेनीटरी इंस्पेक्टर ने दूकानदारों से २,००० रुपया सुरक्षा कोष के लिये वसूल कर लिया और उसे कहीं जमा नहीं किया है ? और इसकी शिकायत भी जिलाधीश मिर्जापुर को की गयी है ? सरकार को इसकी सूचना है, इसलिये क्या मंत्री जी इस बारे में कुछ बतलायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या सरकार को मालूम है कि देहात की बात छोड़ दें, सदन में ही जिन सदस्यों से रुपया इकट्ठा किया गया है उनको रसीदें नहीं मिली, तो सरकार की नीति से पता लगता है कि चिराग तले ही अंधेरा है तो देहात में क्या होता होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो बहस का सवाल है। रसीद मिल जायगी, यह तो आप स्वयं समझ सकते हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि यह बात सही है कि सुरक्षा कोष में पैसा और सोना देने में, जो नीचे के तबके के लोग हैं गरीब और मध्यम वर्ग के, उन्होंने अधिक दिया है और जो अधिक सोने वाले थे उन्होंने नहीं दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह तो सही नहीं है कि नहीं दिया, लेकिन जो कम पैसे वाले थे, उन्होंने अधिक रकम अनुपात में उन लोगों के दी, जो अधिक पैसे वाले थे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री इस बात की जांच करायेंगे कि गोरखपुर जिले में जिन क्षेत्रों में चकबन्दी चल रही है वहां पर फी एकड़ दो रुपये के हिसाब से ए० सी० ओ० और सी० ओ० किसानों से ले रहे हैं और उसमें हर ब्लाक के ब्लाक अफसर भी आठ आना फी यूनिट के हिसाब से वसूल कर रहे हैं और पुलिस वाले भी वसूल कर रहे हैं ? क्या मुख्य मंत्री जी कोई यूनिफार्मिटी की योजना पर विचार करेंगे जिसमें एक बार ही किसानों से जितना लेना है वह टैक्स और सुरक्षा फंड के रूप में वह ले लिया जाय ताकि जैसी कि सरकार की नीति है, किसानों का मनोबल बढ़े ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सरकार की नीति चन्दा इकट्ठा करने के विषय में स्पष्ट रही है कि वालंटरी बेसिस पर इकट्ठा किया जाय और उन लोगों के जरिये से न इकट्ठा किया जाय जिनके बारे में आम तौर से तरह-तरह की शिकायतें समय-समय पर आती रहती हैं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर में आठ आना फी बीघा किसानों से वसूल किया जा रहा है जो तीन रुपया फी एकड़ पड़ता है तो जो २५ फीसदी लगान बढ़ाया गया है, क्या सरकार उसको देखते हुए और वसूली बन्द कर देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह कथन वास्तविकता से परे है।

श्री नेकराम शर्मा (ज़िला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि कितना रुपया उनके फंड में इकट्ठा किया गया है, कितना केन्द्रीय सरकार को भेजा गया और जो उनके पास है वह किस काम में खर्च किया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

रुपया इकट्ठा करने का ढंग यह रहा है कि जिलाधीशों ने पहले अपनी कमेटियों के तहत में रुपया इकट्ठा किया है, उसके बाद वह रुपया यहां लखनऊ में आता है ट्रेजरी में और फिर केन्द्र में नेशनल डिफेंस फंड में भेजा जाता है। करीब पौने चार या ४ करोड़ के करीब भेजा जा चुका है और बाकी रुपया १९ और २४ के बीच में प्रधान मंत्री को दिया जायगा।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में चन्दा वसूल करने का अभियान इसी तरह कब तक चलता रहेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जब तक एमर्जेंसी जारी रहेगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी को परधौली के श्री नन्हेंमल, जिला बरेली, का पत्र प्राप्त हुआ है कि बन्दूक दिखा कर नायब तहसीलदार कलेक्शन ने उनसे, गालियां देकर ५१ रुपये वसूल किये और केवल ११ रुपये की रसीद दी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस प्रकार के समाचार या अफवाहें उन्हीं लोगों द्वारा फैलाई जाती हैं जिन्होंने इस काम में सब से कम सहायता प्रदान की है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि १००, १०० रुपया सदस्यों से लिया गया उसकी रसीद नहीं दी गयी और क्या साधारण लोगों से भी बिना रसीद रुपया लिया जा रहा है? दूसरे, मथुरा जिले में मुख्य मंत्री कोष में और प्रधान मंत्री कोष में कितना रुपया वसूल किया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जिन्होंने रुपया डाइरेक्टली यहां केन्द्रीय स्थान पर नक़द दिया है उनकी रसीद फौरन ही प्रत्येक व्यक्ति के पास भेजी गई है और जिन्होंने अपना रुपया तनख्वाह इत्यादि से कटवाया है उनकी रसीदें उस संस्था को दी गई हैं, जहां से रुपया कटा है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

यह ठीक नहीं है। मैं इस पर विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं।

फिल्मों पर व्यय

*६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या सूचना मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि "अमर उजाला", "प्रगति के पथ पर", "प्रगति की ओर", "स्वप्न साकार" और "वन विकास" फिल्मों पर कितना व्यय हुआ? उक्त फिल्मों में काम करने वाले स्टार (स्त्री, पुरुष) राजकीय वेतन भोगी हैं अथवा ठेके पर काम करते हैं?

श्री बनारसीदास—

इन पांचों फिल्मों के निर्माण पर अब तक निम्न प्रकार व्यय हुआ है :—

फिल्म का शीर्षक	निर्माण पर व्यय रु० न० पै०
अमर उजाला	१२,०३५.१९
प्रगति के पथ पर	७,१४१.५३
प्रगति की ओर	१२,३२६.०३
साकार स्वप्न	१५,९९२.३४
वन विकास	१४,४३५.५५
योग ..	६१,९३०.६४

एक स्टार (पुरुष) को छोड़कर उक्त फिल्मों में काम करने वाले सभी स्टार ठेके पर थे। उक्त एक स्टार आकाशवाणी, लखनऊ, के कर्मचारी हैं, परन्तु उन्होंने भी अन्य स्टारों की भांति हमारे लिये ठेके पर काम किया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ५ फ़िल्में बनी हैं उनका सूचना विभाग द्वारा कैसे उपयोग किया जा रहा है?

श्री बनारसीदास—

फ़िल्मों की ६०, ६० कापियां बनवाकर रिलीज़ कर दी गई हैं और प्रत्येक जिले को भेज दी गई हैं। इन ३ के नाम हैं "अमर उजाला", "वन विकास" और "प्रगति के पथ पर"।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

जो पुरुष स्टार आकाशवाणी, लखनऊ में काम करते हैं उन्हें वेतन के अलावा ठेके की कितनी रक़म दी गई है ?

श्री बनारसीदास—

३०० पये दिये गये हैं।

श्री विजयसिंह—

इस संकट के समय में भी ऐसी फिल्मों का बनाना बन्द क्यों नहीं किया गया है ?

श्री बनारसीदास—

इनका सम्बन्ध एमर्जेन्सी से ही है।

डी० आई० जी० पुलिस का फतेहपुर दौरा

*१०—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

प्रथम सत्र, १९६२ के दिनांक ६ दिसम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ११८ के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० आई० जी०, कानपुर रेंज ने वित्तीय वर्ष, १९६१–६२ में जो ६ बार फतेहपुर का दौरा किया और १४ दिन रुके वे दौरे किसी सरकारी काम से किये अथवा तफरीह के लिये किये ? यदि उन्होंने सरकारी काम से दौरे किये तो वे कौन से सरकारी काम थे ?

श्री नवलकिशोर—

वे दौरे सरकारी कार्य से ही थे। उन सरकारी कार्यों का विवरण इस प्रकार है :—

२–४–१९६१—अन्तर जिला खेल-कूद का फाइनल तथा जिले की देखभाल।

५–४–१९६१ से ९–४–१९६१—सालाना निरीक्षण।

२३–७–१९६१ से २७–७–१९६१—मान्सून निरीक्षण।

२–१०–१९६१—पुलिस लाइन कैन्टीन का उद्घाटन और जिले के अफसरों तथा कर्मचारियों के सम्मुख पुलिस लाइन में भाषण, अस्थायी रेंज ट्रेनिंग सेन्टर तथा रंगरूटों के विषय में एस० पी० से मशविरा।

२९–१–१९६२—क्राइम मीटिंग तथा थाना कल्याणपुर का निरीक्षण।

२१–२–१९६२—आम चुनाव के सम्बन्ध में इन्तजाम की देखभाल तथा बिन्दकी और कल्याणपुर में अनेक पोलिंग सेन्टरों का निरीक्षण।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खेदकूद के फाइनल में और मानसून के निरीक्षण में, मानसून का दौरा नहीं है, कितना खर्चा हुआ अलग-अलग ?

श्री नवलकिशोर—

नोटिस चाहिये।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या मानसून का निरीक्षण भी डी० आई० जी० का कर्त्तव्य है ?

श्री नवलकिशोर—

मानसून निरीक्षण क मानी हैं एक विन्टर का और दूसरा समर का इंस्पेक्शन होता है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

जो कार्य बताये गये ये उनकी तफरीह के लिये थे या सुरक्षा के कार्य के थे ?

श्री नवलकिशोर—

ये सरकारी काम से ही दौरे किये हैं।

चीनी उत्पादन

*११—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) तथा श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—
क्या मुख्य मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि चीनी मिलों में गन्ने के अभाव की सूचना अब तक कहां-कहां से मिली है और उसके लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान सीजन १९६२-६३ में आमतौर से सभी मिल क्षेत्रों में गन्ने का अभाव है। स्थिति पर काबू पाने के लिये इस वर्ष गन्ना किसानों को अपने गन्ने की उपज का ८५ प्रतिशत तक सट्टा कराने की अनुमति व बेसिक कोटे के ऊपर अतिरिक्त सट्टा कराने की विशेष सुविधायें दे दी गई हैं। प्रयास किया जा रहा है कि गन्ना सहकारी समितियां मिलों को अधिक गन्ना सप्लाई करें। कुछ चीनी मिलों ने गन्ने का मूल्य भी स्वयं बढ़ा दिया है।

*१२—श्री गेंदासिंह तथा श्री चन्द्रबलीसिंह—
इस वर्ष मिलों में गत वर्ष की अपेक्षा कितनी कम चीनी बनेगी और उससे सरकार को करों में कितनी कमी होने का अनुमान है? क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार की नई शक्कर नीति को वापस लेने के लिये नहीं कहा जिसके कारण इस वर्ष गन्ना उत्पादक, मिलों और सरकार को भी क्षति पहुंच रही है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्रदेश की मिलों में लगभग २० प्रतिशत कम चीनी बनने के फलस्वरूप प्रदेशीय सरकार को अपेक्षाकृत क्रय कर की प्राप्ति में लगभग १ करोड़ रुपये कम आय होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार को ज्वाइंट शुगरकेन बोर्ड की पटना में गत जुलाई में हुई बैठक के बाद लिख दिया गया था कि देश हित में गन्ने की नई शक्कर नीति ६२-६३ सीजन में लागू न की जाय।

*१३—श्री गेंदासिंह तथा श्री चन्द्रबलीसिंह—
क्या मिलों की ओर से गुड़ तथा खांडसारी के विरुद्ध कदम उठाने के लिये सरकार से निवेदन किया गया है? यदि हां, तो सरकार का क्या रुख उस सम्बन्ध में है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ ने गुड़ का अन्तर प्रदेशीय व्यापार बन्द करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था किन्तु सरकार को इस रोकथाम (Ban) की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई क्योंकि नये फ्रशर्स को सुरक्षित क्षेत्रों में लाइसेंस न देना ही काफी समझा गया।

श्री गेंदासिंह—

इस बात के सिद्ध हो जाने के बाद कि गन्ने की कमी है और सरकार के हिसाब से सरकार को करीब एक करोड़ रुपये का घाटा लगेगा तो क्या सरकार इस बात पर गौर करेगी कि इस वक्त जो मिलें चल रही हैं उनमें से कुछ मिलों ने अपने आप गन्ने की कीमत बढ़ा दी है उनके अलावा कोई ऐसी यूनीफार्म कीमत १ रुपया १२ आना की सारे सूबे की मिलों के लिये मुकर्रर हो जाय ताकि सरकार को भी घाटा न रहे और काश्तकारों को भी ज्यादा पैसा मिल जाय और शुगर फैक्ट्रियों को भी अधिक गन्ना मिल जाय?

श्री चन्द्रभान् गुप्त—

जहां तक इस प्रदेशीय सरकार का सम्बन्ध है उसने इसी प्रकार के सुझाव केन्द्रीय सरकार के पास भेजे हैं और जहां तक मुझे जानकारी है बिहार की सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार को गन्ने की कीमत अगले वर्ष फिक्स करने के सिलसिले में जो सुझाव भेजे हैं वे भी करीब-करीब वही हैं जो हमारे हैं।

श्री गेंदासिंह—

जो सीजन चल रहा है उसके बारे में मैंने यह कहा कि अपनी तबियत से कुछ फैक्ट्रियों ने गन्ना की कीमत बढ़ा दी है तो क्या सरकार भारत सरकार को यह सिफारिश करेगी या स्वतः जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने किया है मिल मालिकों को बुला कर स्टेट गवर्नमेंट इस बात की व्यवस्था करेगी कि गन्ने की कीमत १ रुपये १२ आने मन कर दी जाय, जिस से ज्यादा से ज्यादा गन्ने का दाम लोगों को मिल सके और अधिक चीनी बन सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

पश्चिमी जिलों के मिल मालिकों से इस बात के लिये कहा गया था और उनमें से कुछ ने गन्ने के दाम बढ़ा भी दिये हैं और अब भी, श्री पाटिल और श्री शंकर यहां आये हुये हैं, उन से मैं इस विषय में बातें कर रहा हूं कि वे हमारी इस दिशा में मदद करें लेकिन कोई ऐसा नियम या कानून हम नहीं बना सकते जिससे उन्हें मजबूर करें कि उनको इतनी ही कीमत देनी होगी। लेकिन आज इस बात को देखते हुये कि हमें अधिक से अधिक चीनी तैयार करानी है मिल मालिकों का ध्यान सरकार इस ओर आकर्षित कर रही है कि वे ज्यादा से ज्यादा कीमत देकर अधिक से अधिक चीनी बनाने की व्यवस्था करें।

श्री गेंदासिंह—

सरकार को जो एक करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है वह मैं समझता हूं गलत है गन्ना विकास मन्त्री जी उस तथ्य को भी सदन के सामने रखने की कृपा करें कि किस प्रकार से सरकार एक ही करोड़ रुपये का घाटा समझ रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस वर्ष जितने गन्ने के पेरे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है उसके हिसाब से हमें जो टैक्स वसूल होगा उसके अनुसार हमें करीब एक करोड़ रुपया कम वसूल होगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सहारनपुर जिले में सरसावा कोआपरेटिव शुगर मिल, जो लगी हुई है, वह गन्ने वालों से ४ आने मन कटौती करती है जिसकी वजह से सहारनपुर के यमुना के किनारे के गांवों से ५-६ हजार मन गन्ना रोजाना पंजाब को चला जाता है, यहां नहीं आता है और इससे सरकार को भी घाटा होता है और चीनी के उत्पादन में भी कमी हो रही है, इसकी रोकथाम करने की तरफ सरकार ध्यान देगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मैं समझता हूं कि गन्ने के किसान, जो तय करते हैं वही कटौती होती है, मिल अपनी तरफ से कोई कटौती नहीं करती है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चीनी का उत्पादन जो कम हो रहा है, उसके लिहाज से एक्साइज ड्यूटी और आमदनी-कर में कितनी कमी होगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

एक्साइज ड्यूटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद वसूल करती है। उसमें से कितना हिस्सा हमको मिलेगा, इसके आंकड़े इस वक्त हमारे पास नहीं हैं।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सभी मिल मालिकों के मुकाबले में शामली मिल और बागपत कोआपरेटिव मिल सब से कम कीमत गन्ने की किसानों को देती है, उनको उचित कीमत दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

दोनों मिलें उतनी ही कीमत दे रही हैं जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय करके भेजा है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—
श्रीमन्, मुझे तो मौका दीजिये, हमारा सवाल है और हमें तो आप पूछने ही नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष—
आप कृपा करके बैठें।

श्री चन्द्रबलीसिंह—
आप मुझे मौका क्यों नहीं देते?

श्री उपाध्यक्ष—
बात यह है कि जिनके प्रश्न होते हैं उनको मैं तीन मौके देता हूं—माननीय गेंदा सिंह जी का प्रश्न था, उनको मैंने तीन मौके दिये और श्री चन्द्रबली सिंह का भी उसमें नाम था, तो एक दफा उनको भी मैंने मौका दिया माननीय सदस्य इसको भी जरा देखें कि अगर एक ही प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न होते रह जायेंगे तो काम नहीं चल सकेगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रबलीसिंह—
एक सवाल तो हमें कर लेने दीजिये।

मन्त्रिमण्डल पर व्यय

*१४—श्री उग्रसेन—
क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिमाह उनके मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों पर प्रत्येक विभाग का कुल कितना खर्चा वेतन, भत्ता, रख-रखाव, सुरक्षा, गमनागमन एवं दवा आदि पर पड़ता है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—
मन्त्रि-मंडल के सदस्यों को सदन द्वारा पारित किये गये अधिनियम के प्राविधान क अनुसार मासिक वेतन मिलता है जो कि नियमित रूप से जारी होने वाली सिविल लिस्ट में भी दिया रहता है। यात्रा, चिकित्सा, सुरक्षा आदि पर व्यय ठीक उन्हीं नियमों के अनुसार होता है जो क्रमशः उपर्युक्त विषयों के सम्बन्ध में बनाये गये हैं। उक्त व्यय के आडिट किये जाने का नियम है एवं आडिट रिपोर्ट नियमित रूप से सदन के सामने रक्खी जाती है। यह व्यय विभिन्न मन्त्रियों पर सामान्य रूप से न होकर प्रत्येक मास आवश्यकतानुसार घटता बढ़ता रहता है। अतएव इस सम्बन्ध में मासिक आधार पर कोई निश्चित रकम बतलाना सम्भव नहीं है।

श्री उग्रसेन—
श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो माननीय मन्त्री जी का कोई उत्तर है ही नहीं। मैं तो चाहता हूं कि आप माननीय मुख्य मन्त्री जी को डांटें कि वे अपने इस उत्तर को वापस लेलें क्योंकि यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री जी तो यह टालू मिक्स्चर पिलाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—
आप और सवाल कर लीजिये।

श्री उग्रसेन—
क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि छुटभैये मन्त्रियों पर प्रति मन्त्री प्रतिमास ४ हजार से लगायत ५ हजार रुपये तक और बड़भैये मन्त्रियों पर प्रति मंत्री ५ हजार से लगायत ७ हजार रुपये तक, उनके वेतन तथा बंगलों के रखरखाव और गमनागमन वगैरह पर खर्च होता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
जो कुछ अभी प्रश्नकर्ता महोदय ने प्रश्न के रूप में पूछा है वह असलियत से दूर है।

श्री उग्रसेन—
वह असलियत क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
वही है गजट में और नियमों के अन्तर्गत जो बातें बताई गई हैं उनके विपरीत बातें आप कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन—
माननीय बनारसीदास जी ने १३ जिलों का और माननीय मख्य मन्त्री जी ने १७ जिलों का दौरा किया है उसी का खर्च जरा बता दिया जाय?

श्री चन्द्रभानु गप्त—
अगर जिलों के दौरों के खर्च को उस खर्च में शामिल किया जा सकता है जिसमें कि माननीय प्रश्नकर्ता उसको दिखाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्रियों और मुख्य मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि आवश्यक कार्यों के सम्पादन के लिये जहां भी प्रदेश में आवश्यकता पड़े वह जायें और उनके ऊपर जो रेल, मोटर का खर्च पड़े वह चार्ज हो, उसमें मन्त्रियों के घर में या उन की पाकेट में, अलावा इसके, कोई अधिक लाभ नहीं होता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि आजकल उन्हीं के कहने के मुताबिक सूबे में एमर्जेंसी है और उसको देखते हुये जनता का मनोबल ऊंचा रखने के लिये यह आवश्यक है कि मन्त्रि-परिषद् के आज जो दौरे हो रहे हैं और उन पर जो अधिक अनावश्यक खर्च हो रहा है उसको बन्द किया जाय और उस पैसे को जरूरी कांस्ट्रक्टिव वर्क में लगाया जाय, ऐसी योजना पर वह विचार कर रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
मन्त्रियों के दौरों पर जितना व्यय होता है वह जितना प्रश्नों के पूछने में और सदन की कार्यवाही बढ़ाने में खर्च होता है वह उसके अनुपात में बहुत कम है। जो मन्त्री जनता का मनोबल बढ़ाने के लिये दौरों में खर्च करते हैं और इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह जनता के मनोबल को कमजोर करने के लिये पूछे जाते हैं।

श्री उग्रसेन—
श्रीमन्, यह जनता का मनोबल तोड़ते हैं इनके दौरे बन्द कराइये।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—
यह देखते हुये कि प्रतिवर्ष जनता पर टैक्स का भार बढ़ता जाता है क्या मख्य मन्त्री जी अपनी मिनिस्ट्री को कम करने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
जनता के ऊपर टैक्स का भार बढ़ता जा रहा है और अभी और बढ़ेगा, ज्यों-ज्यों इस सूबे की जिम्मेदारी हमें निभानी होगी यह भार बढ़ेगा। एक-एक प्रश्न पर यहां दस हजार रुपया खर्च होता है मैं, उन लोगों से जो यहां प्रश्न लाते हैं, कहूंगा कि वह सोचें और इनमें बढ़ोत्तरी न लायें।

श्री बलवानसिंह—
यह देखते हुये कि इस देश पर संकट है क्या मंत्री जी अपने पास यह सुझाव रखेंगे कि किसी मन्त्री पर हजार रुपया से अधिक व्यय न हो?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मन्त्री बेचारा हजार रुपये खर्च नहीं करता, उसको ९०० या पौने ९०० मिलता है, वह आने जाने का अलाउन्स भी नहीं लेते बल्कि और उन को आने-जाने घूमने फिरने में शारीरिक परेशानी ही होती है, उनको आने जाने में कोई भत्ता भी नहीं मिलता।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि इस मन्त्रि-मंडल पर डाक्टर सम्पूर्णानन्द के मन्त्रि-मंडल से ज्यादा खर्च हो रहा है या कम खर्च हो रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

हमारा मन्त्रि-मंडल जो बड़ा लम्बा चौड़ा बताया जाता है उसका पे बिल सन् १९५७ के पे बिल से भी कम है। मैं हालांकि उनकी इस बात को मानता नहीं लेकिन हमारा खर्च उससे कम है।

*१५-१६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[२८ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

मन्त्रि-मण्डल घटाने का सुझाव

*१७—श्री यादवेन्द्रदत्त, श्री उग्रसेन तथा श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या जनता की मांग तथा इमरजेंसी तथा पंजाब ने जिस तरह मन्त्रि-मंडल घटाया है इन बातों को देखते हुये उत्तर प्रदेश सरकार अपना वृहत् मन्त्रि-मण्डल घटाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं।

*१८-१९—श्री उग्रसेन—

[२० फरवरी, १९६३ के लिये प्रश्न ३५-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

निर्माण योजनाओं पर व्यय

*२०—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय संकट को ध्यान में रखते हुये हमारे राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या परिवर्तित बातों की एक रूप-रेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

नियोजन मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना के स्वरूप में अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। परन्तु राष्ट्रीय संकट को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय विकास परिषद् एवं योजना आयोग के सुझावों के आधार पर राज्य की वार्षिक विकास योजना (१९६३-६४) की प्राथमिकताओं (priorities) का संशोधन अवश्य किया गया है। १९६३-६४ की वार्षिक योजना के लिये पूर्व निर्धारित एवं संशोधित धनराशि की एक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७३७-७३८ पर)

*२१—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय संकट को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय नियोजन बोर्ड ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार को मिलने वाले धन में कमी कर दी है? यदि हां, तो कितनी और इससे हमारी योजना के किन पहलुओं पर और क्या प्रभाव पड़ेगा?

नोट—तारांकित प्रश्न १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री हरगोविन्दसिंह—

योजना आयोग ने राज्य को तृतीय पंचवर्षीय योजना में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में अभी-अभी कटौती नहीं बतलाई है। फिर भी देश में संकटकालीन अवस्था के कारण राज्य को १९६३–६४ में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता पूर्व-अनुमानित लगभग ७० करोड़ रुपये से घट कर अब ५७.६ करोड़ रुपये रह गई है। इस कटौती के कारण प्रदेश को अगले वर्ष की योजना का आकार पूर्व अनुमानित लगभग १०३.४८ करोड़ से घटाकर लगभग ९२ करोड़ रुपये पर निश्चित करना पड़ा।

*२२—श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[२० फरवरी, १९६३ के लिये प्रश्न ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२३—श्री सुरेंद्रविक्रम तथा श्री केशवसिंह (जिला शाहजहांपुर)—

[२८ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

सुरक्षा समितियों में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व

*२४—श्री झारखंडेराय—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसा परिपत्र जारी किया गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी को किसी स्तर की सुरक्षा समिति में न लिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं।

*२५—श्री झारखंडेराय—

यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार उस परिपत्र की प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना संघ एवं गन्ना समिति, लखनऊ की मांग

*२६—श्री बालकराम वैश्य (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ ने प्रदेश की सहकारी गन्ना समितियों के लिये यह प्रतिबन्ध लगाया है कि वह सदस्य जिसका सगा सम्बन्धी उस गन्ना समिति की सेवाओं में होगा वह न तो उस समिति की डाइरेक्टरी के लिये चुना जावेगा और न नामजद किया जायेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ऐसा कोई प्रतिबन्ध उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि० लखनऊ ने प्रदेश की सहकारी समितियों पर नहीं लगाया है अलबत्ता सहकारी गन्ना समितियों के लिये प्रस्तावित आदर्श नियमावली में ऐसा प्राविधान अवश्य है किन्तु गन्ना समितियां इस प्रविधान को अपनायें या न अपनायें, यह उनकी स्वेच्छा पर निर्भर है।

*२७—श्री बालकराम वैश्य—

यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ, जो कि सहकारी गन्ना समितियों की एकमात्र सर्वोच्च संस्था है उसकी नियमावली में इस प्रकार का प्रतिबन्ध क्यों नहीं रखा गया और क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड लखनऊ की सेवाओं में पुत्र और कार्यकारिणी समिति में पिता की नियुक्ति की गयी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि० लखनऊ की नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। अनुमानतः उसकी विशेष साधारण सभा ने ऐसे प्राविधान की आवश्यकता नहीं

समझी । जी हां, कार्यकारिणी समिति के एक सदस्य का पुत्र १९५३ से गन्ना संघ की सेवाओं में है ।

*२८—श्री बालकराम वैश्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ११ मई, १९६२ को एक मेमोरैन्डम उत्तर प्रदेशीय गन्ना संघ एवं गन्ना समिति, कर्मचारी यूनियन लखनऊ ने गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ को कर्मचारियों की कुछ आवश्यक मांगों के विषय में प्रेषित किया था जिस की प्रतिलिपियां उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री तथा गन्ना विकास मन्त्री को भी प्रेषित की गयी थी, तथा उस यूनियन के प्रधान और कर्मचारियों का एक शिष्ट मण्डल क्रमशः ३ अक्तूबर, १९६१ व ७ दिसम्बर, १९६१ तथा ५ जनवरी, १९६२ को उन से इस के विषय में मिला भी था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उत्तर प्रदेशीय गन्ना संघ एवम् गन्ना समिति कर्मचारी यूनियन, लखनऊ ने ११ मई, १९६१ को न कि ११ मई, १९६२ को, एक मेमोरैन्डम गन्ना आयुक्त को प्रस्तुत किया था । उक्त मेमोरैन्डम की मांगों पर गन्ना संघ की कार्यकारिणी कमेटी ने पूर्ण विचार किया और उपर्युक्त यूनियन के प्रधान से भी विचार विमर्श किया । यूनियन की उचित मांगों को गन्ना संघ ने स्वीकार कर लिया है । जिन मांगों को संघ ने अनुचित समझा उन्हें अस्वीकार कर दिया और कुछ मांगे अभी विचाराधीन हैं । इस कर्मचारी यूनियन के प्रधान इस मेमोरैन्डम के विषय में गन्ना आयुक्त से भिन्न-भिन्न तारीखों में मिले थे ।

इलाहाबाद में कथित वायरलेस सेट

*२९—श्री राजेन्द्रसिंह तथा श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इलाहाबाद नगर में २० दिसम्बर, १९६२ से ८ जनवरी, १९६३ के बीच कोई अवैधानिक वायरलेस सेट पकड़ा गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं, उल्लिखित तिथियों के बीच इलाहाबाद में ऐसा कोई अवैधानिक ट्रान्समिशन सेट नहीं पकड़ा गया ।

*३०—श्री राजेन्द्रसिंह तथा श्री लोकपालसिंह—

यदि हां, तो वह किस के यहां पकड़ा गया है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रश्न नहीं उठता ।

कलेक्ट्रेट पुनर्गठन

*३१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कलेक्ट्रेट के पुनर्गठन के सम्बन्ध में के० के० दास आयोग की नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां । श्री दास को इस कार्य के अलावा और भी इसी प्रकार के कार्यों के लिये पुनस्संगठन आयुक्त नियुक्त किया गया था । कलेक्टरियों से सम्बन्धित रिपोर्ट की प्रति† सदन की मेज पर रखी है ।

---

† छापी नहीं गई ।

*३२—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपरोक्त आयोग की रिपोर्ट पर अमल अभी शुरू हुआ या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अमल १ जनवरी, १९५७ से शुरू हो गया था।

हैन्डलूम वीवर कोआपरेटिव सोसाइटीज में कर्मचारियों का स्थायीकरण

*३३—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हैन्डलूम वीवर कोआपरेटिव सोसाइटीज में १०९ जगहों के लिये एक जी० ओ० नं० २४५९ (S)XVIII-६-२२७/E (S)/५८ द्वारा स्थायी घोषित की गयी थी और इस जी० ओ० को निदेशक, उद्योग विभाग को ३० जून, १९६० को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा गया था। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और क्या वे १०९ जगहों पर, जो कर्मचारी या अधिकारी कार्य कर रहे थे, वे स्थायी कर दिये गये ?

श्री फूलसिंह—

(क) जी हां।

(ख) अभी तक ३ कर्मचारी स्थायी किये गये हैं। १६ जगहें abeyance में रखी गई हैं। शेष ९० जगहों पर कर्मचारियों को स्थायी करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ?

*३४—श्री ऊदल तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[हटा दिया गया।]

*३५-३६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[२८ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*३७—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[२८ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

मुरादाबाद जिले में अपराध

*३८—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में १ जनवरी, १९६२ से तारीख ३१ दिसम्बर, १९६२ तक हर थाने में crime नम्बर कितना रहा और जिस थाने में सब से ज्यादा है उसका क्या नाम है और क्राइम ज्यादा होने का क्या कारण है ?

*३९—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में तारीख १ जनवरी, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक कितने थानेदारों और एच० सी० (Head constable) के खिलाफ शिकायती दरख्वास्तों की जांच हुई और किन-किन अधिकारियों द्वारा हुई और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वांछित सूचना एकत्र करने में जितना श्रम, धन तथा समय व्यय होगा वह प्रश्नों की उपयोगिता को देखते हुये उचित नहीं प्रतीत होता।

*४०—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

[२८ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*४१-४२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

[२८ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या लघु उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें गोरखपुर जिले के ४ विधायकों का एक पत्र, जिसके साथ जिलाधीश के नाम भी लिखित पत्र संलग्न है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री फूलसिंह—

(क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार कोई कार्यवाही नहीं करने जा रही है क्योंकि छानबीन के बाद यह मालूम हुआ कि कथित पत्र में लिखी शिकायतें निराधार हैं ।

गोरखपुर जिले में लघु उद्योग जांच उप-समिति की रिपोर्ट

*४४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या लघु उद्योग मन्त्री, १५-९-६२ को जिला उद्योग विभाग, गोरखपुर के प्रस्ताव के अनुसार जो कमेटी लघु उद्योगों के जांच हेतु बनायी गयी थी उसकी रपट की नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री फूलसिंह—

जिला उद्योग विभाग नामक कोई संस्था नहीं है । यद्यपि एक उप-समिति जिला उद्योग समिति के प्रस्ताव के अनुसार १५-९-६२ को बनाई गई थी । इस उप-समिति की रिपोर्ट की एक प्रति †संलग्न है ।

ललितपुर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के विचाराधीन गबन का मुकदमा

*४५—श्री बनवारीलाल विप्र—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर (जिला झांसी) के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में कोई गबन सम्बन्धी केस किसी भूत पूर्व विधायक पर भी चल रहा है ? यदि यह सत्य है, तो उपरोक्त मुकदमे में कितने अभियुक्त हैं और भूत पूर्व विधायक का सम्बन्ध किस राजनैतिक दल से था व है ? अभियुक्तों के नाम व उनके पद क्या थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, ऐसे चार मुकदमे अदालत के विचाराधीन हैं । इन मुकदमों में कुल १० अभियुक्त हैं जिनके संबंध में वांछित सूचना संबद्ध तालिका में दी गई है । जो भूतपूर्व एम० एल० ए० अभियुक्त हैं वह कांग्रेस टिकट पर १९५७ में निर्वाचित हुये थे परन्तु उनका संबंध अब किस दल से है यह सरकार को ज्ञात नहीं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७३९ पर)

*४६—श्री बनवारीलाल विप्र—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त मुकदमे को सरकार न्यायालय से वापस लेने का विचार कर रही है ? यदि यह सत्य है, तो मुकदमे के वापस लिये जाने के क्या कारण हैं ?

---

† छापी नहीं गई ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मुकदमे को वापस लेने के लिये एक प्रार्थना-पत्र कुछ अर्सा हुआ प्राप्त हुआ था। वह सरकार के विचाराधीन है ।

*४७—श्री बनवारीलाल विप्र—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त केस में मुलजिमों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट कब दी गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

चार्जशीट २ अप्रैल, १९६२ को न्यायालय में दाखिल की गई ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[२८ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

रिहन्द बांध बिजली की दर

२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध की बिजली आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर जिलों को कब तक प्राप्त हो सकेगी और प्रति यूनिट पर क्या किराया देना होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जिला आजमगढ़ और बलिया को रिहन्द से बिजली, मऊ तथा गोरखपुर वाष्प विद्युत् गृहों को रिहन्द से जोड़ने की परियोजना पूरी होने पर दी जायेगी । जिला गाजीपुर में जो जगहें गंगा नदी के दक्षिण में पड़ती हैं वहां पर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है । रिहन्द से बिजली सप्लाई की वर्तमान दरों की एक प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७४०–७४१ पर)

३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[२८ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

चीनी मिलों की स्थिति

४—श्री गेंदासिंह—

क्या गन्ना तथा शक्कर विकास मन्त्री कृपा कर एक ऐसी तालिका सदन की मेज पर रखेंगे जिससे निम्नलिखित जानकारी की जा सके :

(क) प्रदेश की चीनी मिलों ने १५ जनवरी तक कितना गन्ना पेरा है, उस से कितनी चीनी बनी तथा प्रत्येक मिल की प्रतिशत रिकवरी क्या प्राप्त हुई है ?

(ख) उपरोक्त जानकारी गत वर्ष की इस अवधि की क्या है ?

(ग) गत सीजन के अन्त में मिलों के जिम्मे कर-सोसाइटियों के कमीशन तथा गन्ने की कीमत कुल कितनी प्रत्येक मिल पर देय थी और उसमें से अब तक कितना बकाया है ?

(घ) चालू सीजन में गत १५ जनवरी तक उपरोक्त रकमें कितनी देय थीं और उनमें से अब तक कितना बाकी है ?

(ङ) मिलों ने कितना धन केन यूनियनों और कोआपरेटिव बैंक से कर्ज लिया है ?

चन्द्रभानु गुप्त---

(क व ख) निर्दिष्ट तारीख तक इस वर्ष और गत वर्ष इसी अवधि में गन्ना पेरने, चीनी उत्पादन और मिल की प्रतिशत रिकवरी के आंकड़े संलग्न† तालिका "क" में दिये हुये हैं ।

(ग व घ) ३१ जुलाई, १९६२ तक मिलों द्वारा जो सेस क्रय कर सोसाइटी कमीशन व गन्ने की कीमत देय थी और ३१-१२-६२ तक जो बकाया रही उसका मिलवार विवरण संलग्न तालिका *"ख" व "ग" में दिया गया है ।

(ङ) वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है । साधारणतया मिल केन यूनियन या कोआपरेटिव बैंक से कर्ज नहीं लेतीं ।

गोरखपुर में केन डेवलपमेंट कौंसिल

५---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में केन डेवलपमेन्ट कौंसिल कहां-कहां पर स्थापित हैं तथा उनके चेयरमैन कौन-कौन सरकार द्वारा इस वर्ष नामांकित किये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

गोरखपुर जिले में जिन स्थानों पर केन डेवलपमेन्ट कौंसिल स्थापित हैं और उनके जो चेयरमैन हैं उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७४२ पर)

६---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या सरकार यह भी जांच करा कर एक रपट सदन की मेज पर रखेगी कि चेयरमैन के पद पर जिन लोगों का नामांकन किया गया है उन लोगों में से कितने लोग गन्ने की खेती करते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

श्री गौरीराम गुप्त, चेयरमैन, केन डेवलपमेन्ट कौंसिल, फेरेन्दा के अतिरिक्त गोरखपुर जिले की अन्य कौंसिलों के शेष चारों चेयरमैन गन्ने की खेती करते हैं ।

गौरी बाजार गन्ना सहकारी संघ

७---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के गौरी बाजार गन्ना सहकारी संघ के पास १९६२-६३ सीजन के गन्ने के दाम की पुर्जियों को भुगतान के हेतु पेश करने के समय गायब कर लेने के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें मिली थीं ? शिकायतों के आधार पर क्या कुछ कर्मचारी मुअत्तल किये गये थे ? यदि हां, तो क्या वे पुनः काम पर रख लिये गये और क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

वर्ष १९६२-६३ में गन्ने के दाम की पुर्जियों के गायब कर लेने के सम्बन्ध में गौरी बाजार गन्ना संघ को अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अतः इस सम्बन्ध में कर्मचारियों के मुअत्तल करने आदि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

† छापी नहीं गई ।

८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या गन्ना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के गौरी बाजार गन्ना सहकारी संघ की ओर से सन् १९६१–६२ सीजन के पूर्व के कर्जों की वसूली किन-किन लोगों से कितनी कितनी नहीं हो पायी है ? वसूली न हो सकने का कारण क्या है और जिनके जिम्मे कर्जे की रकम बाकी है उनमें कितने लोग वर्तमान गन्ना सहकारी बोर्ड के डायरेक्टरों के पिता-माता, भ्राता, चाचा, आदि सम्बन्धी हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, गौरी बाजार में वर्ष १९६१–६२ सीजन के पूर्व के कर्जे की बकाया का मूलधन ४७,९७४ रु० ७३ न० पै० की वसूली ८९६ सदस्यों के ऊपर रह गई थी। बकायादारों की सूची काफी लम्बी होने के कारण उसके बनाने के लिये अधिक समय की आवश्यकता होगी। बाढ़ के कारण गन्ने की फसल कम हुई अतः किसानों की आय में कमी के फलस्वरूप वसूली भी कम हुई; साथ ही गन्ने की अन्य मदों में खपत होने से भी वसूली पर प्रभाव पड़ा। समिति ने कर्जेदारों के ऐसे सम्बन्धियों की, जो कि समिति में डाइरेक्टर हैं, कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रान्तीय रक्षक दल व शिक्षा संस्थाओं में सैनिक शिक्षा

९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय रक्षा दल का पुनर्संगठन करने और स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में सैनिक शिक्षा लागू करने पर सरकार का कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

चालू वित्तीय वर्ष में प्रान्तीय रक्षक दल का पुनः संगठन करने पर १७,६५,००० रुपये और नेशनल कैडिट कौर्प्स (राइफल) स्कीम (National Cadet Corps (Refle) Scheme) तथा प्रदेशीय शिक्षा दल पर १४,००,००० रुपये का अनुमानित व्यय होगा।

फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्टरी, रामगढ़

१०—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार को मालूम है कि उनके संरक्षण में फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्टरी, रामगढ़ में कुछ लाख का माल सड़ गया है जो बिक्री योग्य नहीं है और ४,००० बोतलें डालीगंज फैक्टरी, लखनऊ में बेकार हालत में फलों के रस से भरी पड़ी हैं ?

श्री फूलसिंह—

फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्टरी, रामगढ़ में इतनी अधिक मात्रा में माल कभी नहीं सड़ा है। प्रतिवर्ष कुछ न कुछ माल अवश्य खराब हो जाता है जो कि लगभग २ या २ १/२ हजार रुपये मूल्य का होता है जब कि प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ दो लाख रुपये का माल बनता है।

डालीगंज फैक्टरी, लखनऊ में रस से भरी बोतलें बेकार हालत में नहीं हैं। रस भरी समस्त बोतलें बिक्री योग्य हैं और इनका विक्रय चालू है।

टेक्निकल स्कूल, झांसी में फीस

११—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी के टेक्निकल स्कूल में वहां के विद्यार्थियों पर सन् १९६० व १९६१ में कितनी फीस प्रति माह प्रति विद्यार्थी ली जाती थी व सन् १९६२ में कितनी प्रति माह प्रति विद्यार्थी ली जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिय नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७४३ पर)

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिये गये धन से सम्बन्धित रसीदों के बारे में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

अभी एक प्रश्न सुरक्षा कोष में दिये गये धन की रसीदों के बारे में उठा था। मैं बताना चाहता हूं कि असेम्बली विभाग से बहुत सी रसीदें दे दी गईं। जिन माननीय सदस्यों ने नकद रुपया दिया था उन सब को रसीदें दे दी गई हैं और जो पे में से कटा है उसकी रसीद का प्रश्न नहीं है, वह ट्रेजरी में जमा है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा) —

हमको रसीदें नहीं मिलीं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) —

हमको भी नहीं मिलीं।

श्री उपाध्यक्ष—

जब किसी अथारिटी को आपने लिख कर दिया तो रसीद का सवाल नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर) —

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख हुआ यह देख कर कि आप रसीद मंगा कर हम लोगों को दिखा रहे हैं। मैं समझता हूं रसीद के हम लोग उतने इच्छुक नहीं हैं। राष्ट्र के लिये जो हमने पैसा दिया है, हमको सरकार की नीयत पर विश्वास है कि वह राष्ट्र के लिये भेजेगी। किन्तु, छोटे अधिकारी या लेखपाल आदि जो गड़बड़ करते हैं उस विषय को लोगों ने उठाया है। अब उस पर एक अनावश्यक हीट पैदा हुई। मैं समझता हूं यह सदन की शोभा के लिये उचित नहीं है कि आप रसीद मंगा कर हम लोगों को दिखायें। हमको विश्वास है आपने उस रुपये को जो हम लोगों ने दिया है उचित रूप से भेज दिया होगा। इसलिये सदन में आप रसीद दिखायें यह उसके आदर्श और मर्यादा के लिये अच्छा नहीं है। अगर आपको रसीद दिखाना है तो माननीय सदस्यों को कमरे में बुला कर दिखा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां एलीगेशन किया गया था और मुख्य मन्त्री ने जवाब दिया था कि रसीदें दे दी गई हैं डिपार्टमेंट से, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रसीदें दे दी गई हैं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, माननीय राधेश्याम शर्मा जी ने विशेषाधिकार की अवेहलना का प्रश्न उठाया है तो आप कल सफाई दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को संतोष होना चाहिये और जिन सदस्यों को न मिली हो किसी वजह से वह उस के लिये दरयाफ्त कर लें।

प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान प्रश्न संख्या ३८ और ३९ की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो सवाल इतने महदूद हैं कि अगर मन्त्री जी एक चिट्ठी मुरादाबाद के एस० पी०

तो पूरे सवाल का जवाब आ सकता है। लेकिन मन्त्री जी ने कहा कि सवाल का जवाब देने में जो श्रम, धन तथा समय लगेगा वह सवाल की अहमियत से ज्यादा मालूम होता है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि आप मन्त्री जी से कहें कि इस सवाल का जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष —

मैं समझता हूं कि प्रश्न संख्या ३८ और ३९ के सम्बन्ध में सूचना कलेक्ट की जा सकती है बिला ज्यादा खर्च किये हुये। इसलिये आइन्दा से ऐसे सवालों का जवाब ठीक ढंग से होना चाहिये।

गृह उपमन्त्री (श्री नवलकिशोर) —

श्रीमन्, अगर आप प्रश्न को पढ़ें तो ३६५ दिन का ब्यौरा मांगा है।

श्री उपाध्यक्ष —

यह सब सूचना कलेक्टेड होंगी, उसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिये आइन्दा इसका ध्यान रखा जाय।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा —

माननीय उपाध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ जो विधान सभा द्वारा ८ फरवरी, १९६३ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के पारित हो कर दिनांक १३ फरवरी, १९६३ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा —

माननीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३ जो विधान सभा द्वारा ११ फरवरी, १९६३ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १३ फरवरी, १९६३ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा —

माननीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर नगर विकास मन्डल (संशोधन) विधेयक, १९६३ जो विधान सभा द्वारा दिनांक ८ फरवरी, १९६३ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के पारित हो कर दिनांक १३ फरवरी, १९६३ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ अक्तूबर, १९६२ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ६ दिसम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ५ फरवरी, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत तीन सूचनायें आयी हैं। उसमें एक सूचना श्री लखपतरामजी की है। उसका केन्द्रीय विषय से ताल्लुक है अतः वह यहां नहीं ली जा सकती ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

कम से कम बता तो दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

दूसरी सूचना श्री रामअधार कनौजिया की है। इस पर बहुत से सवाल हो चुके हैं और हमने इस नोटिस को उचित कार्यवाही के लिये मंत्री जी के पास भेज भी दिया है इसलिये इसको भी नामंजूर किया ।

तीसरी सूचना माननीय गिरजाप्रसाद की है । उस पर अभी सवाल हो चुके हैं और भी सवाल आने वाले हैं, एक जगह का मामला है और बहुत काफी चर्चा इस विषय पर हो चुकी है, इसलिये इसको भी अस्वीकार कर दिया ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय गिरजाप्रसाद ने जो प्रश्न जरवल मिल के बकाये पर दिया है बदकिस्मती से माननीय राजस्व मंत्री यहां हैं नहीं; कई बार मुख्य मंत्री से कहा एक बार उनकी मुख्य मंत्री से झड़प भी हो गयी थी। तो आपका यह कहना सही नहीं है कि इस पर प्रश्न हो चुके हैं। इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस विषय पर.....

श्री उग्रसेन—

आप बयान तो दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

उचित कार्यवाही के लिये भेज देंगे ।

बलिया जिले के कुछ ग्रामों की फसल बिहार प्रदेश के किसानों द्वारा काट लेने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री बृजबिहारी)—

हांस नगर और ज्योंही के गांव गंगा नदी के दियरा क्षेत्र में स्थित हैं जहां धूर धारा (डीप स्ट्रीम) का नियम लागू है। एक ओर बिहार का जिला शाहाबाद है और दूसरी ओर उत्तर

प्रदेश का जिला बलिया। नदी की गहरी धारा की जांच प्रति वर्ष होती है। पिछले वर्ष इस क्षेत्र में यह जांच १९-४-६२ को हुई थी। इस वर्ष शाहाबाद के जिला अधिकारियों से ५-१२-६२ इसके लिये निश्चित किया गया था, परन्तु वे निर्धारित तिथि पर नहीं पहुंचे और तब से उनको बार-बार याद दिलाया जा रहा है कि इस कार्य को पूरा करें।

पिछली जांच के अनुसार इन गावों पर शाहाबाद जिले के ब्रम्हपुर थाना का फौजदारी अधिकार क्षेत्र है और मालगुजारी के कागज बलिया जिले के अधिकारियों के पास हैं।

बलिया जिले के अधिकारियों के पास ऐसी कोई सूचना नही मिली है कि बलिया जिले के काश्तकारों ने जो फसल इस दियारी में बोई है उसके बारे में बिहार के नैनीजोर के गांव के निवासियों से कोई खतरा है। जिलाधीश, बलिया हालत पर अपनी दृष्टि सावधानी से रख रहे हैं और यह सरकार बिहार सरकार को पत्र लिख रही है कि वहां शान्ति कायम रहे और खेतों के असली मालिक अपनी फसल काटने से वंचित न होने पायें।

घाघरा नदी के किनारे गोपालनगर और कृष्णनगर गांवों का अधिकतर भाग बलिया जिले के सहतवार थाना के क्षेत्र में है और फौजदारी का अधिकार क्षेत्र जिला बलिया का है। मालगुजारी के कागज भी बलिया जिले के अधिकारियों के पास रहते हैं। इन क्षेत्रों से भी फसल के बारे में किसी खतरे की सूचना नहीं मिली है। जिलाधीश, बलिया ने आवश्यक कार्यवाही कर दी है कि फसल के मालिकों को समुचित सुरक्षा मिल सके। यहाँ नदी की धारा की जाँच पिछली बार १५-४-६२ को हुई थी। इस वर्ष की जांच अभी तक नहीं हो पाई है हालांकि बिहार के सारन (छपरा जिला) के अधिकारियों से नवम्बर व दिसम्बर में दो बार इसके लिये अनुरोध किया जा चुका है। जिलाधीश, बलिया ने टेलीफून पर भी उनसे बातें की हैं, परन्तु अभी जांच नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को पत्र द्वारा बिहार सरकार से जांच निपटाने के लिये अनुरोध कर रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अभी मन्त्री जी ने कहा कि इस साल धूरधारा का निश्चय नहीं हो पाया है बलिया और बिहार के बीच में। फसल काटने के केवल १५-२० दिन रह गये हैं और जैसा कि मैंने सूचना में कहा था, दस हजार एकड़ जमीन बलिया के किसानों की है और उस पर रबी की फसल खड़ी है तो इस धूरधारा का निश्चय कब तक हो जायगा ?

श्री बृजबिहारी--

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत दिनों से दोनों सरकारों के बीच में चल रहा है और इसके लिये प्रधान मन्त्री जो पंच मान लिये गये हैं। उन्होंने योजना कमीशन के सदस्य श्री सी० एम० त्रिवेदी से इसकी जांच के लिये कहा है। वह शीघ्र ही जांच करने वाले हैं और जल्दी ही इसका फैसला होने वाला है।

श्री काशीनाथ मिश्र --

श्रीमन्, मन्त्री जी ने जो कहा वह तो स्थायी व्यवस्था के लिये श्री सी० एम० त्रिवेदी मुकर्रर किये गये हैं। लेकिन जो अस्थाई व्यवस्था चल रही है उसके सिलसिले में सरकार की जिम्मेदारी है कि फसल तैयार होने से पहले ही धूरधारा निश्चित कर ले। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री बृजबिहारी--

श्रीमन्, मैंने निवेदन कर दिया कि बलिया जिले के अधिकारी सतर्क हैं और उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या मन्त्री जी स्पष्ट बतायेंगे कि जो दस हजार एकड़ में फसल बोई गई है, जब तक स्थायी हल न निकले क्या सरकार उस फसल को अपने द्वारा किसानों के हक में कटवाने का प्रबन्ध कर देगी ?

श्री बृजबिहारी—

श्रीमन्, मैंने तो निवेदन कर दिया कि इसकी समुचित व्यवस्था हो गई है और अगर कोई आशंका होगी तो जिलाधीश उसकी व्यवस्था अवश्य करेंगे।

श्री उग्रसेन —

समुचित व्यवस्था क्या हो गई है ?

श्री उपाध्यक्ष —

अब उन्होंने कह दिया है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया) —

मान्यवर, इस समस्या के सम्बन्ध में अनेक बार प्रश्न किये गये और मन्त्री जी ने जैसा कि सदन को सूचित किया कि पंडित जवाहरलाल जी पंच मान लिये गये हैं दोनों सरकारों की ओर से, यही सूचना गतवर्ष भी दी गई थी। अब तक इस दिशा में उनके द्वारा क्या कार्यवाही हुई है उससे मन्त्री जी अवगत करायेंगे और सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

श्री बृजबिहारी—

इस प्रदेश की सरकार की तरफ से स्मृति-पत्र भेजा जा चुका है और आशा की जाती है कि वे शीघ्रातिशीघ्र निर्णय कर देंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, एक साल का यह मामला नहीं है। हमेशा यह सवाल पैदा होता है कि हमारी तरफ के लोग बोते हैं और उधर के लोग काट ले जाते हैं और कभी-कभी दो चार कत्ल भी होते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सवाल माननीय प्रधान मंत्री जी के सुपुर्द किया गया था और उन्होंने उसको दूसरे पंच के सुपुर्द कर दिया तो उन पंचों ने कभी मौके पर जाकर देखा और नहीं देखा तो क्या इसके लिये राज्य सरकार प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करेगी कि यह मामला जल्द से जल्द तय कराया जाय ?

श्री बृजबिहारी—

प्रान्तीय सरकार की तरफ से कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामायणराय—

जो स्मृति-पत्र भेजा गया है उसके भेजने के पूर्व क्या सरकार की तरफ से यह जानने की कोशिश की गयी है कि इस समस्या का सही स्वरूप क्या है ? क्या वहां कोई सर्वेक्षण कार्य हुआ या वहां के लोगों से कुछ जानने के बाद यह स्मृति-पत्र भेजा गया ?

श्री बृजबिहारी—

श्रीमन्, मैंने निवेदन कर दिया कि यह प्रश्न बहुत दिनों से चला आ रहा है दोनों सरकारों के बीच में और इस पर विचार करके ही, लोगों से जानकारी करके भी, इस संबंध में प्रधान मंत्री जी को पंच मुकर्रर कर दिया गया है दोनों सरकारों की ओर से। ऐसे कामों में कुछ देर हो ही जाती है। प्रान्तीय सरकार भी उत्सुक है कि इस पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय हो जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मंत्री जी बार-बार यह कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार के जिम्मे कर दिया गया है। तो उसके जिम्मे तो बलिया-बिहार की परमानेन्ट बाउन्डरी का प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि लगभग ५० हजार एकड़ भूमि बलिया की बिहार में चली गयी है और उसमें से १५ या २० हजार

एकड़ जमीन यहां के लोग बोते हैं हर साल और बिहार के लोग उसकी फसल काट ले जाते हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक परमानेन्ट बाउन्डरी वहां दोनों सरकारों के बीच तय नहीं हो जाती है और वह नहीं बन जाती है तब तक अन्तरिम काल के लिये क्या व्यवस्था यह सरकार कर रही है कि यह फसल जो हमारे किसान बोते हैं वह बिहार के लोग न काट ले जायं ?

श्री ब्रजबिहारी---

मुझे आश्चर्य है कि इस उत्तर के बाद भी जिसमें बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है बार-बार वही प्रश्न दोहराया जाता है। इसका उत्तर तो वक्तव्य में भी और बाद में भी दिया जा चुका है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

हर साल की बात मंत्री जी नहीं बताते हैं और यह कह देते हैं कि उचित कार्यवाही की जा रही है। जो फसल हर साल किसानों की लूट ली जाती है बिहार की तरफ से उसका क्या प्रबन्ध हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष---

उसका उत्तर खत्म हो चुका।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

उपाध्यक्ष जी, दो सवाल इससे उत्पन्न होते हैं। एक तो स्थायी प्रबन्ध का और दूसरा यह कि जो जमीन हर साल यहां के किसान बोते हैं और बिहार के किसान काट लेते हैं और हर साल कत्ल होते हैं और लाठी-डंडे चलते हैं, तो प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बलिया जिले के किसानों के खेत की रखवाली करने के लिये कोई तात्कालिक प्रबन्ध कर रही है ताकि उनकी फसल दूसरे के द्वारा न काट ली जाय ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---

श्रीमन्, जैसा बतलाया गया, यह विवाद अभी चल रहा है और प्रधान मंत्री जी के सिपुर्द यह कर दिया गया है। वे किसी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज की सहायता से इस प्रश्न को हल करना चाहते हैं। यह सही बात है कि हमारे किसानों से हर साल झगड़ा होता है। अब कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम केन्द्रीय सरकार से यह कहें कि वे जल्दी फैसला करें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

इस बात को देखते हुए कि बलिया जिले में वहां पर लाठी और बल्लम आदि तक से झगड़े हो रहे हैं, सरकार क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे यह बन्द हो जायं ?

श्री बनारसीदास---

इसका उत्तर दिया जा चुका है। झगड़े होते हैं, कई कठिनाइयां हैं, यह सब ठीक है। हम केन्द्रीय सरकार से जल्दी फैसला करने के लिये प्रयास कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय काशीनाथ मिश्र और माननीय रामसुन्दर पाण्डेय जी एक बात का स्पष्ट उत्तर लेना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी से उसका आश्वासन चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं उनको वैसा उत्तर देने के लिये मजबूर नहीं कर सकता, जैसा वे उचित समझते हैं, उत्तर देते हैं।

श्री उग्रसेन---

वे यह उत्तर चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी यह आश्वासन दें कि जिनकी फसल लूट ली गयी है उनसे मालगुजारी नहीं ली जायगी ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

आप विराज जाइये, यह ठीक नहीं है। आप बैठ जाइये ।

कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---

श्रीमन्, सदन के कार्यक्रम के संबंध में दोनों सदन के माननीय सदस्यों का आग्रह यह था कि ईद पर कुछ छुट्टी बढ़ा दी जाय और ऐसी व्यवस्था कार्यक्रम की रहे जिससे कि माननीय सदस्यों को आने-जाने में सुविधा हो । मैं आपकी अनुमति से, संशोधित कार्यक्रम को सुनाये देता हूं । प्रोग्राम यह है कि २१ तारीख तक यह सदन चलेगा और २२ से २७ तक छुट्टी रहेगी और फिर २८ को यह सदन बैठेगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवारिया)---

मैं इसका विरोध करता हूं, इससे खर्चा बढ़ जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप पहले उनको पूरा सुन तो लीजिये, या उनको बोलने भी नहीं दीजियेगा ? यह अजीब बात है । वह खत्म कर लें, तब कहिये ।

श्री बनारसीदास---

इस प्रकार बजट के पास करने में थोड़ी कठिनाई होगी । इसलिये कुछ सदस्यों से परामर्श भी मैंने किया था । २ मार्च का शनिवार पहले नहीं लिया था । अब उस दिन भी वोटिंग होगी ग्रान्ट्स पर, और एप्रोप्रिएशन बिल सदन के सामने २७ मार्च को पेश किया जायगा । यह प्रोग्राम है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मेरा खयाल है कि सदन का यह आम मत है कि इसे मान लिया जाय ।

श्री उग्रसेन---

हमारा विरोध है, श्रीमन् ।

†उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ *(क्रमागत)

††श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा था कि जहां तक इस बिल की मंशा का सवाल है, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने अपना संशोधन प्रस्तुत करते समय स्वयं यह कहा था कि उसकी मंशा बहुत पवित्र हो सकती है । श्रीमन्, यह बड़े महत्व का बिल है और इस बिल के पास हो जाने के बाद कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है । सदन की यह इच्छा थी कि इधर के और उधर के माननीय सदस्य बैठकर इस पर कुछ विचार करें । मान्यवर, अगर इस योजना को पूर्णतया

---

†८ फरवरी, १९६३ की कार्यवाही में छपा है ।

*१३ फरवरी, १९६३ की कार्यवाही से ।

††वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दोष रहित मान लिया जाय, फिर भी पिछले तजुर्बे के आधार पर यह देखा गया है कि बहुत सी योजनाओं को हमने दोषरहित मान लिया, मगर जब उसके कार्यान्वियन का सवाल आया तो उसमें बहुत से दोष पैदा हो गये। इस विधेयक के भीतर भी कुछ कमियां हैं। भूमि संरक्षण की जो परिभाषा दी गयी है उसके कितने ही भयंकर परिणाम हो सकते हैं, उसका कितना ही दुरुपयोग हो सकता है, और उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। आप स्वयं इसमें देखें, यह जो दूसरी सूची है, जिसमें इस परिभाषा को पूरे रूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, भूमि संरक्षण के लिए केवल हम यही नहीं करेंगे कि खेत की मेड़ों के ऊपर खर-पतार लगा दें या मेड़ों को ऊंचा कर दें, वरन् इस बिल के पास हो जाने के बाद भू-संरक्षण अधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी भी काश्तकार को इस बात के लिए बाध्य कर सकेगा कि तुम कतार में फसल नहीं बो सकते। तुम्हें हरी खाद का इस्तेमाल करना होगा। खाद से संबंधित जितनी प्रक्रियाएं हैं चाहे वह खाद के संबंध की हों, या सिंचाई के संबंध की हों, उन तमाम प्रक्रियाओं के ऊपर पूर्णतया नियंत्रण भू-संरक्षण अधिकारी का होगा।

सूक्ष्म संकेत करने के बाद मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक अन्य समस्या की ओर ले जाना चाहता हूं। एक ओर आप यह कहते हैं कि हमने पुराने कानून को रिप्लेस करने के लिये यह नया कानून बनाया है। मंशा आपकी यह है कि इस दिशा में काम जल्दी हो। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी ने पिछले सालों में इस क्षेत्र में जो कार्य हुआ है उसको देखा है। मान्यवर, अन्य प्रदेशों की बात मैं क्या करूं, अन्य प्रदेशों के साथ जब हम अपने प्रदेश का मुकाबला करते हैं तो हम यह पाते हैं कि इस दिशा में अभी श्री गणेश भी नहीं हुआ है। पिछले वर्षों में बजट में जो भी धन हम देते हैं, उस धन का पूरा पूरा उपयोग कभी भी इस विभाग ने नहीं किया। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट हम को दी गयी है। इसमें यह लिखा हुआ है कि हमने ४०.४२३ लाख रुपया मंजूर किया था १९६१-६२ के लिए जिसमें कुल खर्चा हुआ २१.७६६ लाख। माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि बड़ा ही महत्व का काम है। उन्होंने कल बड़े ही मार्मिक ढंग से यह कहा था कि यह हवाई जहाज और कारखाने नाशवान हैं, लेकिन कोई भी जाति, कोई भी राष्ट्र, जो अपने खेतों की रक्षा नहीं कर सकता है, जो अपने धरातल की रक्षा नहीं कर सकता है जिसके ऊपर अन्न उत्पादित होता है, वह मिट जायगा और इस सिलसिले में उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरण भी दिया था। लेकिन मान्यवर, आज जो यह रिपोर्ट हमारे हाथ में दी गयी है इस रिपोर्ट में इस बात को बताया गया है कि इस के लिए जितना भी धन लेजिस्लेचर से मिलता रहा है इस विभाग को, उसका आधा भी खर्च नहीं होता रहा है। पिछले वर्ष हमारा लक्ष्य था कि हम ३ लाख एकड़ पर इस योजना के अन्तर्गत कार्य करेंगे लेकिन काम केवल ·०८ लाख एकड़ पर हुआ। एक तिहाई भी काम नहीं हुआ। इस पोथी को तैयार करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, संभव है कि माननीय मंत्री जी से उन्होंने परामर्श न किया हो क्योंकि माननीय मंत्री जी का कहना यह है कि पिछले कानून के मुताबिक योजनाओं को तैयार करने का जो यंत्र था वह स्वयं इतना दोषपूर्ण था कि जिसकी वजह से योजनायें समय से कार्यान्वित नहीं की जा सकती थीं। लेकिन इस पोथी को तैयार करने वालों ने मान्यवर यह कहा है कि हम निर्धारित धनराशि को इसलिये नहीं खर्च कर सके क्योंकि हमारे पास टेक्निकल परसोनेल का अभाव था। तो मान्यवर, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि हम जब यह कहते हैं कि इस बिल के ऊपर पूरी तरह से विचार किया जाय तो इसके सारे पक्षों के ऊपर माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहते हैं। केवल कानून में पिछली मशीनरी की जगह पर नयी मशीनरी के बना देने से यह काम नहीं होगा। उद्देश्य में उन्होंने कहा है कि चीनी आक्रमण से उत्पन्न जो भयावह परिस्थिति है जो आपातकालीन स्थिति है उस स्थिति में कृषि का बड़ा महत्व बढ़ गया है और उसमें हम क्रान्तिकारी ढंग से जुटना चाहते हैं, इस उद्देश्य से हम यह बिल लाये हैं। तो मैं उनसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस योजना के कार्यान्वियन के लिए जितने प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होगी उसको वे कैसे पूरा करेंगे, इधर भी उनका ध्यान होना चाहिये।

[श्री रामायणराय]

अब इसके बाद मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस योजना में जो उन्होंने जिला स्तर की कमेटी बनायी है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। उन्होंने उस जिला स्तर की कमेटी का चेयरमैन जिलाधीश को बनाया है और राज्य स्तर पर जो आपने कमेटी बनायी है उसका सभापति बनाया है कृषिमंत्री को। डेमोक्रेसी का दम भरने वाले लोग, या दम भरने की बात मैं नहीं करता, जो लोग प्रजातंत्र के नाम पर शपथ लेते हैं, जो शक्ति के विकेन्द्रीयकरण के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं उनके द्वारा जब सदन में इस तरह का कोई प्राविजन होता है तो हमें शंका होने लगती है कि आखिर होगा क्या ? जिस समिति में परिषद् का अध्यक्ष होगा वह अध्यक्ष उसका सभापति नहीं होगा, सभापति होंगे जिलाधीश महोदय। अब जिलाधीश महोदय, कृषि मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझसे ज्यादा तजुर्बा उनका है, बहुत सारी जिले की कमेटियों के सदर हुआ करते हैं। अमल में होता क्या है ? जिलाधीश महोदय को समय नहीं है। विभागीय अधिकारी जो कुछ उनसे कहते हैं लगभग मक्षिका स्थाने मक्षिका वही फैसला हुआ करता है। तो कोई लाभ नहीं होगा जिलाधीश को वहां बैठाने से, और फिर यह जनतंत्रीय संस्था का अपमान है कि जिस संस्था में हमारा परिषद् का अध्यक्ष होगा उसे तो सभापति परिषद् होने के नाते से ही उसका अध्यक्ष होना चाहिये था, जैसे राज्य स्तर पर आपने कृषि मंत्री को उसका अध्यक्ष माना है। खैर, यह सिद्धान्त की बातें हैं, पता नहीं कृषि मंत्री जी कहां तक इसे स्वीकार करेंगे। मैंने अपने विचार उनकी सेवा में रख दिये।

तीसरी बात, इस बिल में एक स्थान पर लिखा है कि संचालक महोदय या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जब तक सहमति नहीं देगा, टेक्निकल मामलों में जिला समितियों द्वारा लिये गये निर्णय तब तक अमान्य होंगे। मैं तो कृषि मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि यह सारा बिल ही टेक्निकल है। आपने जिले के स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से एक समिति बनाई और राज्य स्तर पर भी बनाई और पुनः कृषि संचालक को सारे अधिकार सुरक्षित कर दिये। हर मामला इसमें टेक्निकल होगा और टेक्निकल मामलों पर जिले के स्तर पर जो निर्णय होंगे और उन योजनाओं में जो परिवर्द्धन, संशोधन और परिवर्तन करना होगा, अन्तिम स्वरूप उसको देने का अधिकार संचालक महोदय को होगा। यह दोषपूर्ण व्यवस्था हमको दिखाई देती है। यही नहीं है, एक ओर तो यह कहा गया कि कोई भी योजना जब कार्यान्वित करने को होगी तो डिस्ट्रिक्ट सर्वेक्षण अधिकारी कहेगा काश्तकारों से कि तुमको अपनी मेड़ पर यह करना है और वह तैयार नहीं हुआ तो ऐसा भी इसमें प्राविजन है कि जहां पर कार्यान्वयन का प्रश्न है, किन्हीं हालतों में जिलाधीश महोदय बिना काश्तकार की अनुमति के या बिना उसकी सहमति के और बिना उसकी जानकारी के स्वयं अपने इनिशियेटिव पर कोई योजना प्रारम्भ कर सकता है। यह अधिकार इस बिल के अन्दर जिलाधीश को दे रखा है।

मान्यवर, मुझे एक बात पर हैरानी हुई, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि वर्तमान कृषि मंत्री जी किसानों के बहुत हमदर्द हैं, लेकिन जब मैंने यह देखा कि इस योजना पर खर्च होने वाला जो धन है, वह धन वसूल किया जायगा काश्तकार से तो.....

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)--

मैं अपने मित्र से एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मित्र जो एतराज कर रहे हैं वह सब ठीक है, लेकिन मैं उनसे यह दरख्वास्त करूंगा कि यदि यह न हो तो यह हो जाय, वह इस तरह की चीज बतलायें। अगर जिलाधीश न हो तो कैसे ज्यादा अच्छा काम हो, और ज्यादा ठीक काम हो वह चीज बतलायें। मान लीजिये एक किसान राजी नहीं होता है और उसकी वजह से ऊपर हजार किसानों का नुकसान हो रहा है तो फिर बताइये कि डेमोक्रेसी में उसको कैसे राजी किया जाय ?

श्री रामायणराय--

मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें बहस का प्रश्न नहीं है। इसमें बड़ी सद्भावना के साथ यहां पर बातें कही गई और मैं भी उसी भावना से यहां पर कह रहा हूं। इसमें यह कहा गया है

कि यदि कलेक्टर का यह विचार हो कि भूमि संरक्षण के लिये किसी कार्य का कराना जनहित में है तो उस कार्य के लिये उक्त अधिकारी नोटिस दे सकता है और उस कार्य के लिये जो व्यय होगा उस व्यय को उस काश्तकार से मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल करेगा। जिस प्रश्न की ओर मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि खेत की मेड़ पर जो कुछ नया कार्य होगा, उस भूमि के संरक्षण के लिये जो नई व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था को चलाने में जो भी पैसा खर्च होगा वह पैसा काश्तकारों से लिया जायगा। आज भूमि का मालिक कौन है? भूमि की मालिक सरकार है और खर्च का पैसा आप किरायेदार से लेने जा रहे हैं। आप शहर के मकान में रहते हैं। मकान टूटता है, फूटता है या उसमें सफेदी होती है और उस सफेदी के लिये आप कहें कि हजरत मकान में तुम रहते हो, तुमको इस टूट-फूट और सफेदी का खर्चा देना पड़ेगा तो मेरी समझ में मान्यवर, यह कुछ बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था किसानों के फायदे की नहीं होगी। कम से कम भू-संरक्षण की योजना के कार्यान्वयन में जो धन खर्च होता है, वह जब सरकार ही उस जमीन की मालिक है तो नेचुरल जस्टिस का तकाजा है कि सरकार स्वयं उस विकास पर, उस योजना पर होने वाले खर्च को वहन करे।

मैं अन्त में माननीय कृषि मंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो भूमि ली जायगी उसके लिये यदि कोई काश्तकार एतराज करना चाहे तो उसके लिये वह किसी अदालत की शरण में नहीं जा सकता इस विधेयक के अनुसार। उसे न्याय नहीं मिलेगा। जिन टेक्निकल विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर वह योजना चलायी जायगी उन्हीं के सलाह मशविरे से उसका फैसला हो जायगा, क्योंकि जिला स्तर पर जो कमेटी आपने बनायी है उसका संगठन ऐसा है जिसमें वह जो प्राविधिक विशेषज्ञ है उसकी राय को ही प्रमुखता दी जायगी। तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस मामले में भी उस काश्तकार को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार होना चाहिये।

खैर, इस मामले में संभव है कि मंत्री जी की राय मेरी राय से मेल न खाती हो, लेकिन एक बात मैं बड़ी मजबूती के साथ अर्ज करना चाहता हूं और जिसे आप स्वयं भी स्वीकार करेंगे कि कोई काश्तकार इन्कार कर देता है कोई काम करने से भू-संरक्षण का और विभाग द्वारा वह काम कराया गया तो उस योजना पर कितना खर्च हुआ उसका असेसमेंट करने का अधिकार उसको नहीं है जिसका वह खेत है, जिसकी जमीन पर वह काम हुआ है, बल्कि उसका अधिकार उसको होगा जिसकी देखरेख में वह काम हुआ है। अगर वह अधिकारी १० की जगह १०० कहेगा तो वह लैन्ड रेवेन्यू की तरह से उस काश्तकार से वसूल कर लिया जायगा। पहले माननीय कृषि मंत्री जी सिंचाई मंत्री भी रह चुके हैं। मैं उनके तजुर्बे से लाभ उठाना चाहता हूं। क्या उनके सामने ऐसी शिकायतें नहीं आयी हैं कि योजना पर खर्च हुआ कम, और कभी-कभी खर्च बिलकुल नहीं हुआ, और खासतौर पर माननीय राममूर्ति जी से अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि आजकल वे सिंचाई मंत्री हैं। बलिया जिले में कुछ गांव, जो रेवेन्यू पेपर्स में भी नहीं हैं, लेकिन उनको ऊंचा कर दिया गया.....

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)--
पुराना किस्सा है।

श्री रामायणराय--
नये रेफरेंस में मैं अर्ज कर रहा हूं। अगर आप बात न करते होते तो मेरा अभिप्राय समझने में आपको दिक्कत न होती। मैं यह अर्ज कर रहा था कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन का अंतिम दायित्व सरकारी कर्मचारियों पर है और उस पर होने वाले व्यय का अनुमान करना भी उन्हीं का काम है। १०० रुपया मेड़ बनाने में खर्च होगा, किन्तु यदि वे काश्तकार से कह दें कि यह मेड़ ५०० रुपये में बनी है तो वह रुपया उससे मालगुजारी की तरह से वसूल कर लिया जायगा। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस शक्ति के दुरुपयोग की पूरी-पूरी संभावना यहां बनी हुई है। हम लोग हवा में न बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम

[श्री रामायण राय]

लोग जिस देश के रहने वाले हैं और जैसा कि हमें योजनाओं का तजुर्बा है हमको मानना पड़ेगा कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा सौ रुपया जहां खर्च होता है वहां १ हजार रुपया बताया जाता है। अगर धनराशि के बारे में कोई विवाद उठता है तो उसका निर्णय करने का अधिकार कम से कम न्यायालय को तो दे दें। जन-कल्याण का कार्य है, अगर काश्तकार उसे करने को मना करता है और विभागीय अधिकारी द्वारा वह कार्य चलाना पड़ता है तो इस तरह से जो खर्चा हुआ उसका निपटारा न्यायालय द्वारा होना चाहिए।

कल माननीय मंत्री ने सदन को विद्वतापूर्ण ढंग से व्याख्या करके बताया कि भू-संरक्षण का सिद्धान्त क्या है और कैसे जमीन कटती और नष्ट होती है। मैं समझता था उसी सिद्धान्त के अनुसार कार्य प्रारम्भ होगा। सूची जो दी गयी है उसमें स्थायल इरोजन का प्रावीजन है और उन्होंने स्वयं बताया था कि बाढ़ और अति-वृष्टि के द्वारा भी जमीन का कटाव होता है। तो जो क्षेत्र इस मापदण्ड के आधार पर आते हैं उनका प्रारंभिक काल में कोई समावेश नहीं है। जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है उसी के आधार पर प्रत्येक प्रकार के जिले को रख लें। आंधियों से जो बर्बाद हो रहे हैं आगरा वगैरह और उधर हमीरपुर वगैरह और उसके साथ-साथ बाढ़ के प्रभाव से जहां खेती नष्ट हो रही है वहां भी दृष्टि जानी चाहिये और कार्य प्रारंभ होना चाहिये।

आखिर में एक परिभाषा की गयी है, उससे पूरब के जिलों में खासकर उन जगहों में काश्तकार अस्थायी भवनों में रहते हैं जहां पर पक्के मकान बनाना प्रकृत और प्रस्तुत परिस्थिति के विपरीत पड़ता है, वहां पर इस कानून के पास हो जाने के बाद एक भयावह स्थिति पैदा होगी। खन्ड १४ का स्पष्टीकरण है, "इस धारा के प्रयोजनार्थ 'भूमि' के अन्तर्गत कोई ऐसी भूमि नहीं है जिस पर कोई स्थायी प्रकार का भवन हो या जो किसी धार्मिक प्रयोजन के लिये प्रयुक्त होती हो।"

श्री चरणसिंह---

अगर आप कच्चे मकानों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो जो कच्चे मकान या झोपड़ी जंगल में डाल लेते हैं उनका क्या होगा? इस प्रकार से तो कोई भी कहीं झोपड़ी डाल लेगा और अपना कब्जा जमा लेगा। गांवों से इसका कोई संबंध नहीं।

श्री रामायणराय---

हम यह चाहते हैं कि जो ऐसे अस्थाई मकान हैं उन पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। अगर आप संतुष्ट हैं कि इस व्यवस्था से ऐसे गांवों पर कोई प्रभाव न पड़ेगा तो आप उसे रखें। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि यहां जो प्राविधान है उससे ऐसे गांवों को नुकसान होगा। इस बिल को पढ़ने से हमें तो ऐसा लगता है कि जिन काश्तकारों के हित में यह कानून बनाया जा रहा है, उनका यह अनिष्ट संपादन करेगा। हमारा यह कतई इरादा नहीं कि इस योजना को कार्यान्वित करने में एक दिन की भी देर हो, लेकिन हमारा यह कहना है कि लेजिस्लेशन पीसमील नहीं होना चाहिये। आपने स्वयं कबूल किया कि पहला कानून अधूरा था। उसका मेरे ऊपर यह असर पड़ा कि आप जो भी कानून बनाते हैं वह प्रयास और भूल के आधार पर बनाते हैं। आप एक कानून बनाते हैं और जब उसको अमल में लाते हैं तो असंगति उसमें पैदा होती है उसके लिये फिर आप दूसरा कानून बनाते हैं। क्या यह अच्छा न हुआ होता कि इस सदन में हमारी बात मानने में कदाचित् आपको कुछ दिक्कत हो हम सदन से बाहर एक छोटी-सी कमेटी में बैठते और अपना मत आपको देते और हमें पूरा विश्वास था और अब भी है कि उस कमेटी के चलते हम एक ऐसा कानून बना सकते थे जो इस प्रदेश के इंसानों के लिये, जो केवल कृषि पर आधारित हैं एक नया युग पैदा कर देता। माग्यवर, इन शब्दों के साथ माननीय कृषि मन्त्री जी से मैं यह आग्रह करूंगा कि वह कृपा करके सदन के दोनों तरफ के लोगों को बोलने का मौका दें, अनेक विचार व्यक्त करने का मौका दें और यह तभी संभव होगा जब कि आप इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इस विधेयक के लिये बधाई देता हूं । यह बहुत आवश्यक विधेयक है । इसकी आवश्यकता को सभी माननीय सदस्यों ने माना है । इस बिल को और माननीय मंत्री जी के भाषण को मैंने बहुत गौर से पढ़ा और मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि यह बिल बहुत ही अच्छा ड्राफ्ट किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी दो एक बार कहा है कि हम आजकल जितना भी विधान का कार्य करते हैं उसका एक विशेष परिणाम यह होता है कि सत्ता अधिकारियों के हाथ में अधिक चली जाती है। कोई कानून हम बनायें, उसको चलाने वाला कोई न कोई अधिकारी अवश्य होगा। इस विधेयक में वह चीज है। इसलिये ऐसा विधेयक पास करते समय मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इसके कार्यान्वयन में हमें बहुत सतर्कता बरतनी होगी। क्योंकि इसमें हम कुछ सरकारी अधिकारियों को ऐसे अधिकर दे रहे हैं जिससे इस प्रदेश की बहुत बड़ी जनता को, या यह कहिये कि जनसंख्या के बहुत बड़े प्रतिशत को उसके रोजाना के कार्य में सरकारी कर्मचारियों का हस्तक्षेप दिखेगा । मैं उसका विरोध नहीं करता क्योंकि प्लानिंग जब होगी और हमारी कंट्रोलिंग की इकोनामी होगी तो कई स्थानों पर हमें यह कार्य करने पड़ेंगे। और यह बात भी साफ है कि हमारे प्रदेश की बहुत भूमि, जैसा कि कल माननीय मंत्री जी ने कहा, ऐसी होती जा रही है जिसकी उपज कम हो रही है । कई वर्षों से मैं सदन में देख रहा हूं कि जब इस प्रकार की कोई बहस होती है तो माननीय सदस्यों की तरफ से एक ही एतराज होता है, और वह यह कि सब कुछ प्रयत्न करने के बाद भी हमारी उपज प्रति एकड़ नहीं बढ़ी है । हमारी उपज न बढ़ने का कारण यही है कि हमारी जमीनों की क्वालिटी नीचे गिरती चली जा रही है। इसलिये इस बिल का तो आना नितान्त आवश्यक था, परन्तु उसके कार्यान्वयन में काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है ।

अब दो तीन बातें इसके सम्बन्ध में मुझे और कहनी हैं । एक तो संगठन के विषय में है । जहां तक हमने देखा है, इस बात की काफी एहतियात बरती गयी है और काफी सतर्कता माननीय मंत्री जी ने इस विषय में रखी है कि उस योजना को पास कराने के बाद, उसको अन्तिम रूप देने से पहले उसे कई जगह ले जाया जायगा और हर एक को जो उससे सम्बन्धित है, यह अवसर होगा कि इस पर आपत्ति कर सके । एक स्थान पर मैंने देखा कि कलेक्टर के तीन मनोनीत सदस्य रखने की बात रखी गयी है । मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको आप जरा सोच लें । क्योंकि जब उस समिति में स्वयं कलेक्टर सभापति के रूप में मौजूद होंगे तो वहां उनके तीन मनोनीत सदस्यों के रखने में क्या तर्क है, सिवा इसके कि जब कभी कमेटी में राय लेन की जरूरत पड़े तो उनका लाभ उठाया जा सके । इसके सिवा और कोई लाभ नहीं होगा ।

इसमें एक और प्राविधान है ५ वर्ष तक अस्थायी कब्जे का । वह किसी योजना को पूरा करने के लिये आवश्यक हो सकता है और ऐसा होता है, उसका कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु इसमें आपको खासतौर पर सतर्कता बरतनी है । प्रायः देखा गया है कि किसी योजना के कार्यान्वयन के लिये बड़े कर्मचारी तो जाते नहीं हैं, वहां छोटे स्तर के कर्मचारी जाते हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि इसके कार्यान्वयन में वे बड़े कश्तकारों से कुछ बातचीत करके उन्हें तो छोड़ दें और छोटे काश्तकारों को फंसा दें । आप इस बात को समझ लें कि अगर कहीं ऐसा हो गया तो वे बड़ी आपत्ति में पड़ जायेंगे । इस बिल में इसका कहीं भी प्राविधान नहीं है । क्योंकि अगर किसी काश्तकार के पास १० बीघे जमीन है और उसकी जमीन कहीं ५ वर्ष के लिये ले ली गयी तो उसके लिये तो अगले ५ वर्ष के लिये कोई सहारा ही नहीं रह जायगा । तो इसको भी ध्यान में अवश्य रखना चाहिये कि इसका कोई प्रबन्ध हो जाय ।

इसमें एक और प्राविधान है दायित्वों के निर्वहन का । यदि लाभग्राही जो कार्य उसके सुपुर्द किया जाय उसे न करे, या कार्य करने से इन्कार कर दे या सन्तोषजनक रीति से कार्य न करे तो विभागीय कर्मचारी उस कार्य को करवा कर उससे रुपया वसूल कर लेंगे । यह भी जरूरी हो सकता है । परन्तु आपकी जो अनुसूची है उसको देखने से मैं यह नहीं समझ पाया कि वायु

[श्री जगदीशप्रसाद]

के प्रकोप से जमीन का कैसे कटाव होता है। भूड़ में आंधी की वजह से तो यह होता है कि रेत के ढेर इधर से कुछ उधर हो जायं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि शाम को यहां जमीन है और सुबह को वहां से कई फर्लांग दूर चली जाय। मेरी समझ से भूड़ की जमीन कुछ इधर से उधर हो जाती है जहां कि भूमि में कोई यूनिफार्मिटी नहीं होती, लेकिन मुझे किसी ऐसे भाग की जानकारी नहीं है जहां कि कटाव होता है। अब अनुसूची २ में जो जलसंरक्षण एवं भमि से सम्बद्ध विषय दिये हैं उसके २ (घ) को आप देखें, उसमें लिखा है कि "रेल पथ, नहर अथवा सड़क के बांध की पुलियों और जलमार्गों की संख्या बढ़ाना अथवा वर्तमान पुलियों इत्यादि को चौड़ा करना।" इसका मैं नहीं समझता कि क्या आशय है ? इसके लिये किसान से पैसा क्यों आप लेने को कहते हैं ? अगर कोई रेल की या सड़क की पुलिया चौड़ी की जायगी तो उसका खर्च किसानों पर डालना उचित न होगा। यह व्यय तो सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा वहन किया जाना चाहिये और किसानों पर इस का भार न पड़ना चाहिये।

यही दो तीन बातें मुझे कहनी थीं। बाकी मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो बहुत बड़ा अधिकार अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जा रहा है उसके विषय में बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल इस विधेयक को जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव पेश किया गया था उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय सदस्यों ने जो यह कहा कि प्रवर समिति को इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार दिया जाय वह मैं समझता हूं कि एक उचित मांग है। माननीय कृषि मंत्री जी ने जो इस विधेयक को सदन में पेश किया है मैं समझता हूं कि किसानों की दृष्टि से यह एक बहुत महवत्वपूर्ण विधेयक है और इसके अलावा बहुत सी और ऐसी बातें हैं कि जिनका इस विधेयक में समावेश होना चाहिये था। जहां तक भूमि संरक्षण का प्रश्न है इसकी विशद विवेचना और व्याख्या कल मंत्री जी ने की और उन्होंने उसमें स्वायल इरोजन और स्वायल कन्जर्वेशन की वही पुरानी बातें रखीं जो पुरानी भूगोलों की किताबों में दी हुई हैं। परन्तु व्यवहार में उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण को लेकर कई नये सवाल पैदा हो गये हैं जिन की ओर माननीय रामायण राय जी ने संकेत भी किया है। पूर्वी जिलों में बाढ़ और गंगा के कटाव से खेती की जमीन का नुकसान होता है और हजारों एकड़ जमीन जो खेती के काबिल होती है वह निकम्मी हो जाती है, या तो उसमें रेत व बालू बैठ जाती है या जमीन गंगा की धारा में बह जाती है। यदि आप सचमुच इस बिल को किसानों के हित में बनाना चाहते हैं और इस विधेयक को दमदार बनाना चाहते हैं तो पूर्वी जिलों में जो हर साल बाढ़ से गंगा और घाघरा के द्वारा कटाव होता है उसको रोकने के लिये इन नदियों को टेम किया जाय। बाढ़ का नतीजा यह है कि हजारों एकड़ के उधर ताल बन गये हैं और उस भूमि में पानी इकट्ठा रहता है। जहां अच्छी खेती हो सकती थी, वह जमीन निकम्मी हो गई है। इसको रोकने की व्यवस्था इस विधेयक में नहीं है। इस विधेयक की खंड १८ के उपखंड (२) व (३) को पढ़ें तो ऐसा मालूम होता है कि भूमि संरक्षण अधिकारी की हैसियत नये तौर से पैदा की गई है। भूमि संरक्षण अधिकारी को हक होगा कि वह भ्रष्टाचार चलाता रहे।

आपने लिख दिया इस धारा में कि अगर कोई योजना किसान अपने से नहीं बनाता है तो अधिकारी को अधिकार होगा कि वह भूमि संरक्षण की योजना कार्यान्वित करे और लाभ-ग्राही से मालगूजारी के रूप में वसूल करे। कितना लाभ होगा, क्या अनुपात होगा यह कौन नियत करेगा ? इसका अधिकार भूमि संरक्षण अधिकारी को दे रखा है। वह अधिकारी मनमाना खर्चा लगायेगा और साथ ही साथ किसान से घूस और रिश्वत का लेन-देन चलायेगा। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। सरकार की जब मंशा खासकर जमीनों से संबंधित होती है और किसान की भलाई के लिये कोई कार्यवाही करती है तो किसान जमीन के लिये आपको

लगान देता है, अगर किसान की ऊसर जमीन आप खेती के लायक बनाते हैं तो उसका कर्तव्य होता है कि वह आपको मालगुजारी दे । इसलिये लाभग्राही से जो वसूल करने का सवाल है वह धारा १८ की उपधारा (२) में दिया हुआ है । इसको मेरी राय से हटा दिया जाय और केवल इतना ही रखें कि अगर ऊसर जमीन को खेती लायक बनाते हैं तो प्रचलित कानून के अन्तर्गत आप उससे केवल लगान, मालगुजारी वसूल किया करें । आप इस संबंध में आधिकारी को कोई हक न दें जिससे भ्रष्टाचार चल सके । अच्छा हो यदि आप इस बिल को प्रवर समिति को दें जिसे परिधि बढ़ाने का अधिकार भी हो और स्वायल इरोजन और सर्वेक्षण के जो पुरानी भूगोल की किताब में लिखे हुए सिद्धान्त हैं उन्हीं के आधार पर इस बिल को न बनायें, बल्कि मौजूदा परिस्थिति में जो गंगा के कटान और बाढ़ से प्रदेश के पूर्वी जिलों की समस्या खड़ी हो गई है उन प्रश्नों को भी आप लें । इसलिये इसको जल्दबाजी में न पास करें बल्कि इसको प्रवर समिति में जाने दें ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ा उपयोगी बिल सदन के सामने रखा जिससे भूमि की रक्षा हो सकती है । मंत्री जी ने बताया कि ७ करोड़ एकड़ जो कल्टीवेबिल भूमि है उसमें से केवल ७ वां हिस्सा इस योग्य है कि जिस पर अन्न, फल इत्यादि उत्पादन कर सकें । अब देखना यह है कि जो भूमि हमारे पास है इसका हम अच्छा उपयोग करते हैं कि नहीं । मेरा अपना अनुभव है कि भूमि कल्टीवेबिल बनाने के लिये हम लोग भूमि का दुरुपयोग करते हैं । मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिनका १९२०-२१ से इस समस्या से संबंध रहा है और बहैसियत कुमायूं कमेटी के मेम्बर के मेरा अनुभव है कि हमारे यहां काश्त करने की गरज से, जंगल काटने की गरज से, हम लोग दरख्वास्त दे कर भूमि को नंगा करते हैं जिससे भमि का इरोजन हुआ है और देश का नुकसान हुआ है । मैं इसका एक दृष्टान्त दूंगा । जब कभी दरख्वास्तें दी जाती हैं तो एम० एल० एज० के प्रभाव से या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव से ऐसी ऐसी दरख्वास्तें मंजूर हो जाती हैं जहां भूमि को काश्त करने के लिये मंजूर नहीं किया जाना चाहिये ।

एक दृष्टांत में कोटद्वार का दूंगा । वहां पर ९ एकड़ भूमि है जिसमें खैर के पेड़ इसलिये लगाये गये थे कि उस भूमि की रक्षा की जाय और सड़क और नहर न कटें । लेकिन वह दरख्वास्त हाल में मंजूर हो गयी कि खैर के पेड़ काट कर उनसे कत्था बनाया जा रहा है और मंजूर किसने किया ? एक कलेक्टर ने । भूमि संरक्षण कमेटी में कलेक्टर भी रहेंगे । पहले कलेक्टर ने उसी भूमि को नामंजूर कर दिया था चूंकि उसमें इरोजन होने का खतरा था । वह कलेक्टर चले गये, दूसरे कलेक्टर ने यहां तक किया कि प्री-डेट करके मंजूर की है । मैंने उस भूमि का ११ फरवरी को फोटो लिया है । इसमें सरकार का भी दायित्व है । स्थानीय अफसर छानबीन कर के दरख्वास्तें मंजूर नहीं करते हैं बल्कि एम० एल० एज० और दूसरे प्रभावशाली लोगों के असर में आकर अपनी मंजूरी देते हैं । जिससे इरोजन होने लगता है । मंत्री ने बताया कि ४० करोड़ टन मिट्टी हर साल बह जाती है । आखिर वह कैसे होती है ? इरोजन होने के कारण इस बिल को आपने पहाड़ के हर जिले में लागू नहीं किया । इसीलिये मैंने प्रस्ताव किया है कि यह ऐक्ट सारे कुमायूं डिवीजन में लागू होना चाहिये । आपने सिर्फ टेहरी-गढ़वाल का नाम शेड्यूल में दिया है ।

श्री चरणसिंह—

मैं आपकी इजाजत से माननीय दोस्त को बतला देना चाहता हूं कि जिन जिलों का जिक्र है वह तो वे जिले हैं जहां आज मौजूदा ऐक्ट नाफिज है और यह जो बनने जा रहा है यह तो सारे सूबे के लिये है ही । इसके अलावा और भी स्वायल कंजरवेशन का कार्य हो रहा है ब्लाकों के जरिये । मसलन टेहरी में हो रहा है । यह ऐक्ट सब जगह नाफिज होगा । मुझे शिकायत यही तो है कि बिना पढ़े बात हो जाती है ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

जो सूची दी है उसकी बिना पर कह रहा था । अब मैं एक दृष्टांत और देता हूं । पिछले साल कुमायूं कमेटी की बैठक हुई । जिसका मैं सदस्य हूं । उसमें मैंने यह प्रस्ताव किया कि

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

जो पंचायती जंगल हैं उनमें लोग अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिये सस्ते दामों पर पेड़ दे कर उनको कटवा देते हैं। मेरा प्रस्ताव यह था और है और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर अमल करे कि पंचायती जंगलों में भी पेड़ तभी काटे जायं जब जंगलात के अफसरों की अनुमति हो और पेड़ों की जो असली कीमत होती है वह वसूल कर के पंचायतों की दी जाय। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हम लोग कोई न कोई बहाना निकाल लेते हैं कि इस पेड़ को कटवा लिया जाय क्योंकि यह कुछ काम का नहीं है। हम यहां खेती करेंगे। और नतीजा यह होता है कि आज इतना इरोजन हो रहा है। आज जो हमारे यहां इतने फ्लड्स आ रहे हैं उसका यही कारण है कि पहाड़ों में जंगल कटते जा रहे हैं। सरकार खुद उनको कटवाती है आमदनी करने के लिये।

जंगलात के जरिये करोड़ों रुपया पैदा कर रहे हैं और हर साल लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। जंगलात महकमे के जरिये जो पेड़ काटे जाते हैं उनकी जगह नये पेड़ भी लगाये जाने चाहियें। इसलिये देखा जाय कि हरेक कटे पेड़ की जगह नये पेड़ लगे या नहीं? अगर लग भी गये तो देखना यह है कि कितने पेड़ उनमें जिन्दा रहते हैं। जंगलों के कटने और इरोजन के कारण हमारा नुकसान हो रहा है और फ्लड्स अधिक आने लगे हैं।

हम मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि वे पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई के नये क्लासेज खोलने जा रहे हैं। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि ये क्लासेज फूलबाग तथा रुद्रपुर विश्वविद्यालय में खोले जायं। फूलबाग उपयोगी यूनिवर्सिटी है और जंगलों के नजदीक है इसलिये वहां पर उनको प्रेक्टीकल ट्रेनिंग भी मिल जायगी।

दूसरा सुझाव यह है कि आप लोग एक्सपर्ट्स तैयार करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितने एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो फारेन कंट्रीज से ट्रेनिंग लेकर आये हैं? उनसे आप क्या काम ले रहे हैं? वे किसी भी विभाग में हों ज्यादातर क्लेरिकल वर्क करते हैं। मैं कहता हूं कि जिस काम के लिये उनको ट्रेनिंग दी थी वह काम उनसे लीजिये। एग्रीकल्चर विभाग में एनीमल हस्बेन्डरी और सरकारी फार्म्स वगैरह भी हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि एक्सपर्ट्स का समय ज्यादातर आफिस में नष्ट होता है। इसलिए मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि शेड्यूल में टेहरी-गढ़वाल का नाम लिख दिया है, लेकिन अल्मोड़ा नैनीताल वगैरह का नाम नहीं लिखा गया है। इससे मैंने अनुमान किया कि यह बिल वहां पर लागू नहीं होगा। अगर वहां पर भी लागू होगा तो ये थोड़े से जिलों के नाम क्यों लिख दिये गये हैं। इसमें भ्रम हो सकता है कि यहां पर यह लागू न हो। इस सुझाव के साथ मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वे एक ऐसा बिल लाये हैं। यह भूमि की रक्षा के लिये है, वह भूमि जिससे देश की रक्षा होती है, वृक्षों की रक्षा होती है, पशुओं की रक्षा होती है और हमारे सौन्दर्य की रक्षा होती है और पहाड़ों की रक्षा होती है। ऐसी भूमि की रक्षा के लिये जो भी काम किया जाय वह थोड़ा है। यह सरकार का फर्ज है और हमारा भी फर्ज है कि हम सरकार को मदद दें और स्वायल कंजरवेशन और प्रिजर्वेशन आफ फारेस्ट्स हम सब को करना चाहिये।

*श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और श्रीमन्, मैं तो स्वागत करता ही हूं लेकिन हमारे विधान सभा के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण बात है कि काशीनाथ मिश्र जी ने भी एक सरकारी विधेयक का स्वागत किया है। क्योंकि आमतौर से उनकी यह प्रवृत्ति रही है कि सरकार की ओर से चाहे कितना ही रचनात्मक काम क्यों न किया जाय, लेकिन उनको तो विरोध करने में ही आनन्द आता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने तो संयुक्त प्रवर समिति में भेजने की बात कही थी और उसमें परिधि बढ़ाने का हवाला भी दिया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, माननीय सदस्य भाषण जारी रखें।

श्री कृष्णानन्द राय—

तो इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं, माननीय कृषि मन्त्री ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए जो ओपनिंग स्पीच दी उसका भी स्वागत करता हूं। बहुत ही भावपूर्ण और भावुकता पूर्ण शब्दों में उन्होंने अपने प्रदेश के धरातल की गिरती हुई दशा का वर्णन किया है। उनके भाषण से ऐसा पता लगता था कि जहां प्रदेश की चप्पा-चप्पा कृषि योग्य भूमि से उनका परिचय है वहां उसके प्रति पर्याप्त प्रेम भी है। उन्होंने एक अत्यन्त विषम भयानकता की ओर हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है कि करीब १ करोड़ ७० एकड़ भूमि ऐसी है जो मानव प्रयासों से खेती और सघन खेती के लायक बनायी जा सकती है और जो आज ऊसर, बंजर और नदियों के खादर के रूप में दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। उन्होंने बुन्देलखंड की रेगिस्तान होती हुई भूमि की चर्चा की, यमुना और बहुत सी नदियों के खादरों की चर्चा की। मेरी समझ में हालत उससे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि उन्होंने एकाध बातों की चर्चा नहीं की है, हालांकि मैं समझता हूं कि उनकी जानकारी अवश्य होगी। हमारे गाजीपुर जिले को ही ले लें। वहां कर्मनाशा नदी है। वहां जमुना और बुन्देलखंड के खादरों की तरह से सैकड़ों एकड़ भूमि ऐसी है जो कटती चली जा रही है और बहुत सी ऐसी भूमि जो उत्तर प्रदेश की है या बिहार की है यही झगड़े में कटाव के कारण रहती है। उसकी क्या दशा होगी खेती की दृष्टि से और स्वामित्व की भी दृष्टि से यह कहा नहीं जा सकता। हमारे जिले में एक पछोतर तहसील है। केन्द्रीय सरकार की एक नियोजन की समिति जो पूर्वी जिलों का दौरा कर रही है वहां भी गयी थी और पचासों मील का ऊसर उन लोगों ने वहां देखा। सादाबाद की बंजर भूमि को भी देखा जहां रेह की आंधी और तूफान धूल का उठता उन्होंने देखा। वह उन लोगों के पास भी गये जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई उद्योग नहीं हैं और जो अपनी भूमि पर नमक या रेह चाटकर किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वहां के गरीबों से उन लोगों ने पूछा कि तुम लोग किस प्रकार अपना भोजन पाते हो तो उन्होंने उनसे बतलाया कि हम लोग शीरा चाट कर गुजारा करते हैं।

माननीय कृषि मन्त्री जी ने जमुना के रेवाइन लैंड और बुन्देलखंड के ऊसर का जिक्र किया था, लेकिन उससे भी अधिक विषम स्थिति सारे प्रदेश में चल रही है। स्वाभाविक है कि जब भूमि के धरातल की ऐसी स्थिति हो तो कोई कदम सरकार उठाती और मुझे प्रसन्नता है कि वे इस विधेयक को लाये हैं जिसके माध्यम से इस स्थिति का मुकाबिला करना चाहते हैं। लेकिन दुख का विषय है कि सन् १९५४ में विधेयक स्वायल कंजरवेशन के लिये बनाया गया था। पता चला कि १९५९ तक वह लागू नहीं हो सका, हालांकि राज्य सरकार को प्रदेश की उस ऊसर और बंजर होती हुई भूमि की विषम परिस्थिति का, जो कि माननीय कृषि मन्त्री जी ने बताया है, ज्ञान जरूर रहा होगा क्योंकि अगर किसी सरकार को ऐसी विषम परिस्थिति की जानकारी न हो तो वह सरकार चल ही नहीं सकती। तो सन् १९५४ में विधेयक बना, १९५९ तक लागू नहीं हो सका और जब लागू होने का प्रयास हुआ तो साल दो साल बाद पता चला कि इसके प्रोसीजर में इतनी कठिनाइयां हैं जिनके कारण गाड़ी चलने वाली नहीं है। क्षेत्रीय स्तर पर योजनाएं बनाई जाती थीं, वह राज्य स्तर पर भेजी जाती थीं, फिर वहां से लौटती थीं, फिर आती थीं उनका गजट कराया जाता था, इस तरह लखनऊ से लेकर जिला स्तर तक आने जाने में ही वह योजना पड़ी रह जाती थी और काम नहीं हो पाता था। इसलिये यह विधेयक लाया गया है। इसको देखने से यह विदित होता है कि उसके प्रोसीजर में एक समता ला दी गयी है। जिला स्तर पर समिति बना दी गयी है। वह उसके प्लान को लेगी। वह फिर ब्लाक स्तर की कृषि समिति के पास भेज देगी जो उस पर विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप और बोलेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय—

अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय कृषि मन्त्री ने अपने प्रदेश की भूमि के धरातल की जिस स्थिति का वर्णन किया है उससे कुछ हालत कुछ खराब हुई है। उन्होंने बताया कि वायु और पानी दो प्रमुख कारण हैं, दो प्रमुख शत्रु हैं भूमि के धरातल के। इस विषमता का एक और कारण है जिससे प्रदेश की भूमि का धरातल दिन पर दिन गिरता जा रहा है। मैं अपने जिले गाजीपुर की स्थिति बताऊं। करीब एक चौथाई भूमि तो बाढ़ के प्रकोप में रहती है जो सदैव मिट्टी बाहर बहा कर ले जाती है और तीन चौथाई जिले को पानी ही नहीं मिलता। सैकड़ों वर्ष से कुछ ऐसी स्थिति चलती रही लिहाजा भूमि का रूप बंजर हो गया। यह सभी माननीय सदस्य स्वीकार कर रहे हैं कि बीमारी कुछ कड़ी है और कड़ी बीमारी के लिये कड़ी दवा भी होनी चाहिये।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, माननीय रामायण राय जी का यह आरोप था कि कुछ समझ में नहीं आया कि बिल का स्कोप इतना वाइडेन क्यों कर दिया है। सीधी लाइन से खेती न करने देना, किसी जमीन में खेती न करने देना, इसी प्रकार के अनेक कार्य इस विधेयक में लाय गये हैं। उन्हें भय है कि उसका दुरुपयोग होगा। लेकिन जब कि जमीन का धरातल दिन पर दिन गिरता जा रहा है तो इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कुछ गैर-जानकारी के कारण भी और इस कार्य से परिचित न होने के कारण भी किसान इस कार्य में संलग्न नहीं हो पा रहे हैं। अतः अगर कोई कार्यक्रम सरकार निर्धारित करेगी तो हो सकता है कि उन्हें कुछ कठिनाई महसूस हो। इस विधेयक में जो यह कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया है, स्वायल कंजरवेशन का, उसमें वाटर कंजरवेशन की स्कीम से लेकर मेड़ बनाने का काम, झाड़ियां लगाने का काम, सीधी लाइन से खेती करने का काम, जमीन की लेविलिंग का काम, यह सब कार्य रखे गये हैं। वह आवश्यक हैं यदि सचमुच गम्भीरता से स्वायल कंजरवेशन के काम को करना है।

मुझे कुछ संदेह जरूर है जो मैं माननीय मन्त्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। कभी-कभी ऐसा होता है कि दवा अच्छी होते हुए भी, यदि दवा का व्यय देने की क्षमता रोगी न रखता हो, तो न दवा जनप्रिय हो पाती है, न कोई उस दवा को करने का प्रयास करता है क्योंकि इस अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि हम लोगों के देश में जो गरीबी की स्थिति है, बहुत सी ऐसी खतरनाक बीमारियां जैसे टिटनिस आदि हैं, टिटनिस अगर किसी गरीब आदमी को हो जाय तो ८० रुपये का इंजेक्शन खरीद करके वह हरगिज दवा नहीं करेगा, मरना ज्यादा पसन्द करेगा। तो यह स्वायल कंजरवेशन की जो योजना कृषि मन्त्री जी लाये हैं, उसमें कुछ मैं यह खोज रहा था कि उस योजना का व्यय सरकार वहन करेगी या नहीं करेगी।

श्रीमन्, लैंड टैक्स बिल जब आया था तो मैंने उसका समर्थन किया था और समर्थन इन्हीं तर्कों पर किया था कि यदि आप चाहते हैं कि विकास हो और किसानों को अच्छा बीज मिले' अच्छी खाद मिले, इर्रीगेशन की योजना आ सके, स्वायल कंजरवेशन की योजना आ सके तो स्वाभाविक चीज है कि आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा और अगर उसमें कुछ वृद्धि हो तो उसे भी सहन करना पड़ेगा। मैं उस स्टैंड पर आज भी खड़ा हूं और यह स्वायल कंजरवेशन का कार्यक्रम हमारी समझ से सरकार का कार्यक्रम पूर्णतया होना चाहिये क्योंकि स्वाभाविक है कि बीज अच्छा देंगे किसान को तो उसका पैसा भी लेंगे...

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक सीड के पैसे का प्रश्न है, बिलकुल न्यायसंगत बात है। आप किसान को बीज दीजियेगा तो पैसा लीजियेगा, इसी तरीके पर पानी दीजियेगा तो उसका पैसा लीजियेगा। खाद दीजियेगा तो उसका पैसा लीजियेगा, इसका कोई विरोध नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि अभी सामने बैठे हुए विरोधी दल के साथियों ने कहा, यह तो एक तरह से प्रोटेक्शन है। बहरहाल, वह प्रोटेक्शन हो या डेवलपमेंट हो, मैं शब्दों के हेरफेर में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन कम से कम खेती की तरक्की के नाम पर यदि यही एक प्रोजना सरकार ले लेती स्वायल कंजरवेशन की और सरकारी व्यय से उसे लागू करती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जब मैं यह कह रहा हूं तो इसका यह प्रयोजन नहीं है, मेरे कहने का अर्थ कृषि मन्त्री जी यह न समझें कि मैं यह कह रहा हूं कि किसान हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे। मेरा तात्पर्य यह है कि इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। कुछ तो छोटी-छोटी योजनायें होंगी, जैसे खेतों की मेड़ बना देना, उस पर पतावर लगा देना या बांस लगा देना। यह तो किसान करेंगे और उसमें कुछ पसा भी व्यय हो तो उसको स्वीकार किया जा सकेगा। लेकिन, श्रीमन्, इसमें सैकड़ों एकड़ ऊसर भूमि की लेवेलिंग का भी प्रश्न आ सकता है, सैकड़ों एकड़ ताल से पानी के निकालने का भी प्रश्न आ सकता है और किसी ब्लाक या गांव में ऐसी कोई योजना ले ली गई और उसका व्यय किसानों पर लादा गया तो वह बर्दाश्त कर पायेंगे या नहीं.....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कृष्णानन्द जी, मैं आपको रोकता नहीं हूं, न रोकना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि कुछ आत्म-नियन्त्रण रखकर जितना संक्षेप कर सकें उतना करें।

(व्यवधान)

कोई समय मैं नहीं निर्धारित कर रहा हूं। केवल स्वेच्छा से आप आत्मनियन्त्रण रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि बड़ी योजनायें स्वायल कंजरवेशन की जब बनायी जायं, तो सरकार उसका व्यय बर्दाश्त करे या कम से कम सरकार उसमें शेयरर हो और कोई न कोई घोषणा, कृषि मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा, वह इस सम्बन्ध में जरूर करें जिससे कि यह योजना किसानों में अधिक जनप्रिय हो सके।

एक और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिला समितियों का जो रूप है, सही चीज है, मैं मानता हूं कि वह टेक्निकल रूप है और टेक्निकल आदमी उसमें अधिक रहेंगे। लेकिन जहां तक योजना के लिये पैसा प्राप्त करने का कार्य है यह टेक्निकल न होकर कुछ मानवीय भी है और उसमें जनता के प्रतिनिधियों का, चाहे वह ब्लाक प्रमुख हों, चाहे गांव सभा के प्रधान हों, चाहे जिला परिषद् के अध्यक्ष हों, चाहे एम० एल० ए० हों, उनकी कम से कम इस मामले में राय लेना बहुत ही आवश्यक होगा क्योंकि यदि आप लाखों रुपये की कोई योजना बना दें किसी ब्लाक में और वहां के लोग चाहे उसे स्वीकार करें या न करें, जिला समिति उसे फाइनलाइज कर दे, और उसके ऊपर रुपया आप किसानों पर लगा दें क्योंकि आपके अधिकारी समझते हैं कि स्वायल कंजर्वेशन जरूरी है क्योंकि वे एक्सपर्ट हैं, लेकिन शायद वह न समझ पायें जिसके लिये यह स्वायल कंजरवेशन किया जा रहा है, तो वहां ऐसी स्थिति में जन प्रतिनिधियों की विशेष आवश्यकता होगी। मैं डेमोक्रेसी का यह बुनियादी सिद्धांत मानता हूं कि जहां पर जनता से, किसानों से पैसा प्राप्त किया जाय तो उनके प्रतिनिधि का वहां पर बैठना बहुत ही जरूरी है जो पैसे वाले मामले पर या दूसरे मामलों पर राय दे सकें क्योंकि स्टेट स्वायल कंजरवेशन बोर्ड जो बना है उसमें मन्त्री जी रहेंगे और उप मन्त्री जी रहेंगे जो बड़े-बड़े मामलों पर अपनी राय देंगे, लेकिन उन छोटे मामलों में जन प्रतिनिधियों का रहना जरूरी मालूम होता है। मैं यह जरूरी समझता हूं इसलिये उन लोगों का उसमें रहना आवश्यक है। जिस प्रकार से स्टेट स्तर पर ये बड़े लोग रहें नौ जिले के स्तर पर जन-प्रतिनिधियों का रहना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखें कि जिले के स्तर पर जन-प्रतिनिधियों को रखा जाय। इसलिये

[श्री कृष्णानन्द राय]

मैं इन तीन सुझावों के साथ पूर्णरूप से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। वह तीन सुझाव यह हैं कि परिशिष्ट में जिन जनपदों को कृषि मन्त्री जी ने लिखा है उसके अतिरिक्त भी पूर्वी जनपदों को जैसे जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, देवरिया को भी इसमें जोड़ा जाय जिनकी गरीबी बहुत बढ़ी हुई है। पच्छिमी जिलों को उसमें रखा जाय। दूसरी चीज यह है कि कास्ट जो स्वायल कंजरवेशन की किसान पर पड़े वह सरकार स्वयं वहन करे या उसमें अपना कुछ शेयर करे। तीसरी चीज यह है कि जहां पर जनता से, पैसा प्राप्त करने का प्रश्न है वहां पर जन-प्रतिनिधि भी उस समिति में मौजूद रहें। इन तीन सुझावों के साथ मैं इस बिल का हार्दिक स्वागत करता हूं।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत है उसके लिये मैं मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। इसलिये कि यह ऐसा विधेयक है जो ८० फी सदी यहां के निवासियों से सम्बन्ध रखता है। आखिर में जो शिड्यूल दिया है उसमें १३ जिलों की संख्या देखकर मुझे निराशा हुई क्योंकि आज हमारे प्रदेश के सामने एक विकट समस्या इसलिये पैदा हो गई है कि बाढ़ग्रस्त एरिया बहुत ज्यादा इस प्रान्त में है। बाढ़ जब इस प्रदेश के अन्दर और खास तौर से पूर्वी जिलों के अन्दर आई तो उसका परिणाम यह हुआ है कि बाढ़ग्रस्त एरिया में मिट्टी का कटाव जारी हो गया है। अगर अभी शुरू में कोई उसकी हिफाजत का काम नहीं किया गया तो हो सकता है आगे चलकर यह समस्या और विकट रूप धारण कर ले। जो बड़े-बड़े जिले लिये गये हैं शायद उनको कुछ फायदा हो जाय....

श्री चरणसिंह—

माननीय मुकुन्दी लाल जी, कृष्णानन्द राय जी और कमलासिंह जी इन तीनों सज्जनों न एक ही बात कही कि उस शिड्यूल में अमुक जिले हैं और अमुक जिले नहीं हैं। एक मित्र उस बात को कह चुके थे। उसी बात को कृष्णानन्द राय ने दोहराया और फिर उसी बात को कमलासिंह जी दोहरा रहे हैं कि इस शिड्यूल में अमुक जिले लिये गये हैं और इन जिलों में ही काम होगा और दूसरे जिलों में काम नहीं होगा। उन्होंने इसको पढ़ने की तकलीफ गवारा नहीं की। खंड १ (२) में यह भी लिखा है कि "यह प्रथम अनुसूची में उल्लिखित जिलों में तुरन्त प्रचलित होगा। शेष जिलों में यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे और विभिन्न जिलों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।" मैं यह "प्रथम अनुसूची में उल्लिखित जिलों में यह तुरन्त प्रचलित होगा" आवश्यक नहीं समझता था, लेकिन हमारे ला एडवाइजर ने कहा कि इन जिलों में क्योंकि काम चल रहा है तो एक मिनट के लिये भी गैप न हो जाय इसलिये इसको सूची में दिया जाना चाहिये। हालांकि मैं उनसे इस बारे में मतभेद रखता हूं। तो यह सूची उन जिलों की है जहां काम चल रहा है। यह जारी तो हर जगह हो सकता है और होगा।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मन्त्री जी जल्दी में अपनी बात कह गये, लेकिन असल में जो वर्डिंग है उससे साफ जाहिर है कि समय-समय पर गजट द्वारा इसे सरकार जहां चाहेगी, लागू करेगी। मैं कहना चाहता हूं कि इसे सारे प्रान्त में तुरन्त लागू किया जाना चाहिये। अगर उसके लिये आपके पास स्टाफ नहीं है तो वह कमजोरी आपकी है। उसके लिये हम जिम्मेदार नहीं हैं। मैं मन्त्री जी को बतलाना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में बाढ़ के कारण जमीन का कटाव जारी है। वहां अभी कटाव शुरू हुआ है। अगर इस कटाव को शुरुआत में ही रोक दें या कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि जिससे कटाव बन्द हो जाय तो रेवीन वगैरह के लिये जितना रुपया आप खर्च

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करेंगे वह बच जायगा। मेरा कहने का ध्येय यही है। मैं समझता हूं कि अगर शुरुआत में इसे बन्द करने की कोशिश की जायगी तो वह खतरनाक स्टेज, जो और जिलों में है, नहीं आ पायेगी और उसमें खर्च भी कम होगा। और इस तरीके पर इस विधेयक द्वारा जमीन का प्रोटेक्शन हो सकेगा।

अधिष्ठाता महोदय, इस वक्त दुनिया का पानी से घिरा हुआ क्षेत्रफल है १४१ मिलियन स्क्वायर मील और ५५ मिलियन स्क्वक्वायर मील पहाड़, रेगिस्तान, प्लेन आदि हैं। अगर हम पानी से घिरा हुआ क्षेत्र छोड़ कर बाकी सब जोतने की कोशिश करें तो ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन जो इर्रीगेबिल लैंड है अगर उसे हम बाटें तो वह दुनिया में प्रति व्यक्ति डेढ़ एकड़ के करीब पड़ती है। ठीक यही दशा हमारे उत्तर प्रदेश की है। अगर यहां की एग्रीकल्चरेबिल लैंड बाँटी जाय तो तो वह प्रति व्यक्ति डेढ़ एकड़ के करीब पड़ती है आबादी के हिसाब से। यह एक बड़ी भारी समस्या हमारे सामने है। अगर इस जमीन का सही तरीके से संरक्षण न किया गया तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जायगी। दूसरे देशों में उद्योग धंधे ज्यादा हैं और इसलिये बहुत कम संख्या में लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, लेकिन हमारे देश में ८० फीसदी आदमी खेती पर निर्भर करते हैं। जमीन पर हर व्यक्ति को निर्भर रहना पड़ता है इसलिये कि हर एक को खाना चाहिये और इसलिये जमीन को ठीक रखना बहुत जरूरी है और यह हमारा सब से पहला काम होना चाहिये। नेहरू जी ने भी कहा है कि हमें गरीबी से लड़ना है, लेकिन गरीबी दूर करने का मुख्य साधन स्वायल कंजर्वेशन होना चाहिये। अगर भूमि संरक्षण न हुआ तो गरीबी नहीं मिट सकेगी यहां से। जैसा कि कल मन्त्री जी ने बतलाया था कि इतने लाख एकड़ हमारे प्रदेश में ऊसर है या और तरीके पर कटाव के रूप में २० परसेंट लैंड यहां की है। अगर उसको हम संरक्षित करें तो डेढ़ सौ लाख एकड़ जमीन मिल जाती है। कहा जाता है भूमिहीनों के लिये कि जमीन रबड़ नहीं है जो बढ़ जायगी, तो ऊसर को तो आप रिक्लेम कर ही सकते हैं और संरक्षण करके भूमिहीनों को दे सकते हैं और उपज बढ़ायी जा सकती है।

अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक में भूमि और जल के संरक्षण की योजना है। कल रक्षपाल जी जो बात कर रहे थे तो मन्त्री जी ने कहा था कि इसमें परिधि बढ़ाने की बात कहां है? मैं तो कहना चाहता हूं कि आज जल और भूमि के बारे में ही वह सीमित है, यह सीमा ठीक नहीं है। प्लांट ग्रोथ भी आपके लिये जरूरी है। भूमि और जल के साथ प्लान्ट ग्रोथ का भी प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन होना चाहिये। फारेन कन्ट्रीज में कन्जर्वेशन हो रहा है। हमारे यहां भूमि का कटाव दो तरीके से होता है। एक तरीका तो वह है जिसकी जानकारी हम नहीं कर पाते। रिजल्ट जब होता है तो पता लगता है। उसके कितने ही सोर्सेज हैं। राक्स में परिवर्तन के कारण, उनके एक्सपैंड करने की वजह से भी होता है। वाटर का भी है, मिट्टी कटती रहती है। एयर में आक्सीजन होता है उससे आयरन आक्साइड बनता है और जमीन के अन्दर राक्स का आक्सीडाइजेशन हो जाता है। आइस ग्लेशियर्स के आने से भी होता है। अर्थ-वर्म से भी होता है। बरोइंग और हूव्ज एनीमल जो गड्ढे बनाते हैं उससे भी होता है। जानवर जो जमीन पर चलते हैं, घास कट जाती है उससे भी होता है। आर्गेनिक मैटर की वजह से—जानवर मर जाते हैं, पेड़ मर जाते हैं तो सड़ाने के लिये गाड़ देते हैं तो आर्गेनिक मैटर्स पैदा हो जाते हैं और कटाव हो जाता है।

इसके साथ ही मन्त्री जी ने इरोजंस के बारे में बतलाया, वह भी ९-१० तरीके से होता है, जैसे सीड इरोजन, फिंगर इरोजन, रिल इरोजन, रिवर बैंक इरोजन, इत्यादि। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इस तरह की चीज हमारे प्रदेश में है, चाहे किसी तरीके पर हों, पानी के जरिये हों या कैसे भी हों, हो रही हैं, तो हमारे लिये भूमि का संरक्षण जरूरी हो जाता है। भूमि के बचाव के लिये एफोरेस्टेशन और रोटेशन आफ क्राप्स किया जाता है। इसलिये अक्सर यह कहा जाता है कि बरसात में खेत खाली नहीं रखना चाहिये। और दाल की किस्में बरसात में बोई जाती हैं जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर होते हैं और गहरे जाते हैं वे मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं और कटाव से रोकते हैं। जब हमारे प्रदेश में

[श्री कमलासिंह यादव]

फी व्यक्ति १ या डेढ़ एकड़ जमीन है तो हम क्या कर, यह सवाल उठता है? सुरक्षा का प्रश्न भी हमारे सामने है और हर एक के लिये, चाहे वह पहाड़ पर हो या मैदान जंग में हो, हमें अन्न पैदा करना है। इसलिये जरूरी हो जाता है कि प्लाण्ड वे में खेती होनी चाहिये और उसी के लिये यह विधेयक लाया गया है। जैसा रामायण राय जी ने कहा, हर किसान को डर है कि इस विधेयक के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी हल जोतने में भी रोकेंगे। मैं ऐसे विचार का नहीं हूं। जैसा कल चौधरी साहेब ने बतलाया, अगर वैसे ही खेतों को जोतने देंगे तो सारी जमीन कट जायगी। इसलिये हमें किसानों को एक शिक्षा देनी होगी कि इस तरह से खेती करो ताकि भूमि का संरक्षण हो और अच्छी से अच्छी पैदावार मिले। रहमानखेड़ा फार्म में अन्वेषण भी किया गया और यह देखा गया है कि खेत की लेवेलिंग से और मेंड़ से दुगुनी उपज होती है। मैं समझता हूं कि यह कोई नई बात नहीं है। हमारी देहात की पुरानी कहावतों में यह बात मिलती है। लेकिन जो किसान रूढ़िवादी है, सदियों से एक रास्ते पर चलता चला आ रहा है, वह नहीं चाहता है कि उसके काम में कोई किसी प्रकार का दखल दे या इंटरफ्शान करे। हमें उन्हें समझाना चाहिये कि कैसे नये तरीकों से खेती की जाय। यह भी देखा गया है कि प्रशिक्षण का कार्य चलाना भी जरूरी होता है। मैंने वास्तव में देखा नहीं कि २५ वर्ष पहले रहमानखेड़े फार्म की क्या हालत थी, लेकिन सुना है कि ऐसी बीहड़ हालत थी कि आदमी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज नतीजा यह है कि जो बातें रहमानखेड़े में अपनाई गई हैं उन्हें अगल-बगल के गांवों में लागू किया जा रहा है और गांव के लोग उन्हें एप्रीशियेट करते हैं। मैं समझता हूं कि इससे उपज में काफी बढ़ोतरी होगी।

उपज के बारे में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। इसके लिये केवल अच्छे बीज या औजार ही जरूरी नहीं हैं। रोटेशन आफ क्राप्स भी जरूरी है और साथ ही खेत की उर्वरा शक्ति भी कायम रखनी होगी। उर्वरा शक्ति को कायम रखने के लिये रोटेशन आफ क्राप्स जरूरी होता है और खाद, चाहे गोबर की हो या हरी हो या मशीनों से बनी हुई हो, का उपयोग भी बहुत जरूरी है। जो ज्यादा अन्न उगाता है वह यह अवश्य चाहता है कि उसे उसकी अधिक से अधिक कीमत मिले और इसी के लिये कहा जाता है कि हम अपनी पैदावार को कोआपरेटिव के जरिये बाजार में पहुंचावें ताकि अच्छी से अच्छी कीमत उसकी प्राप्त कर सकें। साथ ही हमारा खेती का खर्चा भी कम होना चाहिये।

अब मैं ज्यादा डिटेल में न जाकर विधेयक पर आता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं केवल इतना संकेतमात्र कहना चाहता हूं कि ५ बजे सप्लीमेंटरी बजट आना है और उससे पहले आप लोग मन्त्री जी को भी सुनना चाहेंगे। इसलिये अगर समय के मामले में नियन्त्रण से चलें तो अच्छा हो।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं तो इस विचार का हूं कि यह विधेयक जल्दी से जल्दी पास हो जाय। इसका कारण यह है कि जो कुछ इस विधेयक के जरिये करने जा रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि ७१५ प्लान पहले बनाये गये थे जिनमें करीब १८१ स्वीकृत हुये और वह भी कार्यान्वित नहीं हो सके खर्च की कमी की वजह से या किसी भी कमी की वजह से। मैं सेलेक्ट कमेटी के विरोध में नहीं हूं लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि जल्दी ही यह विधेयक पास हो।

जहां तक भूमि संरक्षण का सवाल है, उसमें खास चीज यह होती है कि मानसून के ऊपर स्वायल कनजर्वेशन का काम निर्भर करता है। हम यह देखते हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जब हवायें (मानसून) उठतीं हैं तो वे रूस और चीन की ओर दौड़ती हैं

लेकिन पहाड़ों के कारण से उत्तर पूर्व में चली जाती हैं और उन्हीं से हमारे यहां पानी बरसता है और इसी पर हमारे यहां की क्लाइमेट निर्भर करती है। लेकिन हमारे यहां सारे देश में मानसून डिफर करता है। राजपूताने में जब कि ५ इंच वर्षा होती है, उत्तर पूर्व-चेरापूंजी में ४३० इंच वर्षा होती है। अतः उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी मानसूनों पर ही हमें विचार करना है। जनवरी के महीने में हमारे यहां जो हवायें चलती हैं वे खुश्क होती हैं अतः उनसे हमारे यहां पानी नहीं बरसता क्योंकि वे उत्तर की ओर से आती हैं। लेकिन जुलाई के आरम्भ में इन हवाओं का रुख बदल जाता है और वे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर से चलने लगती हैं। तो जुलाई में जो बरसात आती है उसके पहले ही हमारे यहां स्वाइल कनजरवेशन का कार्य पूरा हो जाना चाहिये। इसीलिये जुताई का मौसम गरमी ही रखा गया है क्योंकि उस समय जुताई करने से उसमें जो जर्म्स वगैरह होते हैं वे सब मर जाते हैं और जो ढेले होते हैं वे सूख जाते हैं जब बरसात होगी तो पहले ढेला उसको पीयेगा और इस तरह से पानी के रोकने में वह सहायता भी करता है। इसलिये ही किसान को गरमी में जुताई करने के लिये बताया गया।

इसी प्रकार से स्वायल कनजर्वेशन की स्कीम है। जहां यह करना होता है वह मार्च से लेकर अप्रैल के महीने तक उस भाग को कई हिस्सों में बांट देते हैं। उसकी मेंड़ ऊंची करते हैं और मेंड़ ऊंची करने के बाद उसमें पानी भरते हैं। क्योंकि उस समय पानी की सतह जमीन के अन्दर नीची होती है। इसलिये पानी भरने से जो जमीन के क्षार हैं वे पानी में घुल कर नीचे चले जाते हैं। यह काम भी जुलाई में पानी बरसने के पहले हो जाना चाहिये। उसके बाद वह जमीन उपजाऊ हो जाती है। इसके बाद उसकी ताकत को बढ़ाने के लिये ढांचा उसमें डालते हैं और धान की खेती करते हैं। उसके बाद भी उसमें पुआल और ढांचा डालते हैं। इसके बाद भी अगर उसकी उर्वरा शक्ति नहीं बढ़ती तो और खादों का भी प्रयोग करते हैं। उसके लिये भी खास मौसम की आवश्यकता होती है इसलिये अगर उस मौसम का ध्यान नहीं रखा गया तो उसका नतीजा यह होगा कि सारा प्रोग्राम दूसरे साल के लिये चला जायगा। इसलिये जरूरी है कि यह विधेयक जल्द से जल्द पास कर दिया जाय। इस विधेयक की इम्पार्टेंस में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो दिक्कतें हैं उनको मैं माननीय मन्त्री जी को बतला देना चाहता हूं। इस विधेयक के जरिये आप ऊसर भूमि का रिक्लेमेशन व भूमि संरक्षण के साथ-साथ प्लांट्स के ग्रोथ का भी काम करना चाहते हैं। उसके लिये भी उर्वरा शक्ति की जरूरत होती है और उसके लिये खाद वगैरह देते हैं। जहां तक प्लान का सम्बन्ध है, जो प्लान बनाया जायगा उसके जरिये किसानों को यह बतलाया जायगा कि किस तरीके से वे खेती करें या अपनी भूमि का संरक्षण करें। उसके लिये जो नक्शा तैयार होगा या कागजात तैयार होंगे उनके लिये आपने ब्लाक आफिस का स्थान रखा है जहां ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर उन्हें लटका देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि जब गांव में हमें यह काम करना है तो इनको ब्लाक स्तर पर रखने की क्या जरूरत है। श्रीमन्, अगर किसी गांव में कोई स्कीम लागू करनी है चाहे वह भूमि के कटाव की हो या भूमि का संरक्षण की हो, तो उसके लिये जरूरी होता है कि उस गांव सभा के अन्दर उस कागज को या प्लान को रखें ताकि गांव के लोग वहां देखें कि उन्हें क्या काम करना है और किस तरह से काम करना है। आप जानते हैं कि गांव के आदमी लेमैन हैं और आप किसी प्लान का इनफोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं और उससे सम्बन्धित कागजात ब्लाक के आफिस में रखते हैं, तो गांव के लोगों को वहाँ जाकर उसे देखने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम किसानों की दिक्कतों को वे अपने सामने रखें। आप उन कागजात को ब्लाक आफिस में रखें या न रखें, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, वहां भी रहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन गांव सभा के अन्दर इन कागजों व नक्शों का रहना बहुत जरूरी है ताकि गांव के लोग उन्हें देख सकें।

दूसरी चीज यह है कि किसान से पजेशन तो आप ले ही लेंगे क्योंकि किसान तो उसमें कोई दखलन्दाजी कर ही नहीं सकेगा, तो मेरा कहना यह है कि जैसे चकबन्दी में होता है

[श्री कमलासिंह यादव]

कि हर किसान को उनकी जमीन का वैल्यूएशन दे देते हैं free of cost उसी तरह से आप को चाहिये कि जिस किसान की भी जमीन लें तो उस जमीन का वैल्यूएशन लिखकर दे दें ताकि उसे कम्पेनसेशन के सम्बन्ध में एतराज करने का तो मौका मिल जाय। इसमें पहले उज्रदारी की बात कही गई है तो वह जब तक मुआवजे की रकम उसको बतायी नहीं जायगी वह कैसे आब्जेक्शन कर सकेगा? आपने इसमें ढंग दिया कि किस तरह से प्रतिकर निकाला जाय। तो प्रतिकर निकालने के बाद नोटिस दे दिया जाय कि इतना प्रतिकर दे रहे हैं, उसको वह समझ लेगा और उसके बाद अगर वह उसको ठीक न समझे तो उस पर एतराज करें।

दूसरे यह तो कह दिया गया है कि वह आब्जेक्शन करेगा और फाइनल कर दिया जायगा, लेकिन अगर कोई किसान गांव में नहीं रहता या जेल में बन्द है और किन्हीं ऐसे कारणों से वह मौके पर नहीं है कि जो उसके कन्ट्रोल के बाहर हैं तो उसको जरूरत इस बात की होगी कि आप ३० दिन से अधिक का समय उसे दें और वह समय के अन्दर अगर न कर सके तो फिर आप उसको मौका दें। वह अधिकारी जो इस को देखे वह अगर उसके कारण से सेटिस्फाई हो जायं तो उसको एक्सटेंशन मिलना चाहिये।

जहां तक करेक्शन का सवाल है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई बात प्रतिकूल होगी तो उसको सुनने के बाद हम करेक्ट करेंगे, लेकिन बाद में आप मौका नहीं दे रहे हैं। मान लीजिये अगर कोई आदमी है, उसकी एरर है और उसको उसकी जानकारी नहीं है तो आप को उसे नोटिस देना चाहिये कि यह गलती हो गई है जिस को हम ठीक कर रहे हैं। इसलिये अगर आप इस १३(१) के प्रतिबन्ध को १३(२) में लगा दें तो वह दोनों को गवर्न करेगा, और यह दिक्कत हल हो जायगी।

तीसरी चीज यह है कि आप जो कापी उसको दे रहे हैं वह उसे free of cost मिलना चाहिये। इसमें यह लिखा है कि अगर कोई नकल लेगा तो....

श्री अधिष्ठाता---

मैं समझता हूं कि इस स्तर पर इतने विस्तार में जाना उचित नहीं है, प्रवर समिति की बात आप कह चुके, अभी सारी धाराओं के विस्तार में जाना उचित न होगा।

श्री कमलासिंह यादव---

मेरा खयाल है कि.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह सदन में शांति रखें।

श्री कमलासिंह यादव---

यह जो कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि वह अगर चाहेगा तो काम आरम्भ करा देगा, लेकिन मेरा कहना है कि जब जिले में एक समिति बन गई है तो उस समिति को ही यह अधिकार देना चाहिये। अगर वह समिति निश्चित कर दे तो वह उसको अपने अधिकारियों द्वारा करा सकती है।

आप कहते हैं कि हम ब्याज लेंगे लेकिन आप देखें कि आपने किसानों के साथ कितनी ज्यादती की है, आपने उस पर २५ प्रतिशत ब्याज बढ़ाया, आपने आड़ में रहकर उसका शिकार किया। उससे कहा गया कि हम तुम को मालिक बना रहे हैं, आप ने उससे दस साल का लगान वसूल किया, पहले उसको अधिवासी बनाया, फिर सीरदार बना दिया। आप अगर रोस्टर रेट के दुगुने से उसका लगान कम है तो कम नहीं कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और अगर ज्यादा है तो कम नहीं कर रहे हैं। इस तरह से जितने लोग अधिवासी से सीरदार हुए हैं उनसे आप दुगुना लगान ले रहे हैं। उसके साथ आप कितना अन्याय कर रहे हैं। साथ

ही साथ एक ही भूमिधर खेत का लगान जो चकबन्दी हुई है उसके फलस्वरूप आधे में सीरदारी का और आधे में भूमिधरी का हो गया है। पहले तो एक किस्म की जमीन का एक रेट होता था, लेकिन चकबन्दी के द्वारा एक ही भूमि के एक भाग को भूमिधरी डिक्लेयर किया गया है और दूसरे भाग को सीरदारी डिक्लेयर किया गया है। तो क्या वजह है कि एक हिस्से का १ रुपया लें और दूसरे हिस्से का १० रुपया लें? ईमानदारी की बात यह है कि आप जमीन के मालिक हैं तो आपको चाहिये कि एक किस्म की भूमि के लिये एक किस्म का लगान रखा जाय चाहे बड़ा किसान हो या छोटा हो। इससे किसान को राहत मिलेगी। अगर मन्त्री जी इतनी ज्यादती के बाद किसान से उम्मीद करें कि वह इंटरेस्ट भी दे, यह उचित न होगा।

जहां तक भूमि संरक्षण का खर्चा है यह भी आपको देना चाहिये क्योंकि आपने बांध, सड़कें बनवायीं और उनके बनने से अगर किसी की जमीन कटती है तो उसके लिये आप भूमि संरक्षण करें और उसका खर्चा सरकार को ही बरदाश्त करना चाहिये, न कि किसान से उसका खर्चा लें। जो सुझाव मैंने दिये हैं आशा है मन्त्री जी उन पर विचार करेंगे और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि यह विधेयक पास हो।

श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इस विधेयक से किसानों का बड़ा लाभ है। हमारे यहां यह योजना दो साल से पहले चल रही है राबर्ट्सगंज और दुद्धी तहसील में। बहुत से भाई कहते हैं कि इससे किसानों को परेशानी होगी, वह परेशान किये जायेंगे। मैं समझता हूं कि जो लोग ऐसी बात कहते हैं उनका किसानों से जरा भी सम्बन्ध नहीं है। हम उस क्षेत्र के किसान हैं जहां यह स्कीम दो साल से चल रही है। हमारे यहां एक स्थान है सलखन, वहां पर यह स्कीम पहले लागू की गई। वहां पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि जो जमीन सरकार बना रही है वह सरकार ले लेगी। नतीजा यह हुआ है कि वे किसान परेशान होकर हम लोगों से कहे, तो बताया गया कि यह जमीन तुम्हारे लिये ही बनायी जा रही है। तब वे शांत हुये और १०, १५ फीट गहरे, ५०-६० फीट चौड़े नालों को सरकारी सहायता से और लोगों के श्रम से पाट कर समतल जमीन बनायी गई। आज वहां के वे किसान काफी खुश हैं और वहां अच्छी फसल होती है। इससे ज्यादा सुविधा किसान को और कोई हो नहीं सकती कि उसकी बंजर, ऊसर जमीन, नदी नालों को समतल करके ट्रैक्टर द्वारा उन्हें आराम पहुंचाया जा रहा है। यदि कोई इस विधेयक का विरोध करता है तो आश्चर्य होता है कि कैसे लोग विरोध करते हैं। जो इस योजना का विरोध करता है वह किसानों का हित नहीं बल्कि अहित कर रहा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सलखन की स्कीम जो दुद्धी तहसील में कर दी गई, वहां चालू रखी जाय और दुद्धी में दूसरी योजना चलाई जाय। जिस जगह की जमीन समतल की गई है उसके आस पास के किसान चाह रहे हैं कि उनके यहां भी वह योजना लागू की जाय। किसान इस योजना में उत्साह से काम करते हैं क्योंकि उनको सरकार से अनुदान तथा ऋण मिलता है, मुफ्त में विशेषज्ञों की सहायता मिलती है और उनका लाभ होता है। इसमें तो किसानों का हित ही है।

हमारे मिर्जापुर जिले के अन्दर जो जमीन समतल करने के लिये ट्रैक्टर व भूमि समतल करने के औजार जो होते हैं वह मिर्जापुर में रहते हैं। राबर्ट्सगंज दुद्धी वहां से सौ, सवा सौ मील दूर पड़ता है और उस मशीन को मिर्जापुर से वहां ले जाने में बहुत खर्चा पड़ता है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे कहने का मतलब यह है कि चौधरी साहब से ज्यादा अच्छी तारीफ इस बिल की कोई कर नहीं सकता...

श्री अधिष्ठाता—

आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है, वह कहिये।

श्री बलवार्नासिह—

व्यवस्था का प्रश्न तो, उनको वैसे बोलने दीजिये .....

श्री अधिष्ठाता—

आप व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े हुये हैं। अगर आप किसी और प्रश्न पर खड़े होते तो मैं इजाजत दे देता, लेकिन इस वक्त आप व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े हुये हैं, इसलिये आप वही बताइये वरना अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(श्री बलवार्नासिह ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

श्री रामनाथ पाठक—

इसलिये मेरा निवेदन है कि वह ट्रैक्टर राबर्ट्सगंज में रखा जाय। इससे वहां के लोगों को बहुत फायदा होगा और अपव्यय न होगा।

इन बातों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक किसानों से सम्बन्धित विधेयक है और आपसे मुझे पूरी आशा है कि मुझे रोकेंगे नहीं, लाल बत्ती नहीं दिखायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

मैं लाल बत्ती नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं आप स्वयं रुक जायेंगे।

श्री लखीसिंह—

वैसे कम समय में अपना काम करूंगा लेकिन आधा घंटा तो मामूली है। मैं प्रवर समिति वाली बात का तो समर्थन करूंगा ही क्योंकि जरा मन्त्री जी भी ठंढे दिल से सोचें, वैसे बेचारे कमजोर से हो गये हैं, और प्रवर समिति भी गम्भीरता से इस पर विचार करे। तो इसमें तो दो रायें हैं ही नहीं और मन्त्री जी मान ही लेंगे क्योंकि हमको अनुभव हुआ है, बहुत दिनों से अनुभव है और जो इस विभाग के मन्त्री बनाये जाते हैं, जो वर्तमान मन्त्री हैं, चौधरी चरणसिंह जी, उनका किसानों से ही सम्बन्ध रहता है। वैसे मैं यह मानता हूं कि मेरठ जिले के लोग खेती में जरा पैने होते हैं। हमारे जिले में कुछ लोग मेरठ से भाग कर आये हैं, उन के पास जमीन नहीं है, हमारे यहां उन्होंने खेत ले लिये हैं और छोटे-छोटे नगरा डाले हैं, उन्होंने खेती अच्छी की है। उनसे हमको सबक मिला है। लेकिन मन्त्री महोदय ने वकालत की है। वे वकालत में ज्यादा तेज हैं। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, वे भी कोई वकील हैं। जो उद्देश्य और कारण मैंने पढ़े उसमें दूसरे नम्बर का जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है, "भूमि संरक्षण सम्बन्धी अन्वेषण और उसके विषय में जनता को शिक्षित करने के लिये कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के अतिरिक्त राज्य के भूमि साधनों का संरक्षण तथा उनके सुधार के लिये सन् १९५४ में एक अधिनियम बनाया गया था।" सन् ५४ में अधिनियम बनाया था और हम लोग उसके शिकार हुये थे। चौधरी साहब ने बनाया और हम लोगों को अनुभव हुआ है। कल मन्त्री जी ने कहा कि जमीन के आसपास खार बन जाती है। वह तो कुछ और कह रहे थे। वैसे वे किसानों के बीच में रहते हैं लेकिन पूरी बात नहीं जानते। वे कह रहे थे कि कांस की जड़ बहुत गहरायी तक जाती है। वे भूल गये क्योंकि हल उन्होंने जोता नहीं है, मैंने हल जोता है, मेंड़ बनाई है और मन्त्री जी ने तो शायद फावड़ा भी न चलाया होगा। मैं आपको बताता हूं कि वह कांस नहीं है बल्कि डाब है जिसकी जड़ कुयें से भी गहरी नीचे तक चली जाती है, जिससे रस्सी बंटी जाती है और कांस से तो छप्पर छाये जाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरणसिंह—

दोनों एक ही खान्दान की हैं।

श्री लखीसिंह—

खान्दान की बात छोड़िये। खान्दान की बात लोग कब मानते हैं? हम और कांग्रेस एक ही खान्दान के हैं लेकिन मन्त्रिमंडल कम करने की बात वह कब मानती है? मैं मन्त्री जी की स्कीमों के लिये एक एक साल की जेल जा चुका हूं। इन्होंने एक चकबन्दी की योजना बनाई वहां जाकर देखिये। और, मन्त्री जी को उसका ज्ञान भी है। अधिष्ठाता महोदय, यह तो वकीलों की सरकार है। इसलिये इस तरह की योजना बनाई जाती है जिससे मुकदमें तैयार हों और वकीलों को मेहनताना मिले। इसमें लिखा है कि मेड़ बनाई जायं। अगर किसान न बनाये तो उससे फी एकड़ रुपया लिया जाय। मन्त्री जी खुद जानते हैं कि मेरठ-मथुरा में कोई विशेष फर्क नहीं है। आखिर यह किसान कैसे बचेगा? कल परसों नाली और गूलें भी उससे बनवा रहे थे और साढ़े छै रुपया एकड़ का जो आपका बनाया हुआ (वेद) चकबन्दी का कानून है, इस प्रकार से उनसे टैक्स लिया जायगा और तरह-तरह से दोवा जायगा। वहां न जाने लोग आपके लिये क्या कह रहे थे। यह चौधरी साहब ने ही हमारे ऊपर पहाड़ तोड़ा है। मेरे जिले में ही नहीं बल्कि आगरा, मेरठ, भरतपुर और अलवर में....

श्री चरणसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, नुक्तये तरतीब (प्वाइंट आफ आर्डर) पेश करना चाहता हूं। क्या किसी माननीय मित्र को आस्तीन चढ़ाकर व्याख्यान देने का अधिकार है?

श्री अधिष्ठाता—

जब तक आस्तीन चढ़ाने का मंशा खराब न हो तब तक कोई हर्ज नहीं है।

श्री लखीसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, तभी तो मैं कहता हूं कि मंत्री जी बैठ जायं।

श्री अधिष्ठाता—

आप कहे जाइये लेकिन विधेयक पर आ जाइये।

श्री लखीसिंह—

विधेयक मैंने पढ़ा है और अब उसी पर आऊंगा। अभी तो भूमिका बना रहा था। हमारे पश्चिमी जिलों में एक कौम जाट है, पूर्वी जिलों में नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं, लखीसिंह जी, आप से प्रार्थना करूंगा कि आप जाति-बिरादरी की बात बिल्कुल नहीं कहेंगे।

श्री लखीसिंह—

मैं किसी जाति की बुराई नहीं करने जा रहा हूं। वह बहुत ईमानदार कौम है, बहुत पवित्र कौम है, बड़ी किसान कौन है, लेकिन वह क्या कहती है? वह यह कहती है कि हमारी कौम में जब कोई ज्यादा पढ़ जाता है तो वह अपने लिये ही दुखदायी बन जाता है, अपनी कौम के लिये ही दुखदायी बन जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप विधेयक पर तो बोलिये।

श्री लखीसिंह—

विधेयक पर तो आने ही वाला हूं। मैं आप की आज्ञा का पालन हर वक्त करूंगा। मंत्री महोदय ने कहा था कि जमुना के आसपास जो खार बनते जाते हैं उनको रोक कर भूमि का संरक्षण करेंगे। लेकिन वह खार कैसे बन गये? मैं तो उन खारों में रहता हूं। मेरा गांव जमुना से कुल डेढ़ मील की दूरी पर है। मेरा प्रान्त उत्तर प्रदेश की सीमा पर पंजाब से लगा हुआ है पंजाब की जमीन बहुत ऊंची है, वहां से पानी टूट करके उस क्षेत्र में आता है। आप

[श्री लखीसिंह]

जरा सोचिये कि वह पानी कैसे रुकेगा? वह पानी आपकी छोटी छोटी मेड़ों से नहीं रुकेगा। छोटी-छोटी मेड़ें तो बरसात में बह जायेंगी चाहे सरकार का कितना रुपया लगे और चाहे किसान कितनी मेहनत करे। उसके लिये आप यह प्रबन्ध करिये कि जमुना से करीब १ मील, या ४ फर्लांग या ६ फर्लांग तक जमुना के किनारे किनारे जमीन छोड़कर एक बड़ा कच्चा बांध बनवाइये और इस मेरे सुझाव को मंत्री जी नोट कर लें। यह करोगे तभी उधर का पानी रुकेगा और इधर का पानी खेत में रहेगा और फिर उस खारे वाली जमीन के लिये सोशलिस्ट पार्टी का जो कहना है भूमिहीनों की एक भूमि सेना बनवाइये और दो तीन सालों के लिये उनसे लगान मत लीजिये और फिर देखो कि कितनी पैदावार होगी। उत्पादन बढ़ेगा, गल्ला विदेशों से मंगाना बन्द हो जायगा। अगर आप उनमें अपनी तरफ से सिंचाई का प्रबन्ध कर दें अपने विभाग की तरफ से, तो और भी धन्यवाद देने की बात होगी। मैं तो समझता हूं, माननीय अधिष्ठाता जी, कि अगर माननीय चरणसिंह जी के पास यह विभाग न होता और यह सरकार आपको पी० डब्लू० डी० विभाग दे देती तो आपकी विद्वत्ता उसमें अच्छी तरह से काम करती।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय लखीसिंह जी, अब तो विधेयक पर आ जाइये।

श्री लखीसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, क्या-क्या विधेयक पर आऊं? मुझे आज एक अमर उजाला अखबार मिला जो आगरा से निकलता है। उसमें लिखा हुआ है कि श्री जगजीवनराम जी, श्री हाफिज जी और माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त जी महाराज आगरा में एक होटल का निकट भविष्य में उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह क्यों तीनों मंत्री होटल का उद्घाटन कर रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय लखीसिंह, अभी बजट का डिस्कशन होगा उस पर यह सब कह लीजियेगा।

श्री लखीसिंह—

यह सरकार तफरीह करती है और किसानों पर चकबन्दी का टैक्स लगा कर, गूलों का टैक्स लगा कर, भूमि संरक्षण के नाम पर, यह वकीलों की सरकार किसानों की रीढ़ तोड़ कर, गुलछर्रे उड़ाना चाहती है और उद्घाटनों में पैसा बरबाद करना चाहती है। लो विधेयक पर आता हूं। इसमें सरकारी खर्चे से योजना के निष्पादन की व्यवस्था की गयी है। बड़ी खुशी की बात है। बन्द बनाओ, गूलें निकालो, बड़ी बड़ी मेड़ें बनाओ। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को क्या कहूं? शायद खाद तो मंत्री जी के ही विभाग का है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय लखी सिंह जी आपने अपने लिए तीस मिनट स्वयं सोचे थे। तीस मिनट के करीब हो गये। दो तीन मिनट और बोल लीजिये।

श्री लखीसिंह—

अभी तो, श्रीमन्, मेरी भूमिका बंधी है।

श्री अधिष्ठाता—

अगर आप इतनी बड़ी भूमिका बनायेंगे जो २५ मिनट में बने तो बड़ा मुश्किल होगा।

श्री लखीसिंह—

किसान उस खाद को लेता नहीं। किसान गोबर की खाद अच्छी समझता है। अगर मंत्री जी के बीज गोदाम से कोई बीज ले तो जबरदस्ती बिड़ला, टाटा, डालमिया के मिलों की खाद को उस पर लादा जाता है और किसान का कचूमड़ निकाला जाता है। मैंने माननीय मंत्री जी के पास कई प्रार्थना-पत्र भेजे।

श्री अधिष्ठाता---

प्रार्थना-पत्रों की बात छोड़ दीजिये।

श्री लखीसिंह---

माननीय मंत्री जी कल अपने भाषण में कह रहे थे कि हम किसानों की आदत को दुरुस्त करने के लिए यह कह रहे हैं। तो आप की आदतें कहीं किसान न दुरुस्त कर दें। जरा होश में रहना। हम आप के हमदर्द हैं। हम सहानुभूति से बोल रहे हैं। किसान की आदत को दुरुस्त करते गए और उनकी दुरुस्ती डंडे से करते गये तो याद रखिए, आप की आदत को और इस सरकार की आदत को दुरुस्त करेगा तो किसान ही करेगा, हम बताये देते हैं। आप इसे कहीं आवेश मत समझ लेना। मैं अनुभवी हूं, आप से कम नहीं, मैंने राष्ट्र का काम किया है, एक भी मंत्री से कम मैंने राष्ट्र का काम नहीं किया ह। मैं सन् २० और ३० से राष्ट्र का काम कर रहा हूं। यह हम बताये देते हैं, किसान की आवाज, किसान की नब्ज, किसान की एक-एक सांस का हमें पता है। कई कई पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, अगर एक पार्टी खड़ी हो आप के मुकाबले में तो आप का जनाजा बहुत जल्दी निकाल कर दफना दिया जायगा। किसान की अक्ल दुरुस्त करोगे आप? किसान की अक्ल....

श्री अधिष्ठाता---

विधेयक पर आ जाइए।

श्री लखीसिंह---

विधेयक पर आ रहा हूं। आप की आज्ञा में हर वक्त मानता रहूंगा। आपका अदब में हर वक्त करता रहूंगा।

श्री चरणसिंह---

विधेयक में आदत दुरुस्त करने की बात कहां है?

श्री लखीसिंह---

कहां-कहां बताऊं? मंत्री जी, आप मुझसे बहुत नाराज होंगे। लेकिन मुझे परवाह नहीं सच्ची बात कहने में। मैं सत्याग्रही रहा हूं, सत्य और अहिंसा का पालन किया है। गांधी जी के आदेशों के अनुसार सत्य पर दृढ़ रहा हूं। मंत्री जी सोचते बहुत अच्छा है। एक बात सोची मंत्री जी ने २८ हजार पटवारी वास्तव में बहुत खराब हैं....

एक सदस्य---

यह कौन सी-दफा में लिखा हुआ है?

श्री लखीसिंह---

मैं उन्हें सूझ बता रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता---

पटवारी वाली बात बहुत पुरानी हो गई, आप विधेयक के बारे में कहिए।

श्री लखीसिंह---

मैं यह कह रहा हूं कि १८-१८ और १६-१६ वर्ष के लड़के जो आपने बैठाल दिये उन्होंने बहुत गलत इन्दराज किये और उन गलत इन्दराजात के फलस्वरूप चकबन्दी में वह गड़बड़ियां हुई हैं, वह अन्याय हुआ है कि जिसको हम कह नहीं सकते और माननीय सदस्य सभी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री अधिष्ठाता---

यह आप विधेयक के बहुत बाहर जा रहे हैं।

श्री लखीसिंह---

बाहर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। आप की आज्ञा का पालन करता रहूंगा। अगर बारीक बात सुनना चाहते हों तो मुझसे पहले श्री कमला जी का भाषण हो चुका है, उन्होंने तो

[श्री लखीसिंह]

गिड़ोये की बात बतायी। (व्यवधान)। केंचुए को ही हमारे यहां गिड़ोया कहते हैं। मंत्री जी के यहां भी यही कहते होंगे।

श्री चरणसिंह—

मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आप से मतभेद जाहिर कर सकूं।

श्री लखीसिंह—

नहीं, कोई बात नहीं। तो वह जो गिड़ोवा होता है वह तो एक महीने के लिए पैदा होता है बरसात में। फिर वह खत्म हो जाता है। बहुत छोटी उम्र उसकी होती है। लेकिन मंत्री जी ने एक अदालत बनायी है। अब यह तो विधेयक में ही है। आपने हमारा एक भाग्य विधाता बनाया और उसका सभापति बना दिया कलेक्टर को। कलेक्टर उसका सभापति रहेगा और कल क्या कह रहे थे मंत्री जी कि एम० एल० एज० को इसमें मत रखो क्योंकि यह ततैया है, यह बर्र हैं। वाह महाराज! धन्यवाद है। मैं तो यह समझता था..

श्री अधिष्ठाता—

यानी कौन बर्र है, बर्र आप किसको समझे?

श्री लखीसिंह—

वह जिला समिति जो बनायी है उसको, मैंने पढ़ा है उसका सभापति होगा उसका कलेक्टर और जिला परिषद् के अध्यक्ष महाराज क्या होंगे, यह तो खैर आप जानें। लेकिन यह मच्छर की तरह समितियां बढ़ रही हैं और उन सब का अध्यक्ष आप कलेक्टर को बना रहे हैं। आपने यह क्यों नहीं लिखा कि इसका सभापति बिल्कुल शुद्ध किसान होगा जो फावड़ा और हल अपने हाथ से चलायेगा। यह लिखो आप उसमें। गांव का छोटा से छोटा किसान जो अपने हाथ से हल चलाता है, जो फावड़ा चलाता है और जो बैसाख के महीने में खलियान में गल्ले को बरसाता है, जो माघ के महीने ठंढे पानी में घुस कर पानी लगाता है उसको सभापति बनाइये, तब यह आप का विधेयक सफल होगा।

हां, एक बात जरूर है। यह सरकार कुछ सोचती जरूर है। वह दूर तक यह सोचती है कि जब यहां का एम० एल० ए० हमारे मुकाबले में कहीं हार जाता है तो उसको कोई जरिया देने की बात सोचती है कि उसको कहीं समिति में रखे। मैं आप को बतलाऊं कि एक कांग्रेसी मेरे मुकाबले में ११ हजार वोट से हारा। उस बेचारे को और कुछ नहीं मिला तो माननीय मंत्री जी ने जिले में उसको डी० सी० एफ० का प्रेसीडेंट बना दिया। बस इस तरह से उसका साधन कर दिया। अधिष्ठाता महोदय, आप तो समझ वाले आदमी हैं। आप जानते हैं कि इन्होंने इसके सिवाय कुछ नहीं किया कि यह दुकान लगा रखी है और इस तरह से ये विधेयक यहां पर बना दिये जाते हैं। जो भी बेरोजगार हो जाते हैं जब वह भक्त मंत्री जी के बन जाते हैं तो उनको काम दे दिया जाता है। हमको तो बड़ी शर्म आती है, पंजाब के मंत्रिमंडल को देखकर हमारा सिर झुक जाता है। यहां के मंत्रिमंडल को क्यों नहीं छोटा किया जाता है और क्यों नहीं घटाया जाता है?

श्री अधिष्ठाता—

आप इस विधेयक पर बोलिये।

श्री लखीसिंह—

उसी पर बोल रहा हूं। अगर लालच नहीं है तो क्यों नहीं घटाया जाता है? मंत्री जी ने कहा कि जो भूड़ जमीन होती है, जो रेतीली जमीन होती है उसको खत्म किया जायगा। उन्होंने यह बात कह डाली कि भूड़ जमीन को खत्म कर रहे हैं, रेत की जमीन को खत्म कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मंत्री जी ने कभी हल नहीं चलाया, लेकिन हल चलाने वालों के बीच में जरूर रहे हैं। भूड़ जमीन में बाजरा होता है या चिकनी जमीन में बाजरा होता है?

श्री चरणसिंह—

चिकनी में। (हंसी)

श्री लखीसिंह—

मूंगफली किस जमीन में होती है जिससे बिड़ला, टाटा और डालमिया पूंजीपति हैं? मूंगफली भूड़ जमीन में होती है। इस सरकार को एक और बाय रोग हुआ। सरकार ने कहा कि हम रेगिस्तान खत्म करेंगे और पेड़ लगायेंगे। बन विभाग के मंत्री जी वहां पर गये...

श्री अधिष्ठाता—

इससे बन विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री लखीसिंह—

बुनियाद ही खराब है, नींव ही खराब है, तो फिर मंजिल कैसे बन सकती है? यह बुनियाद सही नहीं है। मंत्री जी का ध्यान इन २, ३ बातों की तरफ दिलाना चाहता था जो मैंने अभी निवेदन कीं। उनको नोट करें और जो सुझाव मैंने दिये हैं उनमें से एक आध को जरूर मानें।

(किसी के कुछ कहने पर)

आप को क्यों जंचेगी। किसी मंत्री को नहीं जंचेगी, लेकिन मुझे आप से भरोसा है कि आप मेरी एक आध सूझ को जरूर मानेंगे और इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अधिष्ठाता महोदय, आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि आप मुझे एक आध दिन बजट पर और समय देंगे।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप समय-समय पर ऐसे माननीय सदस्यों को प्लेटफार्म पर ला देते हैं कि जिससे बोर हुए सदस्यों की थोड़ी-सी तकलीफ दूर हो जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बोर न करें।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं आप से और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा गम्भीर विषय है और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ने इसकी गम्भीरता को महसूस किया है और महसूस करने के बाद ही इस विधेयक को सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इस प्रदेश की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसके लिये अन्न की पैदावार बढ़ाना आवश्यक है। उसके लिये जितनी अधिक से अधिक भूमि उपजाऊ बनायी जा सके, अधिक से अधिक अन्न पैदा किया जा सके, इस पृष्ठभूमि में ही मेरे विचार से मंत्री जी इस विधेयक को यहां लाये हैं और इसी भावना से उन्होंने यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया है। जो भूमि खराब होने जा रही है और जिस भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है मेहनत करके सरकार की तरफ से या किसानों के सहयोग को प्राप्त कर के, इस विधेयक में उन्हीं बातों को कह दिया गया है कि भूमि और जल संरक्षण के लिये क्या करना है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी के सामने एक अपनी तजवीज पेश करना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश की खराब भूमि की छानबीन ६ महीनों में करा लें कि कितनी जमीन ऐसी है कि जो इस योजना के मातहत लानी है और फिर आप भूमि की संरक्षण के लिये एक योजना बना दें ताकि जिस तरह से यहां की आबादी बढ़ती जाय उसी तरह से इस नुकसान पर काबू आता जाय और मेरा खयाल है कि आगामी दस वर्षों में इस प्रदेश में यह काम पूरा हो जायगा। इससे वर्तमान अन्न की पैदावार से अधिक पैदावार हो सकती है और इस सरकार का मकसद भी यही है कि अधिक से अधिक अन्न पैदा हो। इसीलिये कृषि को प्रमुखता दी गयी है। मैं कमलासिंह जी से सहमत हूं कि जो विधेयक कृषि मंत्री जी ने पेश किया है उसे विरोधी दल का एक समझदार अंग मानता है कि यह जरूरी

[श्री जे० पी० मिश्र]

और एक अहम बिल है जिसे जल्दी से जल्दी पास हो जाना चाहिये। मैं स्वागत करता हूं जनप्रिय सरकार की भावनाओं का। अब विरोधी दल के माननीय सदस्य भी समझने लग हैं कि यह सरकार जनता के प्रति कितनी हमदर्दी रखती है और कितने योग्य तरीके से हमारे कृषि मंत्री जी इस काम को कर रहे हैं।

भावना हमारी, आपकी दोनों की एक है। आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पैदावार बढ़े—हम भी यही चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भूमि उपजाऊ बने, सरकार भी चाहती है। तो हमारे आपके मेल का स्वागत है। आप ने इस बिल में सरकार की भावना देख ली कि वह वाकई जन-साधारण के प्रति वफादार हैं और अन्न की पैदावार के लिए वह इस किस्म का विधेयक प्रस्तुत कर रही है जिससे प्रदेश का हित होगा, जिससे कृषि की और अन्न की पैदावार की तरक्की हो सकती है, इतना स्वीकार कर लिया है। मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि सारे प्रदेश की छान-बीन करके समझ लिया जाय कि कितना इलाका हमको भूमि और जल-संरक्षण में लाना है। उसकी एक योजना बना दें, दस वर्ष में इस कार्यक्रम को आप पूरा कर दें ताकि इस प्रदेश की जनता को अधिक अन्न प्राप्त होने के रास्ते मिल जायं। आप समझ ही रहे हैं कि प्रदेश की आबादी तेजी से बढ़ रही है। जहां सरकार ने फेमिली प्लानिंग की तजवीज पेश की है वहां अन्न की पैदावार के रास्ते भी पेश किये हैं और उनमें यह प्रमुख विधेयक है जिसके द्वारा बिगड़ी हुई जमीन को काबू में लाने के लिए कृषि विभाग की तरफ से एक प्रमुख कदम उठाया गया है और मुझे उम्मीद है कि माननीय विरोधी दल के सदस्य इस प्रयत्न में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

कमेटियों का जहां तक सम्बन्ध है, आप के मशविरे के लिए एक्सपर्ट्स बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिले का प्लान बनायेगा। अन्तरिम जिला परिषद् के सभापति और ब्लाक के प्रमुख रहेंगे। साथ ही मेरा निवेदन है कि उसमें विधायकों का रहना भी अत्यावश्यक है। एक फोड़ा है अगर उसको आप बिना दवा और आपरेशन के बढ़ने देंगे तो आगे वह बिगड़ सकता है, तकलीफदेह हो सकता है। जमीन और जल संरक्षण के लिए यह जरूरी होगा कि किसी किसी जगह बड़ा आपरेशन किया जाय। किसान एतराज करेगा, उसको उलझनें पैदा होंगी, लेकिन अन्न को बढ़ाने के लिए आप को वह कार्य करना ही होगा जिससे प्रदेश की जनता का हित हो सके। हम सब चाहते हैं कि प्रदेश की उन्नति हो और अगर विधान सभा के सदस्यों को उसमें शामिल कर लेंगे और हमारी राय से फायदा सरकारी अधिकारी उठाना चाहेंगे तो हम आप को और आप की एजेंसी को अपनी राय पेश करने में पीछे नहीं रहेंगे। हम सब का एक लक्ष्य है और उसी को लेकर हम जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, यहां पर बैठ कर कुछ निश्चय करते हैं। इसलिए जनता के चुने हुए नुमाइन्दों को आप जरूर स्थान दें, माननीय कृषि मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रस्तुत विधेयक की जहां तक आवश्यकता और इसके उद्देश्य का सम्बन्ध है, मैं उसका पूर्णतया समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और मैं क्या—मैं तो समझता हूं कि इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य ने, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, इस विधेयक के उद्देश्यों से असहमति नहीं प्रकट की है। भूमि संरक्षण की कितनी आवश्यकता है, इस पर काफी प्रकाश हमारे कृषि मंत्री जी डाल चुके हैं। मैं केवल संक्षेप में यह कह देना चाहता हूं कि हमारी भूमि के पोषक तत्वों की जितनी कमी खेती करने से यानी अनाज और दूसरी फसलों के पैदा करने से होती है, वह कमी उस कमी की तुलना में कम है जो भूमि के बहाव और कटाव से होती है। इसके लिए बहुत प्रयत्नशील रहना होता है कि भूमि के पोषक तत्वों की कमी न हो। लेकिन जितना भूमि के कटाव से भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है उतनी फसलें पैदा करने से भी नहीं होता, इसलिये यह विषय बहुत ही महत्व का है। इसमें असहमति का कोई प्रश्न नहीं उठता है। परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिनके

विषय में कुछ शंकायें हो सकती हैं और वे शंकायें मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं।

भूमि संरक्षण कैसे हो, किस हद तक हो और उसके लिये पैसा किससे मिले? श्रीमन्, कैसे हो का विषय ऐसा है कि जहां तक मैं समझता हूं—यह विधेयक जो तैयार किया गया है, इसमें एक तरह से सारा अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दे दिया गया है। इस देश की जो परम्परा रही है उसको देखते हुए कुछ भय मालूम होता है कि क्या उन अधिकारों का ठीक ढंग से प्रयोग होगा? इसमें कहीं भी इस बात की व्यवस्था नहीं है कि जिन लोगों के हित में, जिस क्षेत्र के लिये, कार्य होगा उनसे भी पूछा जायगा या उनकी सलाह ली जायगी। मैं यह मानता हूं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि दो-चार या छः किसानों को किसी काम को जो राष्ट्रीय हित में हो, रोकने का अधिकार नहीं मिलना चाहिये। भूमि की सुरक्षा राष्ट्रीय हित में है, लेकिन साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, कि राष्ट्रीय हित में क्या है, इसका निर्णय वे सरकारी कर्मचारियों के हाथ में न छोड़ कर यदि वहां के निवासियों के हाथ में छोड़ें तो वह ज्यादा अच्छा होगा।

जो जिला समितियां बनाने का सुझाव है, उसमें सिवा एक जिला परिषद् के अध्यक्ष के और ब्लाक प्रमुख के और कोई गैरसरकारी आदमी नहीं है। जहां तक जिला परिषद् के अध्यक्ष का सम्बन्ध है, उसको भी अपने पूरे जिले की स्थिति की जानकारी ठीक से नहीं होगी और जहां तक ब्लाक प्रमुख का सम्बन्ध है वह केवल उन्हीं विषयों पर और उन्हीं मीटिंग्स में भाग ले सकेगा जहां उसके क्षेत्र की बातचीत होगी। इससे स्पष्ट है कि वह अकेला रहेगा और बाकी सभी सरकारी कर्मचारी रहेंगे। इस विधेयक में इस बात के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं है कि यदि कोई काम वहां के निवासियों की इच्छा के विरुद्ध होता है तो उसे वे रोक सकें। यदि इस बात की कोई व्यवस्था हो जाय कि यदि किसी क्षेत्र के बहुमत के लोग उसके विरुद्ध हों तो फिर सरकार को उस काम को नहीं करना चाहिये। इसलिये मेरा विचार यह है कि जनहित का निर्णय सरकारी कर्मचारी न करें बल्कि वहां के निवासी करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं कि किस हद तक भूमि संरक्षण का काम होना चाहिये। यह बहुत व्यापक विषय है लेकिन इस पर हमारे माननीय मित्र श्री कमलासिंह जी ने काफी प्रकाश डाल दिया है। मैं उतनी बातें तो नहीं बता सकता लेकिन इतना कह ही सकता हूं कि यह जो भूमि संरक्षण का कार्य है इसके अन्तर्गत जो खराब से खराब जमीन है उसको भी अच्छा बनाया जा सकता है। परन्तु यदि हमने बहुत अधिक खर्चे वाले कामों को उठा लिया और यह तय कर दिया कि सरकार को खर्चा बरदाश्त नहीं करना है तो ऐसी सूरत में जो अधिक व्यय होगा वह किसानों से वसूल किया जायगा। आपने कोई ऐसी योजना ले ली जिसमें किसानों की सहमति नहीं है, जिस पर ज्यादा व्यय होने वाला है, तो यह वैसा ही होगा जैसे किसी गरीब के टूटे फूटे मकान की मरम्मत के लिये १० लाख रुपये की स्कीम बना दी जाय। तो गरीब किसान इसको किस प्रकार से बरदाश्त कर पायेगा, किस प्रकार से खर्चा दे पायेगा?

श्री अधिष्ठाता—

सदन में आवाज बहुत हो रही है, माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री भानुप्रतापसिंह—

इसलिये मेरा इस विषय में यह सुझाव है कि किसी भी दशा में जो सुधार किया जाय उसका व्यय इतना न हो कि किसान उसको बरदाश्त न कर सके। इसलिये खर्चा उसी हद तक किया जाय जो किसान की बरदाश्त के काबिल हो। जो काम इसमें लिये जा सकते हैं, उसकी सूची इसमें दी हुई है, मेरे विचार से उसमें बहुत सी ऐसी मदें भी रख दी गयी हैं जिनकी आवश्यकता इस समय नहीं है, जिनके विषय में विशेषज्ञों में भी मतभेद हो सकता है।

एक कतार में फसल बोने का सवाल है। कतारों में बोने की मनाही की गयी है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, अगर बहाव के समानान्तर कतार होती है तो कटाव होता है लेकिन अगर कतारें उसके समकोण में होती हैं तो कटाव को और रोकती हैं। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि लाइन सोइंग के बन्द करने से क्या लाभ होगा।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

मैं मानता हूं कि हरी खाद देना बहुत उपयोगी है। परन्तु उसके लिये यह कहा गया है कि अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में जोत दी जाय लेकिन उसी के बाद तेज वर्षा होती है, फिर उस समय भूमि का कैसे रक्षण होगा ? बरसात में यदि खेत ढका रहेगा तो अधिक रक्षा हो सकेगी। इसके बाद फलीवाली फसलें जो जल्दी पकती हैं उनको बोने के लिये लिखा गया है।

(इस समय ३ बज कर ५१ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लेकिन उनके भी वर्षा समाप्त होने के पहले कट जाने के कारण वर्षा में जमीन कटेगी। इसलिये इतनी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े-बड़े काम जैसे बंधे बांधना, मेंड़ बांधना आदि कामों को लीजिये लेकिन किसानों का हित करने के नाम पर ऐसे काम न लीजिये जो केवल उसको समझा बुझा कर उससे ही कराने के हैं। यह उचित नहीं जान पड़ता है कि कानून के द्वारा आप उसको मजबूर करें कि वह किस ढंग की खेती अपनाए। इस विषय में यह भी हो सकता है कि आगे चल कर दूसरी बातें मालूम हों और आज की बातें गलत साबित हों। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इतने डिटेल में संरक्षण का कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। समय कम है केवल एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा। वह बात यह है कि जिसकी भूमिपर कोई काम होगा उससे उसकी कीमत वसूल की जायगी। लेकिन भूमि संरक्षण का काम जो होता है उससे दूसरे किसानों को भी लाभ होगा तो उस दशा में उसने कौन सा कसूर किया है कि सब खर्च उसी से अकेले वसूल किया जाय ? जितने लोग उससे लाभान्वित हों उन सब से वसूल होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी इन शंकाओं को दूर करेंगे और यदि वह इनको दूर कर देते हैं तो मैं नहीं समझता कि इस विधेयक को पास करने में कोई विलम्ब होगा।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सदन के सामने इस समय है वह दरअसल ऐसा है कि उस पर कुछ अपनी राय देना, अपने विचार प्रकट करना, अपने सुझाव देना कुछ ऐसा लगता है कि वह बहुत जरूरी नहीं है। माननीय मंत्री जी ने इसको इतना सम्भाल कर, सोच विचार कर के बनाया है कि उसमें कोई विशेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। अब इसका उदाहरण और प्रमाण यह है कि हमारे विरोधी दल के भाई भी चाहे वह किसी प्रकार से भी यह खयाल पैदा करें कि हम उसमें कोई अपनी राय दें, लेकिन फिर भी अन्त में उन्हें यह कहना ही पड़ता है कि यह विधेयक इतना महत्वपूर्ण और इतना आवश्यक है और इतना सामयिक है कि जिस पर कोई विशेष विवाद नहीं हो सकता। यह विधेयक इंसान की जिन्दगी और उसकी जरूरियात से सीधा संबंध रखता है। वैसे तो अनेक विधेयक इस सदन में आये और अपने स्थान पर वे सब अपना अपना महत्व रखते हैं, लेकिन इसका संबंध उस विषय से है कि जिस पर इस प्रदेश की नींव जमी हुई है और यह सूबा उन किसानों का सूबा है जिनकी संख्या ७०–७२ प्रतिशत है और जो खेती के द्वारा ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। और वही लोग जो बाकी लोग खेती नहीं करते उनको भी भोजन देते हैं। अनेक बार सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया अनेक वर्षों से कि किस् तरह से खेती अधिक उपजाऊ बने और खेतों में किसी प्रकार अधिक से अधिक गल्ला पैदा किया जाय और खराब जमीनों को कैसे उर्वरा बनाया जाय, इस पर सरकार बराबर ध्यान देती रही है। वह सब बातें आपके सामने आ चुकी हैं, उनको दोहराना उचित न होगा। सद ५४ में नियम बने और बाद में उनमें दोष पाये गये और वे कार्य रूप में परिणत न हो सके, उनसे जितना लाभ होना चाहिये था वह न हो सका। इस पर बहुत दिन से विचार किया जा रहा था और अब एक ऐसे योग्य मंत्री के हाथ में यह विभाग आया जिन्होंने इस पर विचार किया कि क्या कारण हैं जिन की वजह से किसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है बावजूद इसके कि सरकार ने अनेक योजनाओं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के द्वारा खेतों को उपजाऊ बनाने का प्रयत्न किया, अनेक आन्दोलन चलाये, अनेक प्रकार की योजनायें पैदावार बढ़ाने की आई और आन्दोलनों द्वारा सरकार के अधिकारियों की ओर से पैदावार बढ़ाने के प्रयत्न किये गये परन्तु हमारा किसान अपने रुढ़िवादी तरीके अपनाये हुए हैं । उसको छोड़ता नहीं । विभाग के लोग जब उसको जापानी ढंग से खेती करने के तरीके बताते हैं तो उसके दिमाग में उतना ही अंश आता है जितना वह बीघा, दो बीघा में लगा कर दिखाने भर के लिये हो जाय । वह पूर्णरूप से सारी चीजों को समझता नहीं । हमारे गांव के किसान कहते हैं कि देव खेती का मालिक है, हम लोग तो अंधे हैं । अगर वह समय से पानी हवा न दें तो खेती उपजाऊ नहीं हो सकती । जिन दिन वह हल जोतने जाता है, और जिस दिन काटता है, दोनों समय पर देवता की पूजा करता है और कहता कि है सारी खेती भगवान की दया पर ही है । मेरा सारा परिवार खेती पर डिपेंड करता है ।

आज दुनिया में जबरदस्त आन्दोलन है, लोग चाहते हैं कि खेती को अख्तियारी खेती बना दिया जाय, मतलब यह कि हम जिस समय चाहें खेती के लिये पानी बरसा लें, अच्छा बीज अच्छी खाद डालें और जिस प्रकार से चाहें अच्छे से अच्छा गल्ला उत्पन्न कर लें । हमारे देश में भी यह आन्दोलन है । मनुष्य का स्वभाव है कि प्रकृति से लड़ाई लड़कर अपने फायदे की चीजें निकाल सके । मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने ऐसे मौके पर विधेयक को प्रस्तुत करके हमारे देश की जनता पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इसकी इस वक्त सख्त जरूरत थी ।

जो चीज कलम से लिखी जाती है उसमें कुछ न कुछ त्रुटि या कमी रह जाती है, यह स्वाभाविक है । जब मैं गौर से पढ़ता हूं तो कहीं कहीं कुछ चीजें हमारे दिमाग में खटकती हैं और यह असर पड़ता है कि इसकी जगह अगर यह बात हो जाती तो यह स्कीम और भी मजबूत और ताकतवर बनायी जा सकती थी । जैसे अध्याय ४ में एक जगह लिखा है कि खेती को इस्तेमाल करने के लिये चाहे जंगल की शक्ल में हो, बाग की शक्ल में हो, किसान से जमीन ले ली जायगी और सरकार के जरिये से उसको उपजाऊ बनाने की कोशिश की जायगी और किसान को उसका उचित मुआवजा दे दिया जायगा । यह बात किसानों के सामने जब कहेंगे तो उसके दिमाग में एक क्षण के लिये यह बात आ सकती है कि जो हमारे विरोधी कहते हैं कि सरकार जमीन पर कब्जा करना चाहती है वह ठीक ही है । आज वह यहां भले ही समर्थन कर दें, लेकिन जब भी उनको मौका मिलेगा तो वे बगल से डंक जरूर मारेंगे ।

जो बातें क्रांतकारी होती हैं, जिनमें मौलिक परिवर्तन होता है उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा खटकने वाली होती हैं । तो नीचे जब हमने उसको पढ़ा तो तीन वर्ष फिर दस वर्ष और उसके बाद फिर वह उसको लौटा दी जायगी । लेकिन उस किसान के दिमाग में यह बात पैदा होगी कि हमारी जमीन का वह हिस्सा जो उस कमेटी के जरिये से लिया जा रहा है अब हमारे हाथ से जा रहा है । हम उसको लिख कर देंगे, लेकिन फिर भी उसके दिमाग पर यह असर पड़ेगा । बहरहाल, जो बातें इस तरह की फायदे की होती हैं उसमें कुछ खटकने वाली बातें भी होती हैं । मरीज को दवा का कड़वा घूंट भी देना पड़ता है । हमारा किसान खेती के नये तरीकों को अपना नहीं सका है । तो उसके फायदे के लिये अगर कुछ सख्त कदम भी उठाये जाते हैं तो यह हमारा, आपका, सबका कर्त्तव्य है कि उन चीजों को उसे समझा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप जल्दी समाप्त करिये ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

दूसरे, मैं उस मत का हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लाक लेविल पर कमेटियां बन रही हैं उनमें हमारे विधायक लोग अवश्य रहें । बर्रों के छत्ते वाली बात हमको कुछ जंची नहीं । मेरी भी तीस वर्ष की राजनीतिक जिन्दगी है, न जाने कितने कष्ट आये, न जाने कितनी बार जेल जाना पड़ा, न जाने कितने नीचे गये, न जाने कितने ऊंचे गये । यह बात कुछ समझ में नहीं आती

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

कि हम उस कमेटी में बैठ कर अगर उसका फायदा करेंगे तो वह हमसे नाराज होगा। आज ऊपर से नीचे तक, कोई भी अधिकारी अगर उसको परेशान करता है तो वह उस हल्के के विधायक के पास जाता है और सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर लाद देता है । तो हम इस जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। अगर वह कमेटी कोई ऐसा काम करती है जो उसके अहित में हो तो हम यह नहीं कह सकते कि हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि हम उस कमेटी में नहीं हैं। इसलिये हम उसमें रह कर उनका अधिक हित कर सकते हैं बजाय इसके कि उससे अलग रहें ।

मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अन्दर इतना उत्साह था एक किसान होने के नाते कि इस पर मैं कुछ न कुछ राय दूं। तो अगर कोई मौलिक सुझाव आने वाला है प्रवर समिति में और इसको और सुन्दर बनाया जा सके तो हम समझते हैं कि इसमें कोई एतराज की बात नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय गेंदा सिंह, एक प्रार्थना है । दो साहब तो जवाब देने के लिये हैं और एक आप हैं और २५ मिनट का समय है । तो ८-८ मिनट आप ले लीजिये ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---

इस विधेयक पर इतनी बहस हो चुकी है कि अब मुझे कुछ ज्यादा वक्त लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दो, एक बातें जरूर कहना चाहता हूं। मैं माननीय बंशीधर जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं ताकि वे मेरी ओर आकर्षित हो जायं तो माननीय कृषि मंत्री भी मेरी और आकर्षित हो जायेंगे । एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तो इंटेन्सिव काम होगा जमीन बचाने का । तो वहां बहुत गौर से इंटेन्सिव लफ्ज की तरह काम करना पड़ेगा । मैं 'इंटेन्सिव' लफ्ज का इस्तेमाल जरूर कर रहा हूं ।

श्री लखीसिंह---

हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये ।

श्री गेंदासिंह---

लखीसिंह जी, अंग्रेजी को हिन्दी करने की लियाकत मुझ में नहीं है । मैं अंग्रेजी लफ्जों को रटकर रखता हूं ताकि कहने में गलती न होने पाये । इसलिये मैं समझता हूं कि एक जगह पर इस प्रकार का काम हो रहा है जो बहुत गहराई के साथ हो रहा है तो दूसरी तरफ और भी कठिनाई हो जाती है । सारे सूबे के अन्य जिलों में भी यह काम हो रहा है । इसलिये सूबे के हर जिले में डिमांस्ट्रेशन और खोज का एक केन्द्र होना चाहिये ताकि वह जिले की जानकारी रख सके और इसके बाद यदि धन की व्यवस्था हो सके तो उस पर काम किया जाय । इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक से ऐसा लगता है कि सरकार धन का बोझा पूरा का पूरा किसानों पर ही डालना चाहती है । फिर कोई कारण नहीं है कि क्यों न इसको व्यापक पैमाने पर किया जाय । हालांकि किसानों के ऊपर बोझ डालने में मुझे आपत्ति है ।

कृषि मंत्री जी गौर करें कि यह बड़ा सैद्धान्तिक प्रश्न है कि जमीन का मालिक कौन है । जो मालगुजारी वसूल करता है वह मालिक है । मकान बनवाना और मरम्मत कराना मालिक का काम है, किरायेदार का काम नहीं है । मैं किसानों को किरायेदार समझता हूं । अगर किसान मालगुजारी न दें तो उनको निकाल दिया जायगा । इसलिये डेवलपमेंट का बोझ किसानों पर डालना उचित नहीं लगता । यह विधेयक बहुत विलम्ब से आया । किसानों के लिये जो विधेयक होता है .....।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चरणसिंह—

मैं मान लेता हूं फार आर्गूमेंट्स सेक कि हमारी गफलत रही, लेकिन आपने भी याद नहीं दिलाई ।

श्री गेंदासिंह—

मैंने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की तो याद दिलाई थी ।

श्री चरणसिंह—

वह तो आ रहा है ।

श्री गेंदासिंह—

मैंने बहुत याद दिलाई । उसकी वजह से जो हमारी क्षति हुई है उसको आप कृपा करके देखें । पहली योजना में कुछ काम हुआ और एक करोड़ से कुछ ज्यादा रुपया खर्च करके सारे भारत में ७,८ लाख एकड़ जमीन बचाने की कोशिश की गई । दूसरी योजना में सारे भारतवर्ष में ७२ करोड़ रुपया खर्च हुआ और अकेले महाराष्ट्र में १८ लाख एकड़ जमीन पर बंधियां बनाकर करोड़ों रुपये का लाभ उठाया । तीसरी योजना में ५८ करोड़ रुपया सारे भारतवर्ष में खर्च होगा । इसमें ४ करोड़ ९ लाख रुपया उत्तर प्रदेश में खर्च होगा । जो खर्च सारे भारत में होने-वाला है उसका ७.१ रुपये प्रति सैकड़े पर खर्च होगा उत्तर प्रदेश में । तो आप यह देखें कि सारे भारत में इस भूमिक्षरण से सबसे अधिक ग्रसित उत्तर प्रदेश ही है जो आंकड़ों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है और उसकी सबसे अधिक जानकारी उत्तर प्रदेश को है, लेकिन फिर भी यहां ७ प्रतिशत खर्च होगा, तो यह बहुत दुखी करने वाली बात मालूम होती है । खेती-बारी के काम में जैसा गहरा अनुभव उनका है और इस मामले में जैसे वह हम लोगों से कहीं अधिक जानकार है, में यह जानना चाहता हूं कि उनके रहते हुये उस जगह पर उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों से इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहिये और जो कमी रह गयी है उसको ज्यादा तेजी से पूरा करना चाहिये । लेकिन इतना इधर जो दो-तीन वर्षों में हो रहा है उससे न तो हम पिछली कमी को पूरा कर सकेंगे और न इस सूबे की जो लाखों एकड़ जमीन प्रति वर्ष नुकसान में चली जाती है उसकी पूर्ति ही होगी ।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं । पेड़ों को और जंगलों को बचाकर जमीन को बचाना जिसका क्षरण होता है उसके लिये इस विधेयक में कोई गुंजायश नहीं है । जहां पर जमीन परती पड़ी हुई है उसको रोक देने से स्वायल इरोजन नहीं होगा, जंगलों को रोक देने से इरोजन नहीं होगा, पेड़ों को काटने से रोक देने से इरोजन नहीं होगा, इन कामों की इस विधेयक में कहीं भी गुंजायश नहीं है । मेरा कुछ व्यक्तिगत तजुर्बा है कि इस वक्त कुछ ऐसे टीले आबाद किये जा रहे हैं जिनको करने से यह भूमिक्षरण का काम आसान हो जायगा और सैकड़ों और हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो जायगी । तो इसको ध्यान में रखकर मैं यह कहता हूं कि रुपये की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितना एहतियाती कार्यवाही की है । और एहतियाती कार्यवाही करने के लिये आवश्यक है कि इस विधेयक में व्यवस्था हो। मेरे दोस्तों का भी इस पर बड़ा जोर है कि प्रवर समिति में इसको भेजा जाय ।. ऐसी बातों को समझने के लिये माननीय कृषि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे कि प्रवर समिति में इसे भेजकर जल्द से जल्द इस पर विचार कर लिया जाय । और इसको जल्द से जल्द पास करा लिया जाय ताकि काम हो सके ।

श्री रामायणराय—

(श्री कल्पनाथ सिंह का नाम पुकारे जाने पर) मान्यवर, माननीय कल्पनार्थसिंह जी कुछ आवश्यक काम से इस सदन में इस समय उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने मुझ से कहा था कि आपकी आज्ञा लेकर उनकी तरफ से उत्तर दे सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा कोई कायदा नहीं है । यह प्रिसीडेंट बन जायगा ।

श्री रामायणराय---

हमारी प्रक्रिया नियमावली में ऐसा नियम है कि किसी दूसरे प्राधिकृत सदस्य को ऐसी अनुमति दी जा सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष---

कौन-सा नियम है ?

श्री रामायणराय---

श्रीमन्, अपनी नियमावली के नियम ५६ का आखिरी हिस्सा देखें ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो मूवर के लिये है ।

श्री रामायणराय---

संशोधन के ही संबंध में है, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय रक्षपाल सिंह जी जवाब दे लें, उसके बाद अगर कुछ खास बात हो तो कह दें, लेकिन संक्षेप में ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस संशोधन पर अपने विचार व्यक्त किये हैं । यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके संबंध में जितने भी विचार आये हैं, उनमें विरोधी पक्ष की तरफ से तो एक मत है ही, सरकारी पक्ष के सदस्यों ने भी यह मांग की है कि विधेयक को प्रवर समिति भेजा जाय । अगर जल्दी पास करना है तो समय कम किया जा सकता है । परन्तु इधर से मांग हुयी थी कि इसको ज्यादा डिटेल में बनाने के लिये, जिससे इसमें जो खामियां हैं वह दूर हो सकें, इसलिये भी मंत्री महोदय को इस बात को स्वीकार करना चाहिये ।

एक बात यहां पर जो जनप्रतिनिधियों को रखने के लिये कही गयी उसके संबंध में यह कहा गया कि दो व्यक्ति रखने के लिये कहा गया है, वह जनप्रतिनिधि हैं भी, यह भी कहना कठिन है । ब्लाक प्रमुख का चुनाव प्रधानों से होता है और ठीक उसी प्रकार से जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव होता है । अगर फिर चुनाव नहीं हुआ तो जो पन्द्रह साल पुराने अध्यक्ष बने हुए हैं वही समिति के सदस्य होंगे । वास्तव में जनता से सीधे चुने हुए जनप्रतिनिधि जैसे विधायक हैं, उनका भी उसमें समावेश नहीं है इस स्थिति में । इसलिये आवश्यक है कि यह विधेयक प्रवर समिति में भेजा जाय । वहां पर जब दस आदमी बैठेंगे तो व्यापकता आयेगी । एग्जीक्विशन करने में जो खामियां आती हैं, तथा इसका बर्डेन किस पर पड़ना चाहिये, जैसा कि इस विधेयक के अन्तर्गत बर्डेन किसानों पर पड़ रहा है, परन्तु उसे राज्य सरकार पर पड़ना चाहिये, इन सब बातों पर वहां विचार हो सकेगा । माननीय गेंदा सिंह जी ने जो तर्क किया है वास्तव में वह बहुत उचित है कि भूमि की मालिक सरकार है इसलिये सरकार को इसका बर्डेन वहन करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं हाउस से तो प्रार्थना करूंगा ही, माननीय मंत्री महोदय से भी प्रार्थना करूंगा कि स्वयं ही वह स्वीकार कर लें, हाउस को निर्णय लेने के लिये न छोड़ें । मैं आशा करता हूं कि वह इसको स्वीकार करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं प्रेस करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय ।

*श्री रामायणराय---

मान्यवर, मुझे कुछ विशेष इस संबंध में आग्रह नहीं करना है । केवल एक बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भूमि संरक्षण के लिये जो कार्यक्रम इस अधिनियम के अधीन बताए गये हैं, अगर वह कार्य किया जाता है तो उसमें आपका पैसा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ज्यादा खर्च होगा । जैसे सेलखड़ी का ही प्रयोग है । मंत्री जी बतायेंगे कि यह सेलखड़ी से क्या जिप्सम से तात्पर्य है और अगर जिप्सम से है तो वह कितनी मंहगी चीज होगी ? यह संभवतः ऊसर समाप्त करने की प्रक्रिया में प्रयोग में लाया जाता है । तो, मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात को मानेंगे कि एक ऐसे प्रदेश में जहां कि अनएकोनामिक होल्डिग्स बहुत ज्यादा हैं, जहाँ बहुत सारे किसान ऐसे हों कि जिनके पास उनके भरण-पोषण के लिये भी अन्नोत्पादन न होता हो वहां पर कोई कार्यक्रम ऐसा चलायें जिनमें अनिवार्यतः उन पर होने वाला व्यय उसे देना पड़े, तो यह कुछ वांछनीय नहीं प्रतीत होता है । इसमें कोई ग्रेडेशन होना चाहिये था । कम से कम इस योजना को बनाते समय उन्हें उन किसानों को तो मुक्त कर ही देना चाहिये था जो अनएकोनामिक होल्डिग वाले हैं । अन्यथा जो मौजूदा स्वरूप है उसके अनुसार गरीब काश्तकारों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय होगा । माननीय कृष्णानन्द राय जी ने भी, अगर मैं उन्हें ठीक समझा तो, स्वतः दो हिस्से में इस योजना को कार्यान्वित करने के खर्चे को बाटने के बारे में सुझाव दिया था । उनका यह कहना था कि जहां तक बड़ी योजनाओं का संबंध है, बड़ी योजनाओं का संपूर्ण व्यय भार सरकार को वहन करना चाहिये । लेकिन मैं तो, मान्यवर, पुनः मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जब प्रोप्राइटरी राइट, भूमि का स्वामित्व सरकार का है तो भूमि के भीतर कोई विकास कार्य आप नहीं कर रहे हैं, भूमि का संरक्षण करने जा रहे हैं, उसका प्रोटेक्शन आप कर रहे हैं । जैसे कोई मकानमालिक मकान जिस रूप में किरायेदार को दे उस रूप को बनाये रखने का प्रयास करे, उसमें लिपाई पुताई करे और वह चाहे कि किरायेदार से वह वसूल किया जाय तो यह कुछ बहुत न्यायपूर्ण नहीं होगा ।

अन्त में, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान, इस योजना में जो भूमि हस्तगत होने वाली है, ली जाने वाली है, उसके मुआवजे की जो शक्ल होगी, उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं । मेरी कांस्टीट्यूएंसी बिहार की सीमा से लगी हुई है । वहां प्रति एकड़ दो हजार रुपया मुआवजा दिया जाता है अगर किसी आदमी की भूमि ली जाती है । आपके यहां बीस गुना, चालीस गुना, इस तरह से करके आपने रखा है जिसमें किसी को २ सौ रुपया, किसी को ३ सौ रुपया, इस तरह से आप मुआवजा देते हैं । तो यह एक बड़ा भारी अन्तर है । एक तरफ हम यह मानते हैं कि हमारे यहां भूमि कम है और भूमि पर ही सारा विकास का काम होना है । तो फिर किसान को मुआवजा देने को जो रेट आपने रखा है वह कुछ न्यायपूर्ण नहीं प्रतीत होता है । इस बिल के द्वारा यह व्यवस्था आप करें कि अन्य राज्यों से कम से कम समानान्तर वह हो सके तो वह ज्यादा न्यायपूर्ण होगा । इन शब्दों के साथ मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने उधर के बैठने के बावजूद भी इस बात को महसूस किया । अभी, मान्यवर, माननीय बैजनाथ सिंह जी कह रहे थे, वह खुद भी कबूल करते हैं कि इसे प्रवर समिति को जाना चाहिये और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी दोनों तरफ की इस प्रार्थना जो स्वीकार करने की कृपा अवश्य करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कृषि मंत्री, आप पांच मिनट पहले समाप्त कर दें, आधे घंटे में खत्म कर दें, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री चरणसिंह—

अगर एक घंटा हो जाय तो ?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है कि पांच बजे तो बजट पेश होना है ।

श्री चरणसिंह—

तो वह तो केवल पेश ही होना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझसे तो यह कहा गया था कि आप आधे घंटे बोलना चाहते हैं ।

श्री बरणसिंह—

मैं आधे घंटे ही बोलूंगा। लेकिन अगर किसी वजह से आधे घंटे से कुछ ज्यादा हो जाय तो मैं समझता हूं उससे कोई काम तो नहीं बिगड़ता, वैसे मैं बहुत थोड़ा ही बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि यह ऐसा विधेयक है कि जिसके सम्बन्ध में कोई विशेष विवाद नहीं होगा और वह मेरा विश्वास सही साबित हुआ। जितने माननीय मित्रों ने इस विवाद में हिस्सा लिया है सब ने ही इस बिधेयक के महत्व को स्वीकार किया है और सही स्वीकार किया है। जैसे मैंने कल अर्ज किया था, हमारे देश और प्रदेश की गरीबी निर्भर है खेत की पैदावार बढ़ने पर और खेत की पैदावार निर्भर है जमीन की हालत पर। जमीन खराब होती जाय तो आज ही हम सब लोगों को, हमारे सारे देश के निवासियों को, भरपूर अन्न नहीं मिलता है। १० करोड़ का अन्न हम फी महीने बाहर से मंगाते हैं सन् १९४७ से लेकर आज तक। तो जब आज ही पूरा अन्न नहीं मिलता है, और हमारी आबादी बढ़ती जाती है तो फिर एक ही रास्ता है कि हम खेत पैदावार फी एकड़ बढ़ायें और उसकी वर्तमान उर्वरा शक्ति को ही कायम न रखें बल्कि उसको और बढ़ायें। उसी लिये यह स्वायल कंजर्वेशन बिल की आवश्यकता है।

अब इस विधेयक के सम्बन्ध में १, २ गलतफहमी में आपकी इजाजत से दूर करना चाहता हूं। एक दो मित्रों ने कहा कि पहला ऐक्ट निहायत गलत बनाया गया। इस विधेयक में भी सबस्टैंस तो वही जैसे का तैसा है। माननीय मित्रों के सामने वह पुराना ऐक्ट नहीं है। अगर उस ऐक्ट की कापियां हुईं तो प्रवर समिति के सामने उसको पेश कर दूंगा। सिर्फ हम २, ३ बातों में अन्तर कर रहे हैं विधि का। पहले हमने रखा था प्रिलिमिनरी अप्रूवल बोर्ड का, फाइनल अप्रूवल बोर्ड का और पब्लिकेशन इन दि गजट। इन तीनों बातों में ही हमने अमेंडमेंट रखा है क्योंकि उसमें देर होती थी, लेकिन इसी खयाल से कि कहीं कोई गलती न हो जाय इसलिये वह एहतियात बरती गई थी। जो हमको टैक्नीकल एडवाइस उपलब्ध हो प्रदेश के स्तर पर उसका मशाविरा कदम कदम पर होना चाहिये। इसलिये ओवर काशश अपरोच हमारा था। जो वह स्थिति थी वह इससे दूर हो जायगी। बाकी जैसा पहले था वैसे ही यह है। १, २ बातों में अन्तर है। वह यह है कि जैसे आराजी जमीन पर कब्जा ले लेना। अगर उसके लिये आवश्यकता है इरोजन वर्क के लिये तो हम वह इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा पहले ऐक्ट में कोई प्राविजन नहीं था कि अगर कोई किसान, कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है कि किसी इलाके में या किसी गांव में जमीन खराब होती जा रही है तो उसको रोका जाय। माननीय मित्रों ने यदि इसको पढ़ा होगा तो देखा होगा कि इस तरह का प्राविजन हमने इस बार रखा है। हमारे पास एक माडल बिल गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से आया था। उसमें कुछ प्रतिबन्ध का चर्चा था जो पूरी तरह से हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन हमने अपने यहां उसको बहुत सीधे तरीके से रखा है। खंड २२ को आप देखें जिसमें लिखा है "यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि पर कोई ऐसा कार्य करे जो भूमि एवं जल संरक्षण के हित के प्रतिकूल हो तो कलेक्टर उसे इस बात का कारण बताने के लिये नोटिस देगा कि उसे उक्त कार्य करने से प्रतिषिद्ध करने की आज्ञा क्यों न दी जाय। "उसको नोटिस देगा और उस नोटिस की अवधि के बीच में उस काम को बन्द रखेगा। केवल उस समय वह अपनी आपत्ति पेश करेगा और अगर उसकी आपत्ति अस्वीकार कर दें तो फिर कमिश्नर के यहां अपील करने का मौका होगा।" तो ऐसा कोई प्राविजन पहले नहीं था। इसका प्लान से कोई वास्ता नहीं है। कोई भी आदमी ऐसा काम करता हो कि जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता हो आस पास की जमीन को या पड़ोसी किसानों को तो कलेक्टर को अधिकार है कि उसको नोटिस दे दे कि तुम्हारे काम से जमीन खराब होती जा रही है, इसे क्यों न रोक दिया जाय। तो यह दो तीन अंतर हैं जो पहले १९५४ के विधेयक में नहीं थे। बाकी यह पहले ऐक्ट जैसा ही है। ७१५ प्लान अब तक बन चुके हैं जिसमें से १८१ प्लान्स फाइनल हो गये हैं स्टेट स्वायल कंजरवेशन बोर्ड से। उनका एप्लीकेशन रुका हुआ है खर्च की वजह से और इसलिये वह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं और बाकी जो ५०० के करीब प्लान्स हैं उनमें मुख्तलिफ स्टेजेज पर काम हो रहा है। लेकिन वह काम ऐक्ट के मातहत जिस तेजी से चल सकता था उतनी तेजी से नहीं चल पा रहा है। दो, तीन मित्रों ने जिक्र किया कि हमारे जिले में इस ऐक्ट का निफाज नहीं

हुआ। कल कल्पनाथ जी ने कहा कि पूर्वी जिलों में एक में भी यह नहीं लागू है । इसमें जो लिस्ट दी हुई है उसमें उन जिलों के नाम हैं कि जहां यह काम चल रहा है और इसके अलावा सारे स्टेट में तमाम ब्लाक्स में कमोबेश यह काम चल रहा है, लेकिन यह ऐक्ट सारे स्टेट में नाफिज नहीं है, यह बात बिलकुल सही है ।

इसके अलावा कृष्णानन्द जी ने तथा अन्य कोई सदस्य ने कहा कि गोरखपुर में अमुक नदी है जो बहुत नुकसान पहुंचाती है । मैंने तो केवल जमुना, चम्बल, गोमती और सई का नाम उदाहरण के तौर पर लिया था कि उनसे सब से ज्यादा कटाव होता है । यूं हर जगह कटाव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल इन जगहों पर ही काम होगा और कहीं नहीं होगा । बुन्देलखंड का नाम लिया गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां छोड़ कर और जगह काम नहीं होगा । शायद जगदीश प्रसादजी ने और कमलासिंह जी ने कहा कि एक दम से सारे स्टेट का प्लान बना दिया जाय । बहुत ठीक है कहने के लिये, लेकिन प्लान बनाने के लिये कितना जबरदस्त स्टाफ चाहिये । प्लान केवल हुक्म देने से नहीं बन सकता । उसके लिये स्टाफ चाहिये इस ऐक्ट की मंशा ५० साल में पूरी हो सकेगी और मुमकिन है कि ज्यादा समय लग जाय। सन् १९३९ में यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में भूमि संरक्षण के महत्व को समझा गया था और उसके लिये वहां एक स्वायल कंजरवेशन एजेन्सी नामक एक अटानामस कारपोरेशन कायम कर दिया गया है। उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, हजारों, लाखों राज कर्मचारी उसके पास होंगे । सन् ३९ से काम शुरू हुआ और मुझे उस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन उनका एक टेनेसी वैली अथारिटी का एक अटोनामस कारपोरेशन है उसमें लाखों एकड़ जमीन जो कटती जा रही थी उसे बचा लिया है और जहां रेगिस्तान होता जा रहा था वह सब सरसब्ज हो गया है। जहां नदियों और कुवों में पानी नहीं आता था वहां स्प्रिंस आने लगे हैं । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अमरीका में इसके महत्व को स्वीकार कर लिया गया है और वहां उसके लिये एक अटोनामस कारपोरेशन है । तो यह मामूली काम नहीं है । यह बहुत बड़ा काम है । इसके लिये बड़े विशेषज्ञ, बड़े फन्ड्स और बड़े पेशंस की आवश्यकता होगी और इसमें देर लगेगी यह साल, दो साल या दस साल का काम नहीं है । तमाम प्लान बनाना आसान नहीं है प्लान बनाने में ही ५ साल लग जायेंगे । करोड़ों रुपया लगेगा । ५ साल में सारे सूबे का प्लान बनेगा ।

लेकिन बनने से क्या फायदा होगा ? ५ साल में रिवाइज करने की फिर जरूरत पड़ जायगी । तो जितनी लम्बी सौर है उतने पैर फैलाना चाहिये । जितने फंड्स दिये जायेंगे उतना काम बढ़ता जायगा । ट्रेंड परसौनल हिन्दुस्तान भर में कहीं नहीं हैं और हिन्दुस्तान के किसी भी कालिज में नहीं सोचा गया कि स्वायल कंजर्वेशन का कोर्स खोलना चाहिये । मैंने केन्द्रीय सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि इसका कोर्स कालिजों में खुलवाया जाय। यह मालूम नहीं कब होगा, इसलिये हमने मुनासिब समझा कि अपने ही कालिजों में शुरू कर दिया जाय। जब शुरू हो जायगा तो दूसरी स्टेट के लोग भी यहां पढ़ने आयेंगे । वैसे ग्रुप १, ग्रुप २ के छोटे राज कर्मचारियों का जबसे काम प्रवेश में चला है, छोटे पैमाने पर शिक्षा दी जाती है । अब आगे अच्छे पैमाने पर काम करने का इरादा है । तो जैसे-जैसे ट्रेंड परसोनेल और फंड्स मिलते जायेंगे वैसे ही काम बैढ़ता जायगा, लेकिन फिक रिजल्ट्स की आशा न करें । उसके लिये ऐटमास्फेयर भी पैदा करना होगा ।

एक सज्जन ने कहा था कि फायदा क्या है, बता दिया जाय । तो हमारे यहां दो जगह अच्छा काम चल रहा है, मथुरा और मिर्जापुर में । एक प्रोग्राम इवेलुएशन स्कीम है, उसकी रिपोर्ट है कि यू० पी० का पैटर्न हिन्दुस्तान भर में बेहतरीन है ।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर इतनी तारीफ है तो हर जिले में थोड़ा सा काम हो जाय तो क्या मुश्किल है ? पूर्वी जिलों में कटाव हो रहा है तो अगर वी० एस० डब्ल्यू० के जरिये से काम शुरू हो जाय तो काफी लोगों को फायदा होगा ।

श्री चरणसिंह—

पहले तो मैं माननीय कमला सिंह जी से और दूसरों से कहूंगा कि पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों का इमतियाज भूल जायं । आप चुनकर पूर्वी जिलों से आये होंगे, लेकिन यहां पर बैठकर सारे जिलों के प्रतिनिधि हैं ।

एक सदस्य—

भारत सरकार ही पूर्वी जिलों की बात कर रही है ।

श्री कमलासिंह यादव—

कटाव तो पूर्वी जिलों में कम हो रहा है, पश्चिमी जिलों में ज्यादा हो रहा है, मैं तो यह मानता हूं ।

श्री चरणसिंह—

मेरा जिला उस इलाके में शामिल नहीं है, मेरठ का एक भी नहीं है, तो इससे क्या मतलब है ? जहां तक काम का ताल्लुक है, मैंने कहा कि वालंटरी तरीके पर हर ब्लाक में सारे प्रदेश में काम चल रहा है । अबकी बार जो बजट पेश होगा ऐग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट का तो अगर मौका मिला तो मैं हर जिले के आंकड़े बतला दूंगा कि किस जगह कितना काम हुआ, लेकिन काम सब जगह हो रहा है । अब तो ऐक्ट का नाफिज करना भर है । जहां की जमीन पर यह काम हुआ है वहां २५-३० फी सदी पैदावार बढ़ गयी है ।

कास्ट के सिलसिले में बहुत से दोस्तों ने कहा कि किसान गरीब है, मालगुजारी से ही रहे थे, २५ फी सदी और बढ़ा दी गयी, फिर किसी जगह उसको खेती करने से रोकेंगे और खर्चा लेंगे, वह कहां से आयेगा । यह बात ठीक है । किसान की हालत हम में से किसी से छिपी नहीं है । लेकिन मैं बुनियादी बात कहना चाहता हूं । यह जो कहा जाता है कि गवर्नमेंट अपने पैसे से दे, तो गवर्नमेंट के पास भी तो पैसा किसान के पास से ही आता है । तो चाहे सीधा से लीजिये या टेढ़ा करके से लीजिये । अल्टीमेटली पड़ता किसान पर ही है । मौजूदा ऐक्ट में यही शब्द थे कि किसान से खर्चा लिया जायगा, लेकिन वास्तव में हम उनसे पूरा खर्चा आज भी नहीं ले रहे हैं और न लेंगे, हालांकि ऐक्ट में हमने रखा है । किसानों को आज भी मेसनरी वर्क्स करने पड़ते हैं, तो ५० परसेंट खर्चा लिया जाता है । ५० पर सैंट सरकार स्वयं बर्दाश्त करती है । कच्चे काम में २५ फी सदी सरकार बर्दाश्त करती है और ७५ फी सदी वह स्वयं लगाता है जिसमें उसका श्रम भी शामिल है क्योंकि उसमें ज्यादातर मिट्टी और पेड़ लगाने का काम होता है, जिसे वह स्वयं करता है । बाकया यह है कि हमारे राज्य कर्मचारी जिनके मुताबिक करीब-करीब हमारे सभी दोस्तों का खयाल है कि न मालूम भेड़िये हैं, सभी करप्ट हैं, गरीबों को अच्छी तरह से नहीं देखते हैं, हालांकि सभी तरह के लोग हैं और होते हैं, लेकिन आम तौर से एक ही बात सबके ऊपर लगाना ठीक नहीं है । मसलन स्वायल कनजर्वेशन की बात में कहता हूं । वे इस तरह से उसका ओवर वेलुएशन करते हैं कि सारा गवर्नमेंट के ऊपर ही पड़ जाय । २५ फी सदी गवर्नमेंट को देना है तो ३३ फी सदी पड़ जाता है और अगर कास्ट आफ मेसनरी वर्क्स की भी ओवर-वेलुएशन कर दी तो ६० फी सदी तक हो गया । सो मनी वर्क्स में तसलीम नहीं करते, कहते हैं कि साहेब, काम जरा जल्दी करना था, इसलिये ऐसा हो गया । तो जितना हो सकता है वे हमदर्दी से काम करते हैं । हो सकता है कि स्वायल कनजर्वेशन स्टाफ में कहीं गलतियां रही हों । लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मित्र मेरा विश्वास करेंगे कि जब से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोबारा मेरे पास आया है, लगभग २ वर्ष हो गये हैं, एक भी शिकायत मेरे पास स्वायल कनजर्वेशन स्टाफ की नहीं आई है । जिन जिन माननीय सदस्यों को इसमें दिलचस्पी हो, अगर इस बीच में समय मिला तो मैं उन्हें दिखाऊंगा मौके पर कि उनकी तबियत खुश हो जायेगी । लखनऊ के पास ही हलुआपुर ब्लाक है । नजदीक ही है । मेरे पास रिपोर्ट जो आई है वह बहुत संतोषजनक है । इस ब्लाक में भी बहुत अच्छा काम हुआ है । बल्कि मुझसे राज्य कर्मचारियों ने कहा कि आप खुद चलकर देखिये । मुझे समय नहीं मिला । जो साहेब मथुरा को देखना चाहें और जो मिर्जापुर का देखना चाहें, तो मैं इंतजाम कर दूंगा । अब

इरादा यह है कि जो हमारी सबसीडी है पक्के वर्क्स की ५० परसेंट की और २५ परसेंट की कच्चे वर्क्स की, उसे जारी रखा जाय और बाकी जो ५० से ७५ प्रतिशत की बात रही, उसके लिये हम लोन भी देते हैं और उसको इन्स्टालमेंट में वसूल करते हैं। यह इसलिये ऐक्ट में रखा गया है कि कल मान लीजिये चेन्ज हो गया और प्रतिशत में चेंच करना पड़ा इसलिये कानूनी जिम्मेवारी किसानों की रखी गयी है, लेकिन अमल गवर्नमेंट का यह है इसके लिये सब्सिडी भी दी जाती है और लोन भी दिया जाता है। इसके अलावा स्टाफ पर जो बहुत सा खर्चा होता है वह भी उसमें नहीं लगाया जाता, गवर्नमेंट पर पड़ता है।

श्री बलवन्तसिंह —

कानून कुछ है और इरादा आपका कुछ है। जब आपका इरादा अच्छा है तो कानून भी उसके मुताबिक होना चाहिये।

श्री चरणसिंह —

आज भी अमल यही है। बात यह है कि सब्सिडी वाली चीज गवर्नमेंट आफ इंडिया के ऊपर निर्भर करती है कि वह कितनी ग्रान्ट हमको देते हैं। अब मान लीजिये ५० की जगह ६० प्रतिशत हमको करना पड़ा या २५ की जगह २० प्रतिशत करना पड़ा, तो उसमें दिक्कत हो जायगी। अगर माननीय सदस्य यह सोचते हों कि सेलेक्ट कमेटी में जाने से इसमें कुछ सहूलियत हो जायेगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं दोनों ओर के माननीय मित्रों को यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि जहां तक किसानों और जनता के हित की बात है, उसमें गवर्नमेंट के इरादे और इस स्कीम में मेरे इरादे और उनके इरादे में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ गलतफहमी हो सकती है और वह भी मुझको ही ज्यादा।

अब जिला समिति पर भी काफी आक्रमण किया गया। कहा गया कि उसमें कलेक्टर को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिये गये हैं। वह तो जिले का सबसे बड़ा राज्य कर्मचारी है। यह ठीक है कि उसको बहुत कम समय मिलता है, लेकिन जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होने के नाते उसकी वहां बड़ी उपयोगिता है। फिर कलेक्टर में ऐडिशनल कलेक्टर भी इन्क्लूड करता है। जिस मीटिंग में वह जाता है उसमें राज्य कर्मचारियों से ज्यादा काम ले सकता है। अगर उसे फुरसत न हो तो ऐडिशनल कलेक्टर जा सकता है।

श्री रामायणराय—

मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि धारा ६ में कलेक्टर के स्थान पर एडिशनल कलेक्टर काम नहीं कर सकता, अन्य जगहों में तो कर सकता है।

श्री चरणसिंह —

ठीक है। प्रीसाइड कलेक्टर ही करेगा, यह रखा गया है। उसकी वजह यह है कि उस काम को एडीशनल कलेक्टर से नहीं लिया जा सकता क्योंकि वहां जिले के इंजीनियर और फारेस्ट आफिसर्स भी होते हैं। एडिशनल कलेक्टर उन अथारिटीज की प्रेस्टिज कमान्ड नहीं करता जितना कलेक्टर स्वयं करता है, इसीलिये वहां उसको प्रेसाइड करना आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्य डिपार्टमेन्ट का हैड जिले में कलेक्टर है, इस लिहाज से भी वह ज्यादा सिम्पैथैटिक होगा बनिस्बत और बहुत से डिपार्टमेन्ट के राज्य कर्मचारियों के। रेवेन्यू स्टाफ का किसानों के साथ और गांव वालों के साथ ज्यादा सम्बन्ध होता है। गलती सब से होती है, लेकिन अपेक्षतया वह ज्यादा सिम्पैथैटिक रहता है। कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टरों के मुताल्लिक गांव वालों में अभी भी विश्वास है कि वहां से उनके साथ इन्साफ होगा। किसान पुलिस वालों का, एग्रीकल्चर विभाग वालों का या और दूसरे विभाग वालों का विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन कलेक्टर पर जरूर विश्वास करते हैं।

मेरे माननीय मित्र रामायण राय जी ने एक बात कही थी कि अध्यक्ष, जिला परिषद्, को वहां का अध्यक्ष रखा जाय। बात तो ठीक है, मैं उनसे सहमत हूं, परमात्मा करे वह दिन जल्दी आये जब कि हमारे नान-आफिशियल्स इतनी बड़ी जिम्मेदारी को सम्भाल सकें। लेकिन आज मैं अपनी हार मानता हूं और बहस भी नहीं करना चाहता। आप सब लोग अपने सीने पर हाथ रख कर

[श्री चरणसिंह]

देखें कि क्या हमारे अध्यक्ष लोग इतना टेक्निकल काम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के जरिये करा सकेंगे । उनके लिये यह काम जरा मुश्किल होगा । यह तो बड़ी अच्छी बात है कि हममें पब्लिक स्पिरिट और सोशल कंशसनेस बढ़े ।

एक सवाल है कि एम० एल० एज० को इसमें रखा जाय या नहीं । इस सम्बन्ध में मेरी अपनी निजी राय यह है कि एम० एल० एज० को इसमें रखना उनके ही हित में नहीं है । काम के हित में यह होगा या नहीं इसको तो छोड़िये । जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में एम० एल० एज० लोग एक ऐसा वायुमंडल पैदा करें कि गवर्नमेंट की जो भूमि संरक्षण की स्कीम है वह अच्छी और सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिये । लेकिन अगर वे इसके मेम्बर हो जायेंगे तो कहीं कोई किसान आयेगा और उसकी मर्जी के खिलाफ आपने काम किया तो वह आपका विरोधी हो जायगा । अगर आपके अन्दर पब्लिक कंशेसनेस है तब तो पब्लिक इंटरेस्ट में आप को उसकी बात नहीं माननी चाहिये और अगर किसान की बात मानते हैं तो भी काम नहीं चलता है क्योंकि फिर चार साल के बाद एलेक्शन आने वाला है । सब के मन में यही बात होगी । कोई इन-फ्लूएंशल आदमी हुआ तो वह अपना या अपने रिश्तेदार का काम कराना चाहेगा । ऐसा हालत में आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो इस बात की परवाह नहीं करेंगे । या फिर यह होगा कि लोग फेब्रिकेशन करेंगे कि अन्दर तो कुछ कहेंगे नहीं और बाहर आकर कहेंगे कि हमने तुम्हारे फेवर की बात कह दी है ।

श्री रावेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि हम लोग बहुत सी ऐसी कमेटियों में तो हैं ही और जनता की रिस्क अपने ऊपर लिये हुये हैं और आगे भी रिस्क लेने को तैयार हैं तो फिर आप ऐसी बात क्यों कहते हैं ।

श्री चरणसिंह—

ठीक है, मैं तो अपनी राय दे रहा हूं, मुझे अपनी राय देने का अख्तियार तो है ही । मैं जानता हूं कि मेरे साथ आप कौंसिलर्स रेजिडेंस में चलें, वहां ८० प्रतिशत ऐसे एम० एल० एज० हैं जिनके यहां तमाम सिफारिशी लोग पहुंचे हुये हैं जिनकी वजह से वे परेशान हैं और उनकी वजह से वे अपना खाना पीना भी ठीक से नहीं कर पाते हैं । अब रहा यह कि आप जो समझें करें, लेकिन मेरी अपनी राय यही है कि उनके हित में वहां रहना ठीक नहीं है । आप जनरल इन्टरेस्ट की कोई बात हो उस को उठायें लेकिन इंडिविजुअल की बात हो तो मेरी राय यह है, वैसे तय करने वाले तो आप ही हैं जो भी चाहें आप वहां तय करें, अगर सब की राय हो तो उसको रख लिया जाय । लेकिन मेरी सोचने समझने के बाद राय यह है कि इससे विधायकों को बचना चाहिये ।

अब ब्लाक प्रमुख और जिला अध्यक्ष की जहां तक बात है, वह तो जो कुछ करेंगे अपनी कान्शस से करेंगे, वह टाल भी सकते हैं क्योंकि वह किसी के वोट से तो नहीं आते, उन का इन्डिविजुअल लुकआउट होगा । दूसरे हम लोगों ने जिला परिषद् को अधिकार दिया स्वायल कन्जरवेशन का। हमने ऐक्ट को इतना व्यापक बना दिया है, हम ने सोचा कि उन को एसोशियेट कर लिया जाय और नान-आफिशियल की राय भी हम ने समझ लिया कि आ जायगी । उसमें कलेक्टर, स्वायत्त कन्जरवेशन आफिसर, फारेस्ट आफिसर, डिस्ट्रिक्ट आफिसर और इंजीनियर वगैरह, सभी होंगे.....

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण है मेरा.....

श्री चरणसिंह—

मैं नहीं मानने को तैयार हूं, समय कम है ।

श्री लखीसिंह—

क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं, जितने भी यू० पी० में हैं उन में से कितने किसान हैं ?

श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, असल में यहां किसान तो केवल श्री लखी सिंह जी ही हैं या मैं भी अगर हूं तो मेरे में खराबी यह हो गई कि मैं पढ़ा लिखा हो गया । तो मैं यह कह रहा हूं कि यह बात वहां तय हो जायगी । बाकी मेरी अपनी राय यह है कि माननीय सदस्यों को इस दलदल में न फंसना चाहिये । अब आखिरी बात यह है माननीय लखी सिंह जी ने बहुत सी बातें कहीं और कम से कम मुझे तो उन की तकरीर बहुत पसन्द आई, चाहे श्री रामायण राय जी कितना ही अच्छा बोले हों या किसी ने भी कितनी ही अक्लमन्दी के साथ भाषण क्यों न किया हो, लेकिन सब से अच्छी आज की स्पीच लखी सिंह जी की ही रही, मुझ पर केवल उसका ही प्रभाव पड़ा । माननीय बैजनाथ सिंह जी, माननीय नरसिंह नारायण जी, कुंवर श्रीपाल सिंह जी और श्री रामायण राय जी ने प्रवर समिति की और बहुत सी बातें कहीं, लेकिन मेरी अक्ल में कोई बात नहीं बैठी और अगर मेरे कुन्द अकल के फाटक खुले तो वह श्री लखी सिंह जी के भाषण के बाद ही खुले । अब मैं प्रवर समिति के सुझाव को स्वीकार करता हूं, इस को भेज दिया जाय । जहां तक रही इसकी परिधि को बढ़ाने की बात, वह मुझे स्वीकार नहीं है । केवल यह स्वीकार है कि इस को प्रवर समिति में भेज दिया जाय और वहां यह १५ दिन के बजाय ३० दिन के लिये भेजा जाय । सदस्यों की लिस्ट माननीय बनारसी दास जी आप से मशविरा करके बाद में सदन के सामने रखेंगे ।

१९६२-६३ के द्वितीय पूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। सप्लीमेंटरी बजट के सम्बन्ध में मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि अभी भारत सरकार और प्लानिंग कमीशन की ओर से सब स्टेट्स को इस बात का सरकुलर गया है कि सप्लीमेंटरी बजट जो कई बार इस तरह से पेश हुआ करते हैं उनके सम्बन्ध में प्रादेशिक सरकारें अपनी कोई निश्चित नीति और राय रखें और वह एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे सकें, यह बड़ी अनयूजुअल प्रैक्टिस चल रही है कि जब सरकार चाहती है एक सप्लीमेंटरी बजट ले आती है । अभी ३ मास पहले नवम्बर में यह आ चुका है और अब फिर पेश होने जा रहा है, अब जब कि दूसरा साल शुरू होने जा रहा है और कल को ही आप दूसरे साल का बजट पेश करेंगे । यह कनवेंशन का सवाल है । क्या सरकार प्लानिंग कमीशन या केन्द्रीय सरकार की तरफ से आये हुए निदेशों का पालन करेगी या नहीं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेरा निवेदन तो यह है कि यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर है ही नहीं, प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई राय आयी हो जिसका मुझे पता नहीं है। मुमकिन है आयी हो तो वह कोई हमारे लिये प्वाइन्ट आफ आर्डर का प्रश्न नहीं होता । हमारे यहां की यह परम्परा रही है जिसके अनुसार हम चल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा दूसरा प्रश्न व्यवस्था का है । जैसा कार्यक्रम में है, ५ बजे बजट पेश होने वाला था । मंत्री जी ५ बजे तक पेश नहीं कर सके इसलिये अब बजट पेश नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आपका एतराज बिलकुल गलत है । वह ठीक ५ बजे खड़े हो गये थे । माननीय नरसिंह नारायण जी ने प्वाइन्ट आफ आर्डर उठा दिया ।

श्री उग्रसेन---

मंत्री जी ने बजट पेश नहीं किया था ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह बिलकुल गलत बात है। वह ठीक ५ बजे खड़े हो गये थे, और प्वाइन्ट आफ आर्डर उठा कर, २, ४ मिनट खर्च कर लें, फिर आप कहें बजट पेश नहीं हुआ, यह कैसे मुनासिब है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के द्वितीय पूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसकी कापीज बांट दी जायं ।

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३

श्री उपाध्यक्ष---

(कृषि मंत्री से) आप स्वयं अपनी तरफ से रेफरेंस का मोशन पेश करना चाहते हैं ।

श्री चरणसिंह---

बस, मुझे यही संशोधन करना था कि उसकी परिधि बढ़ाने का सवाल नहीं है, और १५ दिन के बजाय आप ३० दिन कर दीजिये ।

श्री रामायणराय---

श्रीमन्, जैसा अभी कृषि मंत्री जी ने कहा, जो संशोधन हमारी तरफ से पेश किया गया है इसको आप देखें । परिधि बढ़ाने का प्रश्न नहीं है । १५ दिन की जगह वह ३० दिन चाहते है । इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप उनके संशोधन के साथ इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने की आज्ञा प्रदान करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

परिधि तो बढ़ाने की बात नहीं रहेगी ।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं । हमारा प्रश्न यह था कि इसकी परिधि बढ़ायी जाय। आप इस पर मतदान करा लें । अगर विधेयक की परिधि नहीं बढ़ायी जायगी तो उसकी आत्मा निकल जायगी ।

श्री रामायणराय---

वह ठीक है, दो अलग-अलग प्रस्ताव हैं ।

श्री चरणसिंह---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो संशोधन माननीय कल्पनाथ सिंह ने पेश किया है उसमें . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

आप अपनी तरफ से ही प्रस्ताव पेश कर दें ।

श्री चरणसिंह---

ठीक है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट ३० दिन के अन्दर पेश करे ।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, माननीय कल्पनाथ सिंह जी के प्रस्ताव पर वोट ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सिर्फ परिधि बढ़ाने वाली.....

श्री उग्रसेन--

माननीय कल्पनाथसिंह का प्रस्ताव अपनी जगह पर है । माननीय कृषि मंत्री दूसरा प्रस्ताव दे रहे हैं। उनके ऊपर भी मतदान करा लीजिये और हमारे प्रस्ताव पर भी करा लीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अगर परिधि बढ़ाने का अधिकार न रहा तो यह सेलेक्ट कमेटी तो मखौल हो जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

कल्पनाथ सिंह जी का जो प्रस्ताव है उसी में मैं आपकी तरफ से अमेंडमेन्ट पेश किये देता हूं । वह अमेंडमेन्ट पास हो जायगा तब ठीक हो जायगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

तब यह प्रस्ताव कुछ रह ही नहीं जायगा । मैं मंत्री जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, आप बता दें कि हो क्या रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

हो यह रहा है कि डिस्कशन खत्म हो गया और अब मैं इस बिल पर प्रश्न पुट करने जा रहा हूं और वह यह है कि श्री कल्पनाथ सिंह जी का जो सेलेक्ट कमेटी को रेफरेन्स के लिये है उसमें माननीय कृषि मंत्री कुछ संशोधन करना चाहते हैं, वह मैं पुट किये देता हूं ....

श्री उग्रसेन--

माननीय कृषि मंत्री ने अभी तक कोई संशोधन नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने यह कहा कि इसमें से...

श्री उग्रसेन--

उन्होंने संशोधन देने की बात नहीं कही । वे अलग प्रस्ताव रखना चाहते हैं ।

श्री चरणसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो संशोधन ही पेश कर रहा था, फिर यह हुआ कि नहीं, अलग प्रस्ताव पेश कर दीजिये । तो मैं वह संशोधन पेश कर रहा हूं । वह यह है कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी के प्रस्ताव में से शब्द "और समिति को विधेयक का अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो और" निकाल दिये जायं और "१५ दिन" के स्थान पर "३० दिन" रख दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी के प्रस्ताव में से शब्द "और समिति को विधेयक का अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो और" निकाल दिये जायं और "१५ दिन" के स्थान पर "३० दिन" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

(पक्ष में १४६,

विपक्ष में ४५) ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति को भेजा जाय, जो ३० दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे।

प्रवर समिति के सदस्यों के नाम कल दिये जायंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३

सहायक सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९६३ का ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक को, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ८ फरवरी, १९६३ की बैठक में पारित किया जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७४४–७४६ पर)

उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) संशोधन विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९६३ का उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक को, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ८ फरवरी, १९६३ की बैठक में पारित किया और जो उत्तर प्रदश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त हुआ है सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७४७–७४९ पर)

आगामी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

उपाध्यक्ष महोदय, कल उत्तर प्रदेश स्वायल एन्ड वाटर कंजर्वेशन बिल पर विचार होना था जो प्रवर समिति के सुपुर्द हो गया है और जो अभी दो विधेयक रखे जा चुके हैं, ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ तथा उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९६३ जैसे विधान परिषद् से पारित हुए हैं, इनको भी कल के कार्यक्रम में रख लिया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। यह मंत्री जी की प्रजातंत्र में हिटलर शाही मनोवृत्ति है जिसका वे परिचय दे रहे हैं। माननीय सदस्य कब पढ़ेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी, जब विपक्ष के लोग तैयार नहीं होते तो ठीक नहीं मालूम पड़ता, इसलिये बात कर लीजिये।

श्री उग्रसेन—

ये कार्य-मंत्रणा समिति में भी नहीं आये और कोई बात नहीं की। इनको श्रीमन्, डंडे के बल से चलाइये।

श्री बनारसीदास—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अनुरोध किया है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १६५ के अनुसार मेरी यह प्रार्थना है और आपको यह अधिकार है कि जब यह सदन के सामने रखा गया है तो आप इस नियम को वेव कर सकते हैं और माननीय उग्रसेन जी ने कहा था और वे समय की बड़ी कद्र करते हैं, मैंने इस बात को ध्यान में रखकर आप से प्रार्थना की

है। कल ५ बजे बजट पेश किया जायगा तो माननीय उग्रसेन जी को तो सहमत होना ही चाहिये कि ४ बजे तक यह सदन बैठे और इन दोनों विधेयकों पर विचार करे और इन दोनों में शाब्दिक संशोधन हैं, कोई बहुत बड़ा बिल नहीं है जिस पर अधिक परेशानी हो।

श्री उग्रसेन—

सूचना मंत्री जी की बात पर विवाद करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ३६ घंटे का समय संशोधन देने के लिये चाहिये। ५ दिन की छुट्टी तो मार ली भत्ता मारने के लिये और अब कहते हैं कि हमको समय का खयाल करना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसको मत मंजूर कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

उग्रसेन जी, जब तक अपोजीशन राजी नहीं होगा तब तक मैं इसको नहीं मानूंगा।

श्री उग्रसेन—

तो सभी सचेतकों की, विशेषकर अपोजीशन के, मीटिंग बुलाकर के बात तय कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

तो पहले मैं मीटिंग बुलाकर कोई रास्ता निकालता हूं। माननीय उग्रसेन जी, अभी कल सबेरे एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो जाय और सब लोग राजी हो जायं तब लिया जायगा और अभी एजेन्डे पर छप जायगा।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, जब तक उस मीटिंग में तय न हो जाय तब तक एजेन्डे पर न छपे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अभी उसके लिये अनुमति तो नहीं दे रहा हूं, उसे मुल्तवी कर रहा हूं लेकिन एजेन्डे पर छप जायगा। अगर आप राजी हो जायेंगे तो विचार होगा अन्यथा नहीं होगा।

अब हम उठते हैं और कल सबेरे १०॥ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १७ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१४ फरवरी, १९६३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६४ पर)

उत्तर प्रदेश कन्सल्टेटिव कमेटी के सदस्यों की नामावली

१—श्री एम० सी० राव, संपादक, नेशनल हेराल्ड, लखनऊ ।
२—श्री एस० एन० घोष, संपादक, पायनियर , लखनऊ ।
३—श्री एच० सी० राय, संपादक, नार्दर्न इंडिया पत्रिका, इलाहाबाद ।
४—श्री आर० एन० जुत्शी , संपादक, लीडर, इलाहाबाद ।
५—श्री एस० के गुप्त, संपादक, आज, वाराणसी ।
६—श्री एस० सी० भट्टाचार्य, संपादक, प्रताप, कानपुर ।
७—श्री डी० एल० अग्रवाल, संपादक, अमर उजाला, आगरा ।
८—श्री हयातउल्ला अन्सारी, संपादक, कौमी आवाज, लखनऊ ।
९—श्री एस० पी० पान्धी, संपादक, हिमाचल टाइम्स, देहरादून ।
१०—श्री विश्म्भर सहाय प्रेमी, संपादक, पंचायती राज, मेरठ ।
११—श्री राम दुलारे त्रिवेदी, संपादक, टंकार, कानपुर ।
१२—श्री धर्मा नन्द पान्डे, संपादक, शक्ति, अल्मोड़ा ।
१३—श्री सत्येन्द्र आर० शुक्ला, संपादक, हिन्द आबजरवर, लखनऊ ।
१४—श्री ख्वाजा अब्दुल सलाम, संपादक, सदाकत, कानपुर ।
१५—श्री उमा शंकर दीक्षित, एम० पी०, मैनेजिंग डाइरेक्टर, असोसियेटेड जर्नल्स लिमिटेड, लखनऊ ।
१६—श्री के० सी० शारदा, मैनेजिंग डाइरेक्टर, न्यूजपेपर्स लि०, इलाहाबाद ।
१७—श्री ईश्वरी प्रसाद, एम० एल सी०, इलाहाबाद ।
१८—श्री बंशीधर मिश्र, एम० एल० ए०, लखीमपुर खीरी ।
१९—श्री देवदत्त मिश्र, एम० एल० ए०, कानपुर ।
२०—श्री गेंदा सिंह, एम० एल० ए०, देवरिया ।
२१—राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे, एम० एल० ए० , जौनपुर ।
२२—श्री भगवती चरन वर्मा, लखनऊ ।
२३—श्री सी० बी० राव, इलाहाबाद ।
२४—श्रीमती महादेवी वर्मा, इलाहाबाद ।
२५—श्री जस्टिस रणधीर सिंह, लखनऊ ।
२६—श्री सी० एस० पण्डित , विशेष प्रतिनिधि, स्टेट्समेन, लखनऊ ।
२७—श्री एम० बी० माथुर, विशेष प्रतिनिधि, हिन्दुस्तान टाइम्स, लखनऊ ।
२८—श्री एस० एन० चतुर्वेदी, प्रतिनिधि, नवभारत टाइम्स, लखनऊ ।
२९—श्री आर एल पुरी, मैनेजर, प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, लखनऊ ।
३०—श्री आर० डी० त्रिपाठी, प्रेस करेसपान्डेंट, गोरखपुर ।
३१—श्री एन० एम० मुखर्जी, प्रेस करेसपान्डेन्ट, बरेली ।
३२—श्री जय राम शर्मा, प्रेस करेसपान्डेंट, झांसी ।
३३—श्री कपिल वर्मा, भारत युवक समाज, लखनऊ ।
३४—श्री लक्ष्मी शंकर व्यास, प्रेसीडेन्ट, उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, लखनऊ ।
३५—सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सूचना विभाग, तथा
३६—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६४ पर।)

RESOLUTION PASSED BY THE STANDING COMMITTEE OF THE U. P. WORKING JOURNALISTS UNION AT ITS MEETING HELD ON JANUARY 6, 1963, AT THE U. P. PRESS CLUB, UNDER THE PRESIDENTSHIP OF MR. L. S. VYAS, PRESIDENT OF THE UNION.

THIS meeting of the Standing Committee of the U. P. Working Journalists Union considered the appointment of the Press Consultative Committee by the U. P. Government. The Standing Committee depricated the arbitrary manner in which the committee was constituted and is of the opinion that the Committee will not bring about "a closer liason between the Government and the Press in matters of common interest"—the purpose the Government seeks to achieve.

2. The sudden announcement of the committee without consulting the representative organizations of the profession is most unwarranted. The meeting is particularly distressed that several members of the Union, including the President of the Union, were nominated to the Committee without obtaining their consent. The Standing Committee places on record its strong disapproval of this act of the Government specially when it was fully aware of the stand of the U. P. Working Journalists Union and Indian Federation of Working Journalists in regard to the press advisory system.

3. The meeting draws the attention of the U. P. Government to the unanimous verdict of the Press Commission, whose report has been adopted by the Parliament, and which has clearly laid down that, "In a democratic set-up there is no necessity for machinery like the Press Advisory Committee for advising Government on the administration of Press laws or for Consultative Committee to regulate the relationship between the press and the Government.

4. The U. P. Government must be aware that the experiment of press consultation was tried in the State for a number of years and had ultimately to be given up. It is not known what prompted the U. P. Government to revive this discredited system.

5. The Government announcement does not indicate that the present emergency has necessitated the formation of this committee.

6. If a committee for emergency purposes had at all been considered advisable, the obvious course for the Government was to consult the representative organizations of the profession before taking any such step.

7. If and when an emergency body for defence purposes is proposed to be set up the Union, in consultation with the Indian Federation of Working Journalists, will give its most thoughtful consideration to the proposal. The attention of the Government is drawn to the resolution of the Standing Committee extending its full-co operation to the defence efforts of the country.

8. The structure of the present committee is not likely to serve the defence efforts. It will only tend to create an impression that the Government wants to exercise undue influence on the press.

9. The consultative committee constituted for a period of three years is in view of the Union against the specific advice of the Press Commission and earlier resolutions of the U. P. Working Journalists Union and the Indian Federation of Working Journalists. The Union, therefore, expresses its inability to participate in it.

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६७ पर)

STATEMENT SHOWING COLLECTIONS IN CHIEF MINISTER'S DEFENCE PURPOSES FUND, NATIONAL DEFENCE FUND AND GOLD IN UTTAR PRADESH

Name of Districts	Gold Gramme	Total Collections	C. M.'s D. P. F.	N. D. F.
1	2	3	4	5
Dehra Dun	4749.210	7,88,249	5,92,476	1,95,773
Saharanpur	2162.590	17,53,561	15,93,433	1,60,128
Muzaffarnagar	2399.350	25,84,167	24,72,849	1,11,318
Meerut	12949.284	31,53,930	26,56,051	4,97,879
Bulandshahr	1683.000	16,45,578	15,91,704	53,874
Aligarh	680.260	7,54,098	6,54,838	99,260
Mathura	227.625	4,38,924	3,56,125	82,799
Agra	1798.000	11,10,371	8,13,749	2,96,622
Mainpuri	343.000	3,55,741	2,52,936	1,02,805
Etah	339.490	5,03,157	4,12,298	90,859
Bareilly	1012.750	7,95,419	7,46,531	48,888
Bijnor	1050.350	13,51,150	13,10,421	40,729
Budaun	1340.100	10,70,318	10,57,191	13,127
Moradabad	1397.150	19,54,493	18,25,837	1,28,656
Rampur	139.500	5,67,326	5,56,243	11,083
Shahjahanpur	544.100	8.22.010	5,33,698	2,88,312
Pilibhit	682.395	2,79,815	2,70,061	9,754
Farrukhabad	378.528	4,70,222	3,96,187	74,035
Etawah	1610.350	6,71,111	6,45,327	25,784
Kanpur	2159.450	32,34,904	17,37,365	14,97,539
Fatehpur	306.000	1,96,391	1,41,059	55,332
Allahabad	499.00	16,51,599	18,95,953	2,55,646
Jhansi	2428.000	5,37,753	3,45,808	1,91,945
Jalaun	831.480	3,19,920	3,09,557	10,363
Hamirpur	1279.030	3,27,038	3,13,222	13,816
Banda	389.620	3,69,582	3,59,256	10,326
Varanasi	1942.642	14,10,683	4,00,829	10,09,854

Name of Districts	Gold Gramme	Toal Collections	C.M.'s D.P.F.	N.D.F.
1	2	3	4	5
Mirzapur	1291.000	13,57,925	3,37,916	10,20,009
Jaunpur	417.800	5,78,246	3,04,054	2,74,192
Ghazipur	520.500	3,61,889	3,37,916	23,973
Ballia	468.200	2,66,223	2,41,898	24,325
Gorakhpur	1800.000	12,67,811	9,22,214	3,46,981
Deoria	73765.000	13,48,646	13,16,215	32,431
Basti	730.120	8,02,893	7,58,021	44,872
Azamgarh	1325.075	9,19,360	8,72,250	47,110
Naini Tal	3621.000	7,68,230	7,64,212	1,04,018
Almora	1038.770	2,56,854	2,47,231	9,623
Garhwal	170.583	1,11,657	88,265	23,392
Tehri-Garhwal	..	75,828	70,210	5,618
Lucknow	4497.046	9,59,921	9,36,889	23,032
Unnao	213.000	1,50,052	1,34,158	15,894
Rae Bareli	158.280	3,62,939	3,54,034	8,905
Sitapur	891.300	3,94,533	3,63,362	31,160
Hardoi	113.325	3,47,480	3,27,880	19,600
Kheri	819.900	7,58,022	7,44,585	13,437
Faizabad	340.000	6,64,344	6,57,367	6,977
Gonda	198.750	4,34,795	4,21,688	13,107
Bahraich	251.950	7,72,385	7,61,820	10,565
Sultanpur	232.000	4,37,238	4,29,451	7,787
Pratapgarh	224.500	4,28,962	4,22,932	6,030
Bara Banki	152.150	4,41,912	4,34,221	7.691
Pithoragarh	783.492	2,06,396	2,05,311	1,085
Chamoli	245.000	93,118	90,853	2,265
Uttarkashi	..	99,219	94,369	4,850
Total ..	144082.993	4,37,84,377	3,62,78,942	75,05,435
Amounts received in Chief Minister's Office at Lucknow direct from donors		20,92,517	20,92,517	..
Total ..		4,58,76,894	3,83,71,459	..

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७६ पर)

१९६३–६४ की वार्षिक योजना के लिये पूर्व निर्धारित एवं संशोधित धनराशि की तालिका

विकास का मद	पूर्व निर्धारित (Original)	संशोधित योजनागत धनराशि (Revised) लाख रुपयों में
१	२	३
१—कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम—		
१—कृषि उत्पादन	६४१.८४	६३९.३७
२—अल्प सिंचाई	६२०.१२	६६५.५०
३—भूमि संरक्षण	८६.७६	८८.५२
४—पशु पालन	११९.५०	१०८.५३
५—दुग्धशाला तथा दूध का वितरण	६०.५०	७९.६८
६—वन	११९.५०	११४.५०
७—मछली पालन	२०.६३	१२.५७
८—गोदाम तथा क्रय-विक्रय की व्यवस्था	६.००	६.००
योग ..	१६७४.८५	१७१४.६७
२—सहकारिता तथा सामुदायिक विकास—		
१—सहकारिता	२२६.२०	२१०.५४
२—सामुदायिक विकास	१,००१.००	८२६.२३
३—पंचायतें	८८.१४	३३.११
योग ..	१३१५.३४	१०६९.८८
३—सिंचाई तथा विद्युत्—		
१—सिंचाई	१०३९.५६	९४६.२९
२—बाढ़ नियंत्रण	११४.८७	१२०.००
३—विद्युत्	२३९८.७१	१९४४.६
योग ..	३५५३.१४	३०१०.९१

४—उद्योग तथा खनिज पदार्थ—			
१—बड़े तथा मध्यम उद्योग	७८.२५	७३.९९
२—खनिज पदार्थों का विकास	१.००	०.९६
३—ग्राम्य तथा छोटे उद्योग	३२७.९४	३००.०२
योग ..	४०७.१९	३७४.९७
५—परिवहन तथा यातायात—			
१—सड़कें	२५०.००	६५५.००
२—पर्यटन	२.६०	०.६२
योग ..	३५२.६०	६५५.६२
६—समाज सेवायें—			
१—सामान्य शिक्षा	९६९.९६	७४८.३५
२—प्राविधिक शिक्षा	२०७.२९	१९३.१४
३—वैज्ञानिक अन्वेषण	८.५४	४.७९
४—स्वास्थ्य	७४३.६७	५९६.००
५—गृह निर्माण	१८१.००	१०५.६१
६—पिछड़े वर्गों का कल्याण	२०७.६८	१४२.५५
७—समाज कल्याण	१२.५७	७.१९
८—श्रम तथा श्रम कल्याण	१०२.५६	९९.९५
९—जन सहकारिता	१.२५	१.०५
योग ..	२४३४.५२	१८९८.६३
७—विविध—			
१—संख्यकाएं	९.५४	८.२४
२—सूचना एवं प्रसार	९.६९	१५.६९
३—अन्य —			
(अ) खेल-कूद	४.००	५.००
(ब) उत्तरा खंड	५८६.८०	४६१.००
योग ..	६१०.०३	४८८.९३
कुल योग ..	१०३४७.६७	९२१३.६१

टिप्पणी—कालम ३ में विभिन्न मदों की संशोधित योजनागत सीमाएं (plan ceilings) दिखाई गई हैं। राज्य के आय-व्ययक में आने वाली वास्तविक धनराशि इससे भिन्न हो सकती है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८० पर।)

मुकदमों एवं अभियुक्तों का विवरण

१—मुकद्दमा नं० ११६/४२०/४७१/१२० बी, आई० पी० सी० ।

१—श्री चुन्नी लाल चौरसिया भूतपूर्व सरपंच, पाली ।
२—श्री राम सेवक, मंत्री, पंचायत, ग्राम सभा, पाली ।
३—श्री उदय बहादुर सिंह, भूतपूर्व मंत्री, ग्राम सभा, पाली ।
४—श्री गज्जू राम चौधरी, भूतपूर्व विधायक ।
५—श्री नन्द किशोर, निवासी, पाली ।
६—श्री उमा शंकर राय, भूत पूर्व पंचायत इन्सपेक्टर, विरधा ब्लाक।
७—श्री नत्थू राम, निवासी, पाली ।

२—मुकद्दमा नं० ११७ धारा ४०६/४२०/४६८/४७१/२०१/१२० बी० आई० पी० सी०

१—श्री चुन्नी लाल चौरसिया, भूतपूर्व सरपंच, पाली ।
२—श्री राम सेवक, मंत्री, पंचायत, ग्राम सभा, पाली ।
३—श्री उदय बहादुर सिंह, भूतपूर्व मंत्री, ग्राम सभा, पाली ।
४—श्री उमा शंकर राय, भूतपूर्व पंचायत इन्सपेक्टर ।
५—श्री गज्जू राम चौधरी, भूतपूर्व विधायक ।
६—श्री मंटू लाल चौरसिया, पाली ।

३—मुकद्दमा नं० ११८ धारा ४२०/४१७/४६८/४७१/१२० बी०आई०पी०सी०

१—श्री चुन्नी लाल चौरसिया, भूतपूर्व सरपंच, पाली ।
२—श्री राम सेवक, मंत्री, पंचायत ग्राम, पाली ।
३—श्री उदय बहादुर सिंह, भूतपूर्व मंत्री, ग्राम सभा, पाली ।
४—श्री उमा शंकर राय, भूतपूर्व पंचायत राज इन्सपेक्टर, विरधा ।
५—श्री गज्जू राम चौधरी, भूतपूर्व विधायक ।

४—मुकद्दमा नं० ११९ धारा ४०६/४२०/४६८/४७१/१२० बी०आई०पी०सी०

१—श्री चुन्नी लाल चौरसिया, भूतपूर्व सरपंच, पाली ।
२—श्री राम सेवक, मंत्री, पंचायत ग्राम, पाली ।
३—श्री उदय बहादुर सिंह, भूतपूर्व मंत्री, ग्राम सभा, पाली ।
४—श्री उमा शंकर राय, भूतपूर्व पंचायत राज इन्सपेक्टर ।
५—श्री गज्जू राम चौधरी, भूतपूर्व विधायक ।
६—श्री गोरे लाल चौरसिया, पाली ।
७—श्री उडकू, निवासी, ग्राम पाली ।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८१ पर)

RATES FOR SUPPLY OF ELECTRICAL ENERGY FROM RIHAND

A—Supply at Medium and Low Voltage—

1. Domestic Services (L. S.)
   35 N. P. per unit (net).
2. Domestic Services (Power)
   19 N. P. per unit (net).
3. Street Lighting
   35 N. P. per unit (net)—
   Lamp replacement at cost+15 per cent supervision.
4. Small Power—(Up to 20 K. W. Load).
   First 150 units per B. H. P. per month at 12.5 N. P. per unit (net.)
   Remainder at 11.0 N. P. (net).
5. Medium Power—(20 to 100 K. W. Load).
   First 200 units per K. W. per month .. 11.5 N. P. (net).
   Remainder at .. .. .. 10.0 N. P. (net)
6. State Tube-Well and Pumping Schemes
   Rs.150 per B. H. P. per year +5.5 N. P. per unit (net)
7. Mixed Loads—(For loads upto 100 K. W.)—
   First 10,000 units per month at .. 17.0 N. P. per unit (net)
   Next 20,000 Ditto .. .. 14.0 Ditto.
   Remainder Ditto .. .. 11.0 Ditto.

B—Supply at High Voltage (11.000 *volts*)—

(NOTE—These rates are for supply at 11 K.V. If, in a particular case, the supply is made available at a voltage lower than 11 K.V. and additional charge of 7½ per cent on the total amount of the bill will be levied. If, on the other hand the supply is made available at a voltage higher than 11 K.V. a discount of 5 per cent on the total amount of the bill will be allowed.)

1. Large Power —(100 to 500 K. V. A. Load)—
   (i) Demand Charge :
   Rs.8.00 per K. V. A. of billable demand per month
   PLUS
   (ii) Energy Charge :
   First 170 units/K.V.A. billable demand/month @ 4.0 N.P. unit(net.)
   Next 170 „ 3.5 Ditto
   Remainder „ 3.0 Ditto
2. Heavy Power—(Above 500 K. V. A. Load).
   (i) Demand Charge :
   First 500 K. V. A. of billable demand/month @ Rs.8.00 per K.V.A/ month.
   Next 1,500 K. V. A. of billable demand/month @ Rs.7.50 per K. V. A. /month.
   Remainder K. V. A. of billable demand/month @ Rs. 7.00 per K. V. A./month.

PLUS

(ii) Energy Charge :
First 170 units/K.V.A. of billable demand/month @ 3.5 N.P. (net).
Next 170 units/K.V.A. of billable demand month @ 3.0 N.P. (net).
Remainder units/K.V.A. of billable demand month @ 2·5N.P. (net).

3. **Bulk Supply to Licenses (Re-sale)—**

(i) Demand Charge :
First 500 K.W. of billable demand at Rs.15 per KW p/month. or First 588 KVA of billable demand at Rs. 12.75 per KVA p/ month. Next 1,000 K.W. of billable demand at Rs 12 per K. W.p/ month or Next 1,175 K.V.A of billable demand at Rs.10.2 KVA p/ month. over 1,500 K.W. of billable demand at Rs.10 per K. W. p/ month. or Over 1,763 KVA of billable demand at Rs.8.50 per KVA p/month

PLUS

(ii) Energy Charge :
First 200 units per K.W. of demand/month at 4.0 N.P. net.
Next 200 units per K.W. of demand/month at 3.3 N.P. net.
Remainder units per K. W. of demand/month at 2.5 N.P. net.

4. Mixed Loads—(Above 100 K. W. Load)—

(i) Demand Charge :
Full billable demand @ Rs.15 per K. W. per month.

PLUS

(ii) Energy Charge :
All Consumption .. .. .. @ 3.0 N.P. per unit.

NOTE—(1) The tariffs A (6), B(1), B(2), B(3) and B(4) shall be subject to a coal price adjustment at .001 N.P for every naya paisa of variation in the average price of Rs.38 per Tonne of coal delivered during the financial year at the bunkers in the Gorakhpur and Mau Generating Stations. This clause will come in force from the 1st April of the financial year following that during which the Mau and Gorakhpur Power Stations are inter-connected with the Rihand Grid.

(2) All the tariffs are subject to levy of duty or other form of surcharge which may be imposed from time to time by the State Government.

(3) These rates are for single point delivery and supply at each point and each voltage shall be separately metered and billed.

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८२ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	कोन डेवलपमेंट कौंसिल का नाम	कौंसिल के चेयरमैन का नाम
१	सरदार नगर ..	.. श्री गंगाप्रसाद साहू ।
२	सिसवाबाजार ..	.. श्री अस्ताफ हुसैन ।
३	घुघली ..	.. श्री महातम प्रसाद तिवारी ।
४	पिपराइच ..	.. श्री हरीलाल आर्य ।
५	फरेंदा ..	.. श्री गौरीराम गुप्त ।

संसद टीवी

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८४ पर)

गवर्नमेंट पालीटेकनिक, (भूतपूर्व गवर्नमेंट न्यू इण्डस्ट्रीयल इंस्टीट्यूट) झांसी में १९६०-६१ तथा १९६२ में ली जाने वाली फीस का विवरण निम्नलिखित है—

१९६०-६१

१—ट्यूशन फीस	.. .. ..	१२ प्रति वर्ष
२—गेम्स फीस	.. .. ..	६ प्रति वर्ष
३—मैगजीन फीस	.. .. ..	२ दाखिले के समय
४—काशन मनी डिपोजिट	.. ..	२० दाखिले के समय
५—वार्षिक विवस समारोह फीस	.. ..	५ दाखिले के समय
६—होस्टल फीस (केवल होस्टल वालों के लिये)	..	५० प्रति वर्ष
७—इलेक्ट्रिक चार्जेज (केवल होस्टल वालों के लिये)	..	२४ प्रति वर्ष
८—काशन मनी डिपाजिट (केवल होस्टल वालों के लिये)		१० दाखिले के समय

दाखिले के समय ली जाने वाली फीस को छोड़कर बाकी फीस दो किश्तों में जुलाई व फरवरी में ली जाती है।

१९६२

जुलाई, १९६२ से प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिये केवल ट्यूशन फीस बढ़ाकर १८ रु० प्रति-मास कर दी गई। शेष फीस १९६०-६१ की भांति ही रही।

नत्थी 'अ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७३० पर)

ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

ऐक्ट संख्या १, १८७८।

ओपियम ऐक्ट, १८७८ को, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित करने के लिए,

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार।

१—(१) यह अधिनियम ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

ऐक्ट संख्या १,१८७८ में धारा २१-ए का बढ़ाया जाना

२—ओपियम ऐक्ट, १८७८ में धारा २१ के पश्चात् धारा २१-ए के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिये जायें—

Power of certain officers of the Excise Department to investigate into offences punishable under this Act.

"21.-A. Any officer of the Excise Department of the State Government, not below such rank as Government may by notification in the *Gazette* specify, may investigate into any offence punishable under this Act if committed within the area of his jurisdiction, and shall, in respect of such investigation, have all the powers exercisable by an officer in-charge of a police station in this behalf under Chapter XIV of the Code of Criminal Prodcedure, 1898."

उद्देश्य और कारण

यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० या डेंजरस ड्रग्ज ऐक्ट, १९३० की तरह ओपियम ऐक्ट, १८७८ में इस प्रकार की कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा ओपियम ऐक्ट, १८७८ के अधीन अफीम सम्बन्धी अपराधों का अनुसन्धान करने के लिये आबकारी विभाग के अधिकारियों का अधिकार दिया गया हो। यद्यपि पिछले कई वर्षों से आबकारी विभाग के अधिकार अफीम सम्बन्धी अपराधों का अनुसन्धान करते रहे हैं और इनसे सम्बन्धित मुकदमों में न्यायालयों ने कोई आपत्ति नहीं की है, फिर भी यह बहुत आवश्यक है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों को अनुसन्धान करने का अधिकार देने के लिये ओपियम ऐक्ट में कुछ व्यवस्था की जाय। अपराधों के सफल अनुसन्धान के निमित्त यह आवश्यक है कि ओपियम ऐक्ट, १८७८ में इस सम्बन्ध में व्यवस्था की जाय। तद्नुसार इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि आबकारी विभाग का ऐसा अधिकारी, जो उस पद से न्यून पद पर न हो जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अनुसन्धान कर सकता है यदि वह अपराध उसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर किया गया हो। आबकारी विभाग के उक्त अधिकारी को ऐसे अनुसन्धान के सम्बन्ध में वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो तदर्थ, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के अध्याय १४ के उपबन्धों के अधीन पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रयुक्त किये जा सकते हैं।

सीताराम

आबकारी मन्त्री ।

Statement showing the section of the principal Act proposed to be amended

THE OPIUM ACT, 1878 (ACT I OF 1878)

Report of arrest and seizures.

21. Whenever any officer makes any arrest or seizure under this Act he shall within forty-eight hours next after such arrest or seizure, make a full report of all the particulars of such arrest or seizure to his immediate official superior.

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ ७३० पर)

उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) संशोधन विधेयक, १९६३

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, १९५४ को संशोधित करने के लिए ;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५४

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) यह ३० नवम्बर, १९५४ से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४,१९५४ की धारा ३, का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, १९५४ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उपधारा (१) तथा उपधारा (२) के बीच में निम्नलिखित नयी उपधारा (१–क) बढ़ा दी जाये—

"(१–क) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, उच्च न्यायालय किसी ऐसे वाद में, जिसका मूल्यांकन दस हजार रुपये से अधिक न हो, दी गयी मूल डिक्री या आज्ञा के विरुद्ध किसी अपील को अपने अधीनस्थ किसी जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश को संक्रमित कर सकता है।"

कतिपय कार्यवाहियों का वैधीकरण।

३—इस अधिनियम के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पूर्व किया गया कोई ऐसा कार्य या की गई कोई ऐसी बात, जो इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन के सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित होने की दशा में मान्य एवं वैध रूप से की गयी होती, मान्य एवं वैध रूप से की गई समझी जायगी।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, १९५४ के द्वारा वर्ष १९५४ में जिला जजों का आर्थिक अपीलीय क्षेत्राधिकार ५,००० रुपये से बढ़ाकर १०,००० रुपये तक कर दिया गया था। किन्तु भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि उक्त संशोधन के बावजूद, उपर्युक्त धनराशियों के बीच के मूल्यांकन की अपीलों को जो उक्त अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व उच्च न्यायालय में दायर की गयी हो, निस्तारण के लिये जिला जजों को संक्रमित नहीं किया जा सकता है। अतएव, इस विधेयक का अभिप्राय यह है कि उच्च न्यायालय को ऐसी अपीलों को जिला जजों तथा अपर जिला जजों को संक्रमित करने के लिये प्राधिकृत किया जाये तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पूर्व उच्च न्यायालय की ऐसी अपीलों को इलाहाबाद तथा लखनऊ के अपर जिला जजों को संक्रमित करने की कार्यवाही का वैधीकरण किया जाय।

सैयद अली जहीर,
न्याय मन्त्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, १९५४ के उद्धरण

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(२) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अनुसूची में निर्दिष्ट विधायनों का संशोधन।

२—अनुसूची के स्तम्भ २ में निर्दिष्ट, जहां तक उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, अनुसूची के स्तम्भ ३ और ४ में वर्णित आयति पर्यन्त (to the extent) संशोधित होंगे और एतद्द्वारा संशोधित किये जाते हैं।

अपवाद(Savings)

३—(१) इस अधिनियम द्वारा किया हुआ कोई संशोधन, पहले से की गयी अथवा हुई किसी बात (of anything already done or suffered) की अथवा पहले से उपार्जित, उत्पन्न अथवा भारित किसी अधिकार, आगम, अधिभार अथवा दायित्व (any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred) की, अथवा किसी ऋण या डिक्री से मुक्ति या उसके उत्सर्जन या किसी दायित्व से मुक्ति या उसके उत्सर्जन अथवा अभिक्षेत्र की जो प्रयोग में लाया गया हो, (any release or discharge of or from any debt, decree, liability, or any jurisdiction already exercised) वैधता, अवैधता, फल अथवा परिणाम पर प्रभाव न डालेगा (shall not affect the validity, invalidity effect or consequence of) और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी न्यायालय में निर्विष्ट या आरब्ध (instituted or commenced) व्यवहार, यहां पर किये गये किसी संशोधन के होते हुये भी, उक्त न्यायालय द्वारा सुने और निर्णीत किये जा सकेंगे।

अनुसूची

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा या अनुसूची (Schedule)	संशोधन
१	२	३	४
४	बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ (१८८७ का ऐक्ट सं० १२)	२१	उपधारा (१) के खंड (ए) में शब्द "five thousand rupees" के स्थान पर शब्द "ten thousand rupees" रख दिये जायें।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३१७ एल० ए०—१९६३ (प्रो०)—८५०।